खण्ड-258, अंक-9
मंगलवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1887
(17 अगस्त, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३०

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
एस० सी० ग्राइस, श्री
कंधइलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद, पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रासिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारॉयणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद, पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनार्थसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनार्थसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनार्थसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनार्थसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती

रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ अगस्त, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न)

*१-२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[४थे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जौनपुर रोडवेज डिपों में कर्मचारियों की जमानत

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर रोडवेज डिपो में कितने ऐसे कर्मचारी कब से कार्य कर रहे हैं जिनको २५० रु० नकद व २५० रुपए किस्त में जमानत का रुपया जमा करना चाहिए था और उनसे बिला जमानत जमा कराये कार्य लिया जा रहा है ? किन लोगों ने इनकी नियुक्ति की है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह एक स्टेशन से संबंधित सवाल है । इसके पहले भी जब यह जवाब के लिए आया था तो यहां पर यह कहा गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है । अब यह १५, १६ दिन के बाद आ रहा है तब फिर यह कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह एक स्टेशन से संबंधित है और मंत्री जी को यह जानकारी होगी कि ऐसे कर्मचारी रखे गए हैं जो नियमों को तोड़कर रखे गए हैं । उनको २५० रुपया जमा करना चाहिए था और बाद को और देना चाहिए था लेकिन वह नहीं लिया गया और वे आज भी कार्य कर रहे हैं तो जिन अफसरों ने ऐसा किया है सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सवाल पिछली बार आया था लेकिन यह इतनी डिटेल का सवाल है जिसमें जनरल बातों को जानने की आवश्यकता है । किस समय तक किसने कहां काम किया यह सब बात रिकार्ड छानने के बाद ही मालूम हो सकती हैं । इसमें दिक्कत है । दूसरे यह बात है कि ये जो रखे जाते हैं उनमें कुछ पोस्ट जमानत की होती हैं और कुछ बिना जमानत के होती हैं । किसी ने अगर जमानत की पोस्ट पर कुछ दिन काम किया तो वह फिर दूसरी जगह चला जाता है । इस तरह यह डिटेल का सवाल हो जाता है । एक सप्ताह इसके लिए दिया गया था जो समय कम था । मैं आशा करता हूं कि अगले सप्ताह तक यह उत्तर आ जायगा ।

रोडवेज ड्राइवरों के लिये पुरस्कार तथा टेक्नीशियन का प्रशिक्षण

*२—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुर्घटना शून्य परिचालन के अपने व्यक्तिगत रिकार्ड पर नकद पुरस्कार देने की विभाग की जो योजना है सन् १९६३-६४ मे इस योजना द्वारा किन-किन को कितना पुरस्कार दिया गया और उनका व्यक्तिगत रिकार्ड क्या था ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३---श्री रामसुन्दर शास्त्री (अनुपस्थित)---

क्या रोडवेज टेक्नीशियन के विशेष प्रशिक्षण के लिए हमारे प्रदेश में सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

जी हां, रोडवेज के जिन कर्मशालाओं में ऐसे प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी सूची संलग्न है । प्रश्न का अन्य भाग नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८८ पर)

जुडीशियल आफिसर, फतेहपुर की अदालत में इस्तगासे तथा अदालती फार्म

*४---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४ के वित्तीय वर्ष में कितने इस्तगासे जुडीशियल आफिसर, फतेहपुर के न्यायालय में दायर हुए और उनमें स कितने व कौन खारिज कर दिए गए हैं और क्यों ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

कुल १३५ इस्तगासे दायर हुए थे । उनमें से ५५ अदम पैरवी में तथा १६ दफा २०२ जा० फौ० की जांच क बाद दफा २०३ जा० फौ० क अन्तर्गत खारिज हुए थे । खारिज किए गए इस्तगासों की सूची† संलग्न है ।

*५---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या न्याय मंत्री को पता है कि मुचलकों और जमानतों के सस्ते व सुलभ फार्म प्रांत भर के लिए सरकार द्वारा निर्धारित होने पर भी जिला फतेहपुर को जुडीशियल आफिसर ने उन्हें अमान्य घोषित कर के अपने-अपने न्यायालयों में विभिन्न मजमूनों के कीमती फार्म बनवाएं है ? यदि हां, तो ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय दंड विधान की धारा १४७, ३९४, ४५२, २१८, ४३०, ३७९, ४९८ के मुकदमे जो सूची में दिए गए हैं यह पुलिस चालानी मुकदमे होने चाहिए थे लेकिन पुलिस के न चलाने पर मुस्तगीस ने चलाए और खारिज कर दिए गए ? मैं जानना चाहता हूं कि ये मुकदमे पुलिस ने क्यों नहीं चलाए ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---

मैं न्याय मंत्री की हैसियत से नहीं बतला सकता हूं कि पुलिस क्यों नहीं चला सकी । अदालत में इस्तगासे की शक्ल में आए उनका क्या नतीजा हुआ यह मैंने बतला दिया ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो इस्तगासे दायर हुए इनमें २०२ का सबूत लिया गया या पुलिस ने इन्क्वायरी के लिए भेज दिया ?

श्री सैयद अली जहीर--

२०२ का सबूत हमेशा अदालत में होता है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ६ मुकदमे २०२ का सबूत लेने पर खारिज किए गए तो क्या २०२ के सबूत में कोई कमी थी या २०२ का सबूत दिया नहीं गया था जो खारिज किए गए और जब २०२ का सबूत पूरा दिया गया तो मुलजिम को तलब करके दोनों पक्षों के सुनने के पहले क्यों खारिज किय गये ?

श्री अध्यक्ष--

यह अदालती कार्यवाही है । इस पर टीका नहीं हो सकती ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

अगर अदालत चाहे तो इंक्वायरी के लिए पुलिस को भेज सकती है । तो यह मामले खारिज किए गए हैं और पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगायी है तो क्या ये पुलिस को इंक्वाययरी के लिए भेजे गये थे ?

श्री अध्यक्ष--

पुलिस की इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट अदालत में ही जाती है और वही फाइनल आर्डर करती है ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

२०३ में खारिज हुए लेकिन २०३ में पुलिस को भेज दिए जाते हैं और वह लिख देती है कि गवाहों ने..

श्री सैयद अली जहीर--

यह तो बहुत तफसील की बात है । अगर किसी खास केस की बात हो तो मैं बतला सकता हूं ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या यह सही नहीं है कि इस तरह के मुकदमे इसलिए खारिज हो जाया करते हैं कि पुलिस अपने प्रभाव द्वारा उन गवाहों को तोड़ दिया करती है ?

श्री सैयद अली जहीर--

मेरा खयाल तो ऐसा नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

सी० आर० पी० सी० में यह प्रोसीजर लेड डाउन है कि ऐसा इस्तगासा दायर होने पर २०२ का सबूत दे दें या पुलिस से रिपोर्ट मंगा लें या सुओमोटा प्रोसीड करें । तो इस सिलसिले में सरकार की पालिसी क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर--

अदालतें आजाद हैं, जैसा ठीक समझती हैं करती हैं ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

२९ नवम्बर, १९६४ को मैंने एक परचा निकलवाया था और रेकार्ड में यह जमानत और मुचलके के फार्म मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के फार्म चलाने का आधार क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—

सवाल था कि जुडीशियल अफसरों ने अपने-अपने न्यायालयों में विभिन्न किस्म के ये फार्म बनवायें हैं। लेकिन बात यह नहीं है। वाकया यह है कि फार्म दो तरह के होते हैं— एक ट्रायल के और दूसरे इंक्वायरी के। जो स्टांप वेंडर थे उन्होंने फार्म की कमी होने पर साइक्लो-स्टाइल करा के इन्क्वायरी के फार्म भी रख लिए और वह देते थे। लेकिन यह सही नहीं है कि जुडीशियल अफसरों ने फार्म छपवाए।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जो फार्म सरकार की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड हैं उनका प्रोफार्मा वहां बदल दिया गया है और जो फार्म उन्होंने छपवाए हैं उनकी कीमत एक रुपया और आठ आना है और वे रेकार्ड में भी हैं। तो किस आधार पर मंत्री जी कहते हैं कि वे फार्म नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी का कहना है कि फार्म जो प्रेस्क्राइब्ड हैं वही छपे हैं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

यह सही हो सकता है कि यह किसी जुडीशियल आफिसर ने नहीं छपवाए, लेकिन एक बात सर्वमान्य है कि हर जगह जमानत और मुचलके के प्रेस्क्राइब्ड फार्म हैं, तो क्या फतेहपुर म फार्म अवेलेबिल नहीं थे इसलिए दूसरे फार्मों पर जमानत दी गयी या इनके अलावा किन्हीं मुकदमों में किन्ही और फार्मों में जमानत ली गयी ?

श्री सैयद अली जहीर—

मैं जहां तक समझता हूं, फार्म एक ही होता है। बाज फार्म पर जब अदालत खुद जमानत देती है तो काट कर बदल देती है, लेकिन अगर पहले से दरख्वास्त दी जाती है तो पेटीशन राइटर्स अलग से फार्म बनवाए रहते हैं और उसमें ट्रायल के बजाय इंक्वायरी छपा रहता है। अगर ट्रायल के अलावा इंक्वायरी का मामला हो तो अदालत काट कर इंक्वायरी कर देती हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी जांच करवायेंगे कि जो फार्म जमानतों के छपे हैं उनके मजमून अलग-अलग हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

इसके मुताल्लिक इंक्वायरी नहीं की गयी है, सवाल से मुताल्लिक भी नहीं था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इसमें स्पष्ट लिखा है कि सरकार द्वारा निर्धारित होने पर भी जिला फतेहपुर के जुडीशियल आफिसर ने उन्हें अमान्य घोषित करके अपने-अपने न्यायालयों में विभिन्न मजमूनों के कीमती फार्म बनवायें हैं, तो क्या मंत्री जी फिर से जांच करायेंगे कि क्या उन सब फार्मों के मजमून अलग-अलग हैं और यह सरकारी नियमों की अवहेलना हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि अलग-अलग नहीं हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—

खाली ट्रायल और इंक्वायरी का फर्क है ।

[१७ अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परसिया गांव की सिंचाई

*१—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव परसिया के दक्षिण तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में जो नाला मैसौड़ा बांध में आता है उस पर एक बांध बनाकर गांव परसिया के सिंचाई की योजना विचाराधीन है या कुंडा रबजहा से जो माइनर चकरघटा को जाती है, उससे माइनर बढ़ाकर परसिया गांव के सिंचाई की योजना है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

ग्राम परसिया के दक्षिण तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी की सिंचाई हेतु किसी नाले पर बांध बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। चकर घाट्टा के लिए कूड़ा रजवहा से कोई माइनर नहीं जाती है । परसिया गांव की सिंचाई इस समय कूड़ा रजवाहा के कुलाबा नं० १० व ११ से होती है । अतएव किसी बनी हुई माइनर को बढ़ाकर ग्राम परसिया तक पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव झंझोर व खरगपुर, परगना कोल असला, जिला वाराणसी म एक ट्यूबवैल लगाकर सिंचाई की योजना विचाराधीन ह ? यदि हां, तो कब तक ट्यूबवैल लग जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं ।

श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो वर्षों में यानी सन् ६३ और ६४ में परसिया गांव में कितन एकड़ की सिंचाई हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना इस समय नहीं है, इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री ऊदल—

उत्तर में बताया गया है कि कुलाबा नं० १० और ११ से सिंचाई होती है । तो यह तो रेकार्ड होगा ही कि पिछले दो वर्षों में कितनी सिंचाई हुई है । मेरी सूचना यह है कि वहां सिंचाई होती ही नहीं, सरकार के पास गलत रिपोर्ट आयी है । तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे और यदि वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो क्या वहां एक छोटा बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसके लिए माननीय सदस्य हमसे बात कर लें, उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री ऊदल--

इस गांव में सिंचाई होती ही नहीं और न उसके मंत्री जी के पास आंकड़े हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अगर वहां सिंचाई नहीं होती तो क्या मंत्री जी वहां पर छोटी बंधी बनाने के मेरे सुझाव को मान लेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हम तो आप की बात को सही मानते हैं। आप बात कर लें, विचार कर लेंगे और उसको देख लेंगे।

*३-४--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

[आश्वासन समिति के बिचाराधीन होने के कारण हटा दिये गये।]

उसहत बांध पर ठोकरें बनाने का काम

*५--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सत्य है कि बदायूं जिले में गंगा नदी के उसहत बांध के टूट जाने के कारण पिछली दो बरसातों में बाढ़ आई और बड़ी क्षति हुई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी हां।

*६--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त बांध के स्थान पर ठोकरें बनाने का काम पिछले साल सरकार ने शुरू किया था जो पूरा नहीं हो सका है और इस बरसात में वही खतरा फिर उपस्थित है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस बांध के स्थान पर नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिये ठोकरें बनाने का कार्य पिछले वर्ष आरम्भ किया गया था किन्तु सीमेन्ट के अभाव के कारण पूरा नहीं हो सका। इस वर्ष एक रिटायर्ड बांध बनाया जा रहा है जिसके बन जाने पर यह खतरा कम हो जायेगा।

*७--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ठोकरें इस कारण नहीं बन सकी हैं कि वहां तक सामान पहुंचाने के लिये कादर चौक सड़क से बांध तक सर्विस रोड को पक्का करना जरूरी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांध के टूट जाने से जिन काश्तकारों की फसल नष्ट हो गयी है उनको सरकार द्वारा क्या क्या मदद दी गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस प्रश्न का जवाब तो पारसाल दिया जा चुका है कि क्या क्या सहायता दी गयी है। यह बहुत पुराना मसला हो गया है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां पर मजबूत बांध कब तक बन जावेगा जिससे वहां पैदा होने वाला खतरा दूर हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेन्ट है उससे इसकी जांच कराई गई थी। उन्होंने कुछ सुझाव दिये, वहां पर बांध बनाने के बारे में। पर क्योंकि नदी ने अपना कोर्स बदल दिया इसलिये रिसर्च को मामला फिर भेजा गया है। उन्होंने कुछ और सुझाव दिये हैं, उनको दिखला रहे हैं।

चोपन में बिजली के ट्रान्सफार्मर में खराबी

*८---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चोपन (मिर्जापुर) में ४ मई, सन् १९६५ को ८० हजार रुपया का एक बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया जिसकी वजह से ३ दिन तक पानी व बिजली नार्दर्न रेलवे के चीफ आफिस, रेलवे स्टेशन को तथा आम जनता को नहीं मिली और ओबरा की योजनाओं को काफी क्षति हुई है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? क्या चोपन में पिछले १० माह से ३ ट्रांसफार्मर जल गये हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

४-५-१९६५ को ५०० के० वी० ए० ६.६.११ के० वी० का चोपन सब-स्टेशन का ट्रांस्फार्मर, जिससे रेलवे तथा चोपन नगर को विद्युत् सप्लाई दी जा रही थी, खराब हो गया। चूंकि इस रेश्यो (Ratio) का दूसरा ट्रांस्फार्मर उपलब्ध न था इसलिए राबर्ट्सगंज सब-स्टेशन को चोपन को ११ के० वी० पर विद्युत सप्लाई देने का प्रबन्ध किया गया। इसमें ५८ घन्टे ११ मिनट लगे। परन्तु रेलवे की सप्लाई को रेलवे के चोपन स्थित डीजल पावर हाउस से चालू कर दिया गया और ओबरा की योजनाओं को पिपरी से सप्लाई देने का प्रबन्ध कर दिया गया जिस से ओबरा की योजनाओं को कोई क्षति नहीं पहुंची। नगर की सप्लाई ५८ घंटे ११ मिनट बाद ही पुनः चालू की जा सकी जब राबर्ट्सगंज की तरफ से प्रबन्ध हुआ।

इससे पहले केवल एक ट्रांसफार्मर चोपन सब-स्टेशन पर खराब हुआ था जिसे ४-५-१९६५ को खराब हो जाने वाले ट्रांसफार्मर से बदला गया था।

श्री ऊदल---

४-५-६५ को ५०० के० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर खराब हो गया। क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि खराब नहीं हुआ और पूरा का पूरा जल गया? उसकी लागत कितने रुपये की थी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

४-५-६५ को जो खराब हुआ था वह एक छोटा ट्रान्सफार्मर था। वहां एक छिपकली घुस गई थी जिससे वह खराब हो गया। इस तरह का ट्रान्सफार्मर वहां बनाया नहीं जा सकता। इस तरह के ट्रान्सफार्मर तो साधारणतया बनते नहीं। इसलिये कितनी कीमत का था, इसकी सूचना नहीं है। लेकिन हम इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि जो साधारणतया मिलते हैं वे ही लगा दिये जायं जिससे आगे को होने वाली दिक्कत न हो।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इस स्थान पर इससे पहिले भी एक ट्रान्सफार्मर ८० हजार रुपये का जल गया था, खराब हो गया था और यह दोबारा जल गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ५८ घंटे तक बिजली बन्द रही, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच व्यौरेवार करायेंगे और जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

छिपकली के साथ कैसे दन्ड प्रयोग किया जा सकता। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि छिपकली से ही ऐसा हुआ था।

श्री ऊदल--

अब की बार, श्रीमन्, छिपकली चली गई थी, इसे मैं मान लेता हूं लेकिन जो ८० हजार का जल गया था उसमें तो छिपकली नहीं गयी थी। किसी कर्मचारी की असावधानी से अगर वह जला हो तो आगे ऐसा न हो, इसकी व्यवस्था क्या माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

पहिले क्यों जला था उसकी भी सूचना है। उसकी जांच की आवश्यकता नहीं है। वह हम जानते हैं और उसकी व्यवस्था हमारे पास है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

सारे रिहन्द की डिस्ट्रिव्यूशन व्यवस्था में, मालूम होता है, कहीं न कहीं ऐसी खराबी आ गई है जिससे पूर्वी जनपदों में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। १६-१७-१८ से गाजीपुर में ऐलान हुआ ह कि पानी नहीं दिया जावेगा क्योंकि बिजली खराब है। श्रीमन्, असम्बली हाउस में जहां १०० पंखे चल रहे हैं वहां हम पानी की बन्दी के कारण तरस रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसकी हाई लेविल इन्क्वायरी करायेंगे कि बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से है। बिजली के पानी की शिकायत इसलिये है कि जो नई बिजली लाईन लग रही है उनके लिये स्टेशन बन्द करना पड़ता है परन्तु लोग समझत हैं कि लाइन ही बन्द हो गई। जहां लाइनें खराब हो जाया करती थीं उनको बन्द करके मजबूत करके बनायें ऐसी हमारी योजना है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि छिपकली उसके अन्दर चली गई थी तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि इन छिपकलियों को गिरफ्तार कर लें ताकि आइन्दा ट्रांसफार्मर खराब न हों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आपसे जरूर इसके लिये सलाह ले लेंगे। आप भी माननीय सदस्य हैं, अगर आप कोई सलाह देंगे तो जरूर उसे मानेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

यह देखते हुए कि ८० हजार का ट्रांसफार्मर एक छिपकली के घुस जाने की वजह से जल गया, क्या माननीय मंत्री जी उस फर्म को लिखेंगे जिसने कि ऐसा ट्रांसफार्मर दिया था जिसमें ऐसा डिफेक्ट था कि जिसके कारण यह घटना हुई और इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बात ऐसी नहीं है। ट्रांसफार्मर के साथ में एक ११ के० वी० सी० टी० एस० था जिसमें छिपकली चली गई जिससे स्पार्क बन गए और वह दूसरा मिलता नहीं जिससे यह परिस्थिति पैदा हुई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

जब कि ट्रांसफार्मर चारों तरफ से बन्द होता है तो उसमें छिपकली किस प्रकार से घुस गई ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

वह उसे ट्रांसफार्मर कह रहे हैं, अगर कहिए तो मैं उसका नाम बता दूं, ११ के० वी० सी० टी० एस०.....

श्री अध्यक्ष---

अगर आप इंजीनियर हैं तो बता दें अथवा कह दें कि जिस चीज में छिपकली घुसी थी वह आप नहीं जानते ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

वह ११ के० वी० सी० टी० एस० है जो ट्रासफार्मर के साथ रहा करता है उसके अन्दर वह चली गई जिससे स्पार्क पैदा हो गए। यह पुराने वाले ट्रांसफार्मर में है। साधारणतया यह नहीं हुआ करता ।

लखनऊ व कानपुर रोडवेज क्षेत्र में कर्मचारियों का भत्ता

*९---श्री रघुवीरसहाय कैथवार तथा श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ क्षेत्र के कितने रोडवेज कर्मचारियों को तरक्की का कितना पैसा कितने समय का बाकी है और उसे अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

*१०---क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर क्षेत्र के किन कर्मचारियों व अधिकारियों की टी० ए० की कितनी-कितनी रकम कब से देना बाकी है और किनको अदा कर दी गई ह ?

*११---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ से अब तक कितने कर्मचारियों ने अपनी तरक्की, वेतन, व टी० ए० की अपील उक्त परिवहन आयुक्त के यहां की है और उन अपीलों का क्या निर्णय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

लखनऊ, कानपुर रोडवेज डिपो से संबंधित अधिकारियों ने चार छः साल से उनकी तरक्की आदि का पसा नहीं दिया ह और इन प्रश्नों के आने के बाद भी एक महीने से ज्यादा हो गया अब तक सूचना नहीं दी और इसमें टालमटोल करना चाहत ह तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र होकर आ जायगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

यह सूचना दो हफ्ते में तो आ ही जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय परिवहन मंत्री को पता है कि सारे उत्तर प्रदेश में रोडवेज के कर्मचारियों के वेतन के बहुत से बिल और उनको जो इनाम आदि मिले हैं तथा भत्ते और ओवर टाइम

वगैरह के बहुत से बिल सैक्शन नहीं हो पा रहे हैं आपके सेंट्रल आफिस से और साल-साल डेढ़-डेढ़ साल से रुपया बकाया पड़ा है, इससे उनमें बड़ा असन्तोष है तो इसकी कोई जांच करायेंगे जिससे इसमें शीघ्रता हो सके ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अब यह जो माननीय सदस्य ने फरमाया है यह बात तो सही है कि कई जगह पेमेन्ट में डिले होती है। लेकिन यह मैं नहीं मानता इतनी डिले होती है। अगर कहीं ऐसी डिले होती है तो उसकी जांच की जाती है और अगर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करते हैं तो उस पर कार्यवाही होती है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है और उसके बाद वह हंसे। इसका मतलब यह है कि वह इसकी सूचना नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो, जवाब देने के बाद वह हंसे क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

हंसी के ऊपर उनका काबू नहीं है।

जिला मुरादाबाद में नलकूपों को बिजली

*१२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में १ जून, १९६४ के बाद किस-किस को ट्यूबवेल के लिये बिजली मिली ?

*१३—क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उनमें से किस-किस तारीख को बिजली मिलने वाली लोगों को कनेक्शन मिल चुके हैं और जिन लोगों को नहीं मिले हैं उसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

यह सवाल १७-७-६५ को दिया गया था, एक महीना हो गया और एक जिले से संबंधित प्रश्न है अभी तक सूचना एकत्र नहीं कर पाये, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक इसकी सूचना आने वाली है और कब वह इसको सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे यहां हजारों ऐप्लीकेशन्स आया करती हैं इसलिये समय लगता ही है।

श्री अध्यक्ष—

मेरा माननीय मंत्रिगण से निवेदन है कि १५ या २० दिन में जवाबी सूचना हमारे नियमों के अनुसार आ जानी चाहिये। एक मर्तबा हमारे सचिवालय में सूचना एकत्रित करने के लिये समय ले लिया जाता है। दूसरी बार जब आप यह कहें कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो कृपा करके उसका कारण भी बतला दिया करें। इससे माननीय सदस्यों को कारण मालूम हो जायगा बजाय इसके कि इसके लिये आपसे प्रश्न हों।

स्याना क्षेत्र में बिजली

*१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में ग्राम काचरौट, ग्राम थौना, ग्राम कनौना, ग्राम जवासा, ग्राम लाड़पुर, ग्राम वलीपुर, ग्राम भैंसोड़ा, ग्राम रानापुर, ग्राम बिगराँव, ग्राम लड़ाना, ग्राम चान्दपुर, ग्राम मूडीबकापुर, ग्राम सुर्जपुर टीकरी में विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायगा ? जब कि उक्त ग्रामों की जन संख्या कई-कई हजार की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इन ग्रामों का १९६५-६६ में विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है। अगले वर्ष इन ग्रामों के विद्युतीकरण पर बिचार किया जायेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

विधान सभा क्षेत्र सयाना के जिन गावों में ६५-६६ में बिजली देने का आश्वासन यहां दिया गया और आशा भी प्रकट की गई, वहां का विद्युतीकरण क्यों रोक दिया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पैसे की कमी हुई। दूसरे, ऐसा नियम बना रहे हैं कि जिलाधीश, जिला परिषद् के अध्यक्ष, डी० पी० ओ०, लोकल एम० एल० ए० इत्यादि से भी सलाह ले लें कि पहले कहां बिजली लगाई जाय ताकि कृषि और उद्योग को प्रोत्साहन अधिक मिले।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जब मंत्री जी पहले ही आश्वासन दे चुके हैं तो उनका विद्युतीकरण न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

पहले क्यों नहीं सोचा कि रुपया नहीं है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सोचते तो हम हैं। अभी नहीं होगा तो अगले साल विद्युतीकरण हो जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

सरकार ने कुछ ऐसी नीति बदली है कि १५ परसेन्ट लोड गांव में पहले एश्योर हो जाय तब बिजली देंगे। यह लोड उत्तर प्रदेश के किसी गांव से पहले एश्योर होना नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार गांवों में बिजली नहीं पहुंचाना चाहती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

हम सबसे पहले कृषि और उद्योग को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सिर्फ रोशनी और पंखों के लिये अभी वहां बिजली देने की जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से बिजली दी जायगी।

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

यदि किसी बाजार से १ मील के फासले पर गांव को बिजली की लाइन जाती है तो क्या पहले उस बाजार को लाइन से मिलाने की कृपा करेंगे जिससे उद्योग धंधों को चलाने में सुविधा हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

लोकल लोगों से सलाह लेकर बिजली दी जायगी ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

गांव वाले खर्च बरदास्त नहीं कर सकते । इसलिये जहां सरकारी लाइन जा रही है वहां १ मील तक के बाजार को क्या सरकार अपने खर्च से मिलाने की कृपा करेगी ? यह मेरा सवाल है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सरकार तो खर्चा देती ही है। लेकिन इस ख्याल से कि कम खर्च से ज्यादा फायदा हो सके, हम लोकल लोगों से सलाह लेते हैं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार ने ऐसे आदेश भेजे है कि अगर किसी गांव के १० व्यक्ति भी बिजली का मीटर लगाने के लिये तैयार हों तो पहले उस गांव में बिजली लगाई जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मुझे सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

प्लानिंग अफसर, डी० एम० या एम० एल० ए० जिस किसी की सिफारिश पर भी बिजली लगाने की बात कही जा रही है उसका माध्यम क्या है ? अगर आर्थिक है, तो सब से पिछड़े इलाकों में या जहां बेरोजगारी ज्यादा है वहां बिजली सबसे पहले और रिआयत करने न देने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

पिछड़े हुए इलाके में और जहां ज्यादा फायदा हो सकता है वहां बिजली देने की सोच रहे हैं ।

श्री शारदाभक्त सिंह--

क्या मंत्री जी कोई ऐसी समिति बनाना चाहते हैं जिसमें बैठकर लोगों की राय ली जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस पर भी सोच रहे हैं ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

बहुत से गांवों में जहां लट्ठे गड़ गये हैं और तार भी खिच गये हैं वहां ट्रांसफार्मर्स की कमी के कारण बिजली नहीं दी जा रही है और ६, ६ और ८, ८ महीने हो गये हैं, इसका क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इसका इन्तजाम हो रहा है ।

श्री जे० पी० मिश्र--

क्या उन जिलों की तरफ भी सरकार की तवज्जह हो सकती है जिनमें बिजली बहुत कम परसेंटेज में है दूसरे जिलों के मुकाबले में और क्या हरदोई का बिचार करने के लिये भी सरकार तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका ध्यान रखा जायगा ।

रोडवेज कार्यशाला, बरेली के कर्मचारियों को असुविधायें तथा टनकपुर क्षेत्र में हिल ड्राइविंग लाइसेंस

*१५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि बरेली की परिवहन विभाग की क्षेत्रीय व उप-क्षेत्रीय कार्यशाला में २५० से ऊपर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं परन्तु उनके लिये फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार विश्राम व जलपान गृह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां तो क्यों ?

श्री हरी दत्त काण्डपाल—

क्षेत्रीय कार्यशाला में जगह की कमी के कारण विश्राम गृह व जलपान गृह की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब चूंकि नई जमीन का इन्तजाम हो गया है इसलिये वहां इन चीजों की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

उप क्षेत्रीय कार्यशाला में २५० से कम कर्मचारी काम करते हैं। अतः वहां ऐसी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

*१६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली से १९६४ के उत्तरार्द्ध में बहुत से चालक टनकपुर रीजन (यातायात) में ऐसे भेज दिये गये जिनके पास पर्वत पर चलने के लिए उपर्युक्त ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं थे? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

बरेली रीजन से टनकपुर भेजे गए केवल दो ड्राइवरों के पास हिल ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था। इन दोनों के ड्राईविंग लाइसेन्स जब तक हिल इंडोर्स्ड (Hill endorsed) न हो जाए तब तक इन्हें पर्वतीय मार्ग पर गाड़ी चलाने के लिए न भेजने की व्यवस्था की गई थी।

*१७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि हिल ड्राईविंग लाइसेन्स रखने वाले ड्राइवर बरेली में उस समय मौजूद थे जबकि बरेली से टनकपुर क्षेत्र में हिल ड्राईविंग लाइसेन्स वाले व्यक्ति भेजे गए? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। बिला हिल इंडोर्स्ड (Hill endorsed) लाइसेन्स ड्राइवर स्टेशन और वर्कशाप में शंटिंग और आउट शेडिंग के लिए भेजे गए थे। ड्राइवरों की शीघ्र आवश्यकता थी अतएव जो ड्राइवर आसानी से टनकपुर जा सकते थे उन्हें भेजा गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त क्षेत्रीय कार्यशाला जो बरेली में है उसमें अस्थाई और स्थायी सब कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

क्षेत्रीय कर्मशाला में २५० से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, ऐक्चुअल फिगर्स में नहीं बता सकता।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

उत्तर में लिखा है कि २५० से कम कर्मचारी कार्य करते हैं लेकिन अभी माननीय मन्त्री जी ने जो सूचना दी, उससे मैं जानना चाहता हूं कि जब उनको ऐक्चुअल फिगर्स नहीं मालूम तो उन्होंने यह किस आधार पर कहा है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

मैंने कहा कि क्षेत्रीय कर्मशाला में २५० से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, इसलिए वह कानून के मुताबिक व्यवस्था की जायगी। अब स्थान उपलब्ध हो गया है। उपक्षेत्रीय कर्मशाला में २५० से कम कर्मचारी कार्य करते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह नयी जमीन का जो इन्तजाम हो गया है उसमें दोनों चीजें कब तक बना दी जायेंगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

वर्कशाप बन रहा है। उसके साथ उसका भी खयाल रखा जायगा कि इसके लिए इमारत बन जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब उन लोगों के पास हिल ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तो फिर उनको टनकपुर क्यों भेजा गया, जबकि आप कहते हैं कि जिनके पास हिल ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था उनको नहीं भेजा गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

स्थिति यह है कि हिल ड्राईविंग के लिए वही भेजे जाते हैं जिनके पास वहां का ड्राईविंग लाइसेन्स होता है लेकिन २-१ आदमी ऐसे भी रहते हैं जो केवल शंटिंग आदि करते हैं। क्योंकि वहां की इमीजिएट डिमांड थी और ऐसे ड्राइवर उपलब्ध नहीं थे जिन पर हिल ड्राईविंग का लाइसेन्स हो। इसलिए जो ड्राइवर वहां उपलब्ध थे उनको भेज दिया गया और उनको लिख दिया गया उनसे उस समय तक ड्राईविंग न कराई जाय जब तक उनका हिल ड्राईविंग लाइसेन्स एन्डोर्स न हो जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, स्थिति यह है बरेली का जनरल मेनेजर और असिस्टेन्ट जनरल मेनेजर वहां के कर्मचारियों को तंग करते हैं। वहां उनका संघ बना है। उस संघ के पदाधिकारियों को वे तंग करते हैं। इसलिए जिनके पास हिल ड्राईविंग का लाइसेन्स था उनको न भेज कर इनको भेजा गया जिनके पास वह नहीं था। क्या माननीय मन्त्री जी इस घटना की जांच करा कर सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

हमारे पास तो यही सूचना है कि हिल ड्राईविंग लाइसेन्स वाला वहां कोई उपलब्ध नहीं था। अगर माननीय सदस्य का ऐसा खयाल है कि किसी मोटिव से उनको भेजा गया, तो अगर माननीय सदस्य उसको लिख कर देंगे, उस पर जांच करा ली जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी इस बात का ध्यान रखगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी ड्राइवर रखे जायं वह हिल ड्राईविंग लाइसेन्स प्राप्त हों ताकि जो आए दिन पहाड़ों में दुर्घटनायें होती हैं वह न हों?

श्री मुजफ्फर हसन––

पहाड़ों में सिर्फ वही ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं जिन के पास हिल ड्राईविंग लाइसेन्स मौजूद रहता है। यह शायद बरेली से १६ आदमी भेजे गए थे उसमें से १४ ऐसे थे जिन के पास हिल का ड्राईविंग लाइसेन्स मौजूद था, २ ऐसे थे जिन के पास हिल का लाइसेन्स नहीं था। वहां इमर्जेन्सी में कुल ३३ आदमी पहुंचे थे लेकिन वहां ड्राइवरी के अलावा कुछ ऐसे काम भी थे जो गाड़ी चलाने के नहीं थे वह उसमें लगे रहे लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ खास तौर से कोई ज्यादती हुई है उस के बारे में माननीय सदस्य बतायेंगे तो उस को देख लेंगे।

श्री राजनारायण मिश्र––

इमर्जेन्सी के अवसरों को देखते हुए क्या मन्त्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि समतल के ड्राइवरों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाय कि वे भी हिल्स पर ड्राईविंग का काम कर सकें और इमर्जेन्सी के वक्त उन को वहां भेज दिया जाया करे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल––

ऐसा ट्रेनिंग भी कुछ लोगों को दी गई है और इस तरफ हमारा ध्यान है।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

जिन व्यक्तियों के पास लाइसेन्स नहीं थे क्या उन से कोई अनुमति ली गई थी कि वह हिल ड्राईविंग के लिए जाने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष––

यह तो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जैसे बिना ड्राइवर की अनुमति लिए वह भेज ही नहीं सकते.....

श्री हरीशकुमार गंगवार––

मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हिल ट्रेन्ड ड्राइवर्स मौजूद थे तो उन को न भेजकर अनट्रेन्ड को क्यों भेजा ?

श्री अध्यक्ष––

वह तो उन्होंने बता दिया। वह कह रहे हैं कि ड्राइवरों की शीघ्र आवश्यकता थी। इसलिए जो आसानी से टनकपुर जा सकते थे उन्हें भेज दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

जब हिल ड्राईविंग लाइसेन्स वाले व्यक्ति मौजूद थे तो उन को भेजने में क्या परेशानी थी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल––

उत्तर में जो कहा गया है कि 'जी हां, मौजूद थे' उसका मतलब हम यह समझे थे कि इस रीजन में ऐसे ड्राइवर मौजूद थे लेकिन जनरल मैनेजर के हेड क्वार्टर पर जो होते उन्हीं में से भेजते, इत्तिफाक से और कोई नहीं थे वही मौजूद थे उन्हीं को भेज दिया गया टनकपुर के लिए।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

बरेली हेडक्वार्टर पर उस वक्त ३२ आदमी हिल लाइसेन्स वाले मौजूद थे, इस बात को सही मानकर क्या मन्त्री जी फिर से जांच करायेंगे कि अधिकारियों द्वारा इन छोटे कर्मचारियों को तंग करने के लिए वहां भेजा जा रहा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

अगर उन्होंने तंग करने के लिए किया है तो प्रार्थना है कि अगर माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा।

उर्दू में दरख्वास्त देने की इजाजत

*१८--श्री रियासत हुसैन--

क्या न्याय मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों की अदालतों में इस प्रकार के आदेश जारी किए जा चुके हैं कि उर्दू में भी कार्य किया जाय यदि दरख्वास्त उर्दू में हो ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इस प्रकार के कोई आदेश नहीं जारी किये गये।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकुलर जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ८ जिलों में जिनमें लखनऊ, मुरादाबाद और रामपुर वगैरह आते हैं उन में उर्दू में काम किया जाय, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन आदेशों के पालन न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--

वह तो दूसरी चीज है। जो आदेश हैं वे ये हैं कि जो सरकार के नोटिफिकेशन और खास-खास कागज ईश्यू होते हैं वे उन में भी वहां जारी होंगे लेकिन जहां तक अदालत में कार्य करने का सवाल है उसके लिए अलग से आदेश हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपका एक रजिस्ट्रेशन विभाग है, उसमें उर्दू में दरख्वास्तें भी दी जाती हैं। कहीं-कहीं पर तो वे ले ली जाती हैं और कहीं-कहीं पर उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि कहीं-कहीं पर वे क्यों ले ली जाती हैं और कहीं--कहीं पर वे क्यों नहीं ली जाती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--

ज्यादातर इस किस्म के काम के लिए अगर कोई दरख्वास्त उर्दू में देता है तो वह उर्दू में ही ले ली जाती है लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही या जवाब हिन्दी में ही होता है।

स्याना क्षेत्र में पुनः निर्मित नलकूप

*१९--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में कितने राजकीय नलकूपों का वर्ष ,१९६३-६४ व १९६४-६५ में पुनः निर्माण किन-किन स्थानों पर किया गया और कितने राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिनके पुनः निर्माण करने की आवश्यकता है और वह किन स्थानों पर हैं और उनका पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस क्षेत्र में वर्ष १९६३-६४ में कोई नलकूप पुनः निर्मित नहीं हुआ। वर्ष १९६४-६५ में जो नलकूप पुनः निर्मित हुए और जिन नलकूपों के पुनः निर्माण की आवश्यकता है उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९८९ पर)

श्री मुमताजमूहम्मद खां--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में कितने ही नलकूप ऐसे हैं जिनका पुर्ननिर्माण होना चाहिए था पर बहुत थोड़े से ही नलकूपों का पुर्ननिर्माण किया गया है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यही उचित समझा गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं जानना चाहता हूं कि यह क्यों उचित समझा गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

"क्यों" का सवाल नहीं होता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो नलकूप खराब पड़े हुए हैं, उनमें कौन-कौन सी मुख्य खराबियां हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

कुछ नलकूपों में पानी की कमी हो जाती है और कुछ में और २ भी कारण हो सकते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

माननीय मन्त्री जी ने मुझे जो विवरण दिया है उसमें २-१ नलकूप ऐसे भी जोड़ दिए गए हैं जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना के नहीं हैं। तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

गलती हो गयी होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन-जिन नलकूपों का पुर्ननिर्माण किया जाता है क्या उनका बोरिंग ही किया जाता है, या उनके हौज व नालियों का भी पुर्ननिर्माण किया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--

बोरिंग का काम खास तौर से किया जाता है लेकिन अगर नालियों की भी जरूरत होती है तो थोड़ी बहुत नालियां भी बना दी जाती हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन नलकूपों का निर्माण किया गया है वहां पर उनकी नालियों को और हौजों को नहीं बनाया गया है जो कि सही प्रकार से नहीं चल रहे हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी इन नलकूपों के हौजों और नालियों के पुर्ननिर्माण की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

नालियों को ठीक रखने के लिए आदेश यहां से जारी किए गए हैं। जहां-जहां पर आवश्यकता होगी वहां-वहां पर नालियां बनाई जांयगी ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अपने उत्तर में मन्त्री जी ने कहा कि नलकूप खराब नहीं हैं, कुछ नलकूप पानी कम दे रहे हैं। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि स्याना निर्वाचन क्षेत्र में जो नलकूप आपकी सूचना के अनुसार पानी कम दे रहे हैं उनको ठीक करने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे जो नलकूप होते हैं उनकी कुछ उम्र होती है और उसके बाद धीरे-धीरे पानी कम देने लगता है और उसकी जगह दूसरा नलकूप बना देते हैं। तो जिनकी उम्र समाप्त हो गयी और पानी कम देने लगे इसलिए दूसरा नलकूप बनना था।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, जो प्रशासन के नलकूप हैं उनकी नालियां टूटी-फूटी रहती हैं, किसान परेशान रहते हैं तो क्या मन्त्री जी जानकारी में यह बात है कि उन नालियों में पूरा सीमेंट नहीं लगता है, ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी कोई ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे इंजीनियरों को जिससे कि वे स्वयं मौके पर रह कर उन नालियों का निर्माण करा सकें और पूरा सीमेंट लग सके ?

श्री गिरधारीलाल—

जहां तक नलकूप हैं इनका काम बहुत कुछ उतना सन्तोषजनक नहीं चल रहा था जैसा कि होना चाहिए था। इस वजह से सरकार के जो ८ या ९ हजार ट्यूब वेल्स हैं उनको एक विशेष अधिकारी के सुपुर्द किया गया है और साथ ही टेक्नीकल आडिट सेल सरकार के अधीन कायम की गयी है जो कि इन तमाम कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, राजकीय नलकूप के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति की एक उप-समिति ने कुछ जांच करके सिफारिशें सरकार को भेजी थीं कि स्ट्रेनर फट जाता है, १७ साल से पहले का ट्यूबवेल बन्द हो जाता है, पक्की नालियों में सीमेंट और मैटीरियल क्यों गड़बड़ लगता है। इस पर मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—

उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया हमने एक डाइरेक्टर रखा है और साथ ही साथ सीमेंट वगैरह ठीक मात्रा में लगे इन सब बातों की देख-भाल करने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक टेक्नीकल आडिट सेल स्थापित किया है जो जगह-जगह जा कर इसको एग्जामिन करेगा। यहां पर बैठकर जितना हो सकता है करने की कोशिश की जायगी।

झांसी में मिलिटरी ट्रक दुर्घटनायें

*२०—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी में थाना नवाबाद व सदर में नगर कोतवाली की हद में मिलिट्री के ट्रकों के द्वारा सन् १९६२ अप्रैल से १९६५ तक कितनी दुर्घटनायें हुयीं व कितने लोगों की जानें गयीं व सरकार द्वारा जन-सुरक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

२४ दुर्घटनायें हुयीं जिसमें चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

जन सुरक्षा हेतु गतिविधि की रोकथाम की जाती है, मुख्य स्थानों पर वेग गति सूचक बोर्ड इत्यादि लगवाए गए हैं। दोषी व्यक्तियों का चालान करके न्यायालय भेज दिए जाते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि मिलिटरी के ट्रकों के द्वारा २४ ऐक्सीडेंट्स हुए और उनमें ४ आदमियों की मृत्यु भी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मुकदमे न्यायालय में भेजे और कितने अपराधियों के विरुद्ध मिलिटरी वालों को कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा दी गयी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सन् १९६२ में ५ दुर्घटनायें हुयीं....

श्री लखपतराम शर्मा—

सुनाई नहीं दे रहा है जरा जोर से बोलें।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

दो मुकदमे मिलिटरी कोर्ट द्वारा तय हुए और बाकी मुकदमे सिविल कोर्ट ने किए हैं।

स्याना क्षेत्र के नलकूपों में खराबी

*२१—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में १ जनवरी सन् १९६५ से ३० जून सन् १९६५ तक कौन-कौन से राजकीय नलकूप केवल बिजली की खराबी के कारण कितने-कितने घंटे, कौन-कौन-सी तिथियों को बन्द पड़े रहे ?

श्री गिरधारीलाल—

कुल ७३ नलकूप बन्द रहे। इन नलकूपों से सम्बन्धित वांछित सूचना† सदन की मेज पर रक्खी है।

शोहरतगढ़ को बिजली देने की सिफारिश

*२२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शोहरतगढ़ एक अच्छी व्यापारिक मंडी है और बिजली आने से उसका औद्योगिक विकास शीघ्र हो जायगा, तो क्या सरकार बिजली पहुंचाने में शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित माप दण्ड से जिसके अनुसार १,००० जन संख्या पर डेढ़ मील लम्बी ११ के० वी० लाइन बनाई जा सकती है शोहरतगढ़, जिला बस्ती का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

*२३—श्री जसरामसिंह—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

†छापी नहीं गयी।

कानपुर क्षेत्र में बस ड्राइवर का बकाया धन

*२४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व रोडवेज डिवीजन, कानपुर के बस चालकों ने अपने बिलों के भुगतान न पाने पर सचिव, राजकीय रोडवेज यातायात कमिश्नर, जनरल मैनेजर, रोडवेज, रीजन कानपुर को दिसम्बर, १९६४ में नोटिसें दी हैं? यदि हां, तो उन नोटिसों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—

दो ड्राइवरों ने नोटिसें दी हैं। इन में से एक का भुगतान कर दिया गया है व दूसरे के भुगतान के लिए कार्यवाही की जा रही है।

*२५—श्री हिम्मतसिंह—

[२रे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६-२८—श्री कल्पनाथसिंह—

[५वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२९-३१—श्री मुहम्मद रफी खां—

[३रे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ४३-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३२-३३—श्री रामअधार कनौजिया—

[५वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*३४—श्री कमलासिंह यादव—

[३रे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

टाइम कीपरों को वर्दी न मिलना तथा ड्राइवरों को इनाम

*३५—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सिटी बस सर्विस में टर्मिनस पर बैठने वाले टाइम कीपरों को भी वर्दी दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

मोटर ट्रान्सपोर्ट वरकर्स ऐक्ट, १९६१ की धारा १० के अन्तर्गत टाइम कीपरों को वर्दी देने की व्यवस्था नहीं है।

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि अच्छी बस चलाने वाले को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत लखनऊ के कितने ड्राइवरों को पुरस्कृत किया गया है?

श्री मुजफ्फर हसन—

लगभग ५६० पुरस्कार ड्राइवरों को वितरित किये गये हैं।

*३७—श्री मन्नालाल—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

जहांगीरपुर–सिठाली नाला

*३८––श्री बेदराम (जिला एटा)––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला स्थित विकास खंड सहावर में जहांगीरपुर से सिठाली तक के नाले का कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा १९६४ में कराया गया था? यदि हां, तो उक्त नाला कब तक बन कर तैयार हो जाने की योजना है?

श्री गिरधारीलाल––

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा में नेशनल पार्क बनाने की योजना

*३९––श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६५ में केन्द्र सरकार से प्रदेश के पर्यटन केन्द्रों को आकर्षित बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है यदि हां, तो उक्त योजना की पूर्ण रूपरेखा क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है?

श्री मुजफ्फर हसन––

जी हां। आगरा में ताज और किला के क्षेत्र में एक नेशनल पार्क बनाने की योजना प्राप्त हुई है। योजना में प्रस्तावित कार्यों की सूची नत्थी 'क' में दी गई है।

प्रस्तावित कार्यों का कई विभागों से सम्बन्ध है। सम्बन्धित विभागों से मत मांगा गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९९० पर)

विधेयकों की भाषा

*४०––श्री मुमताज मुहम्मद खां––

क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार की ओर से जो विधेयक, विधान मण्डल में पेश होते हैं उनकी भाषा इतनी कठिन हिन्दी में होती है कि उनका समझना असम्भव होता है?

श्री सैयद अली जहीर––

विधेयकों की भाषा इतनी कठिन नहीं होती कि उनको समझा न जा सके।

*४१––श्री मुमताज मुहम्मद खां––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखेगी कि जो विधेयक प्रस्तुत किये जायं वह आसान हिन्दी में हों और जहां तक सम्भव हो सके कठिन शब्दों का प्रयोग न किया जाय?

श्री सैयद अली जहीर––

इस बात का बराबर ध्यान रखा जाता है कि विधेयकों की भाषा में यथासम्भव आसान हिन्दी रहे।

अतारांकित प्रश्न

नकल विभाग, सेशन्स जजी, फतेहपुर में कार्य की अधिकता

१––श्री रघुवीरसहाय कैथवार––

१६ फरवरी, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के क्रम में क्या यह सही है कि वित्त नियमावली खण्ड २ के नियम ११ में सेशन्स कोर्ट के नकल क्लर्कों से ढाई हजार अधिक शब्द

[श्री रघुवीर सहाय कैथवार]

प्रतिदिन लिखवाने को व्यवस्था नई है ? यदि हां, तो फिर ऐसे उत्तर का आधार क्या है और यदि ऐसी व्यवस्था है, तो उच्च नियमावली के खण्ड २ के नियम ११ को सदन की मेज पर रखते हुये कृपया बतायेगी कि किस प्रकार ?

श्री सैयद अली जहीर--

जी नहीं। वित्त नियमावली खण्ड २ के नियम ११ की प्रतिलिपि संलग्न है। सुचारु रूप से काम व्यवस्था करने के लिए वित्त नियमावली खण्ड २ के नियम ११ के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी (Proper authority) को अधिकार है कि बिना किसी ओवर टाइम भत्ते के सरकारी कर्मचारियों से किसी भी समय जो भी काम आवश्यक हो करा सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९९१ पर)

२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

उक्त दिनांक १६ फरवरी, १९६५ के प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या काम की अधिकता, क्लर्कों की कमी व टाइप राइटरों की खराबी और हाथ से चार-चार कापियां नकल कराने के कारण प्रत्येक क्लर्क को हाईकोर्ट के विरुद्ध ५ हजार शब्द प्रति दिन लिखने का आदेश इंचार्ज ने दिया है ? यदि हां, तो क्लर्कों व टाइप राइटरों की व्यवस्था न करने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--

मार्च सन् १९६४ में नक़ल विभाग सेशन्स जजी फतेहपुर में काम काफी पिछड़ा हुआ था इसलिए नकल इंचार्ज ने लिपिकों को पांच हजार शब्द प्रतिदिन लिखने का आदेश दिया था परन्तु इस आदेश का पालन नहीं कराया गया और अगस्त सन् १९६४ में जिला जज ने अपने आदेशानुसार प्रत्येक लिपिक की कारगुजारी तीन हजार शब्द कर दी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति और अतिरिक्त क्लर्कों तथा टाइप राइटरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन सजग रहा है। सेशन्स कचहरी फतेहपुर में कर्मचारियों की रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए और खराब अंग्रेजी टाइप राइटरों की जगह नय टाइप राइटर खरीदने की आवश्यक कार्यवाही यथा समय की जा चुकी है।

शाहजहांपुर में सैयद मसऊद हसन को काजी बनाना

३--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर के बड़े काजी जी की मृत्यु के बाद न्याय मंत्री जी ने किस को काजी घोषित किया है ?

श्री सैयद अली जहीर--

सैयद मसूद हसन को कुछ शर्तों पर, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, काजी नियुक्त किया गया है और मामला सरकार के विचाराधीन है।

४--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या दो काजी बनाये गये हैं ? यदि हां, तो दोनों के नाम क्या हैं और उनका काम किस तरह से बांटा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--

जी नहीं, केवल एक काजी नियुक्त किये गये हैं और मौल्वी मुजतबा हसन को सैयद मसूद हसन की सहमति से नायब काजी नियुक्त किया गया है। जिन शर्तों पर इन दोनों व्यक्तियों को काम करना है वे उनसे अभी तक तय नहीं हो पाई है, और मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मेड़ीलाल तथा श्री कृष्णा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री मेड़ीलाल एम० एल० ए० १६ अगस्त को बाराबंकी में गिरफ्तार किये गये और उनको दफा २२८ इंडियन पेनल कोड में सजा दी गयी और ४० रुपये जुर्माना न देने पर एक हफ्ते की कैद। उन्होंने जुर्माना नहीं दिया, इस वजह से वे जेल भेज दिये गये हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

सादी कैद है?

श्री अध्यक्ष—

जब कुछ लिखा न हो तो सादी कैद ही मानी जाती है।

श्री कृष्णा राय एम० एल० ए० पर दफा २२८ इंडियन पेनल कोड में २०० रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना न देने पर १ महीने की सजा। जुर्माना नहीं दिया गया तो वह डिस्ट्रिक्ट जेल, देवरिया पहुंचा दिये गये हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं समझता हूं कि जिलाधीश से रिपोर्ट अंग्रेजी में आई है और आप हिन्दी में अनुवाद करके पढ़ रहे हैं। आप उनको हिन्दी में सूचनायें भेजने के लिये आदेश दें और जिन जिलाधीशों ने अंग्रेजी में रिपोर्ट भेजी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष—

कल आप थे नहीं। कल ही मैंने सरकार से कहा है कि इस सदन के समक्ष अंग्रेजी में सूचनायें न आयें। यही नहीं हमने उसके लिये जो परिपत्र तैयार किया है उसी के अनुरूप हमारे पास सूचनायें आयें। तार भी हिन्दी में होना चाहिये इस वास्ते कि हिन्दी में तार की सुविधायें हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

एक दो मर्तबा की लिमिट फिक्स कर दें कि इसके बाद सूचना अगर अंग्रेजी में आयेगी तो आप स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इतना ही नहीं; बल्कि मैं यह समझूंगा कि सदन के आदेशों का अनादर नहीं होना चाहिये। लेकिन कुछ समय हमको उन्हें देना होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आदेशों के बावजूद भी अगर अंग्रजी में सूचना आये तो फिर प्रिविलेज का नोटिस दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तब कहियेगा, आज क्यों कह रहे हैं?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सरकार से कहा है कि सदन में सूचना वह हिन्दी में ही भेजें। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि जिलाधीशों को इस प्रकार आदेश देने चाहिये कि जितना भी दैनिक कार्य उनका है वह उसे हिन्दी में निबटाया करें।

अध्यक्ष--

वह आदेश आदरणीय सदन सरकार को ही दे सकता है। इस स्थान से जिलाधीशों को यह आदेश नहीं दिया जा सकता है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री चन्द्रबली सिंह तथा उग्रसेन ने विशेषाधिकार के प्रश्न उपस्थित किये हैं।

यह क्रमशः खाद्य मंत्री और सिंचाई मंत्री के विरुद्ध हैं। इन सूचनाओं को मैं सम्बन्धित मंत्रियों के पास भेज रहा हूं। उनके स्पष्टीकरण आने के बाद नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कुछ कामरोको प्रस्ताव आय हैं। उनको मैं स्वीकार नहीं कर सका हूं। संबंधित माननीय सदस्य कृपया उनके ऊपर जो मैंने आदेश लिखे हैं वह देखने का कष्ट करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, पचासों आदमी गिरफ्तार हो गये, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। सरकार की तानाशाही से सारी जनता में खलबली मची हुई है। इसी पर हमारे नेता सालिग्राम जैसवाल, कृष्णा, छुन्नन गुरु, मेड़ीलाल गिरफ्तार हुए। रायबरेली में लाठीचार्ज हुआ। यह सरकार का रवैया है। इस पर किसी न किसी रूप में मंत्री जी का वक्तव्य दिलाना चाहिए। स्थिति बड़ी गम्भीर है। लोग भूखों मर रहे हैं। जो प्रदर्शन हुआ है, सी० आई० डी० की रिपोर्ट पढ़ लें। जन मानस कितना आन्दोलित हो उठा है। यह कोई मामूली बात नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कामरोको प्रस्ताव के सिलसिले में यह अर्ज करना है कि हमको संविधान के अनुसार प्रदर्शन करने का जुलूस निकालने का अधिकार मिला है। पूरे सूबे में अकाल पड़ा हुआ है। सूखे से सारी फसल सूख रही है, हैजा के कारण तमाम लोग मर रहे हैं। फिर भी जब हम प्रदर्शन करना चाहते हैं तो दमन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

यह सब बातें तो माननीय उग्रसेन कह चुके। आप कोई नयी बात तो नहीं कह रहे हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

नयी बात यह है कि सरकार दमन कर रही है। लाठी चला रही है। जेलखाने भेज रही है। ऐसी सूरत में सरकार के काले कारनामों पर दिन भर बहस होनी चाहिए कामरोको प्रस्ताव के अन्दर। इसलिए आप का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ताकि सदन के काम को स्थगित करके बहस का मौका दें।

श्री उग्रसेन--

यह तो कच्छ समझौते के खिलाफ, लोहिया नजरबन्दी के खिलाफ, प्रदर्शन हुए हैं। गांव गांव में खलबली मची हुई है। गोरखपुर और देवरिया में पी० ए० सी० गयी थी। कश्मीर में आठ बटालियन घुस आयीं, इनके सिपाही और फौजदार लोग भाग चले। पचासों आदमी हैजे से मर रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। माननीय उग्रसेन ने अभी एक बहुत गम्भीर आरोप लगाया है कि कश्मीर से पी० ए० सी० भाग आयी और देवरिया गोरखपुर भेजी गयी। इस पर मैं प्रिविलेज का इश्यु आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री उग्रसेन--

यह तो दुनिया जान गयी कि कच्छ से भाग आये थे।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवर्षण से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कई एक सूचनाएं अनावृष्टि के कारण जो परिस्थितियां विभिन्न स्थानों में उत्पन्न हो गयी हैं, उनके सम्बन्ध में आयी हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने बताया था कि वह कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। मैं आज सोच रहा था कि अगर माननीय राजस्व मंत्री आज या कल अपना वक्तव्य दे दें जिसको वह तैयार कर रहे हैं, तो सोमवार के दिन हम ढाई घंटे इसके ऊपर बहस कर लें, तो अच्छा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, इस पर कम से कम ३ दिन तक बहस कराइये।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

इस सिलसिले में कल आपसे मैंने प्रार्थना की थी कि कम से कम २ दिन इस पर बहस अवश्य कराइये। इसके लिये आपकी बड़ी कृपा है कि आपने ढाई घंटे का समय इसके लिये दिया है। किन्तु यह समय बहुत अल्प है क्योंकि यह विषय अत्यन्त आवश्यक है। पूरा प्रदेश इस विषम स्थिति से सन्तप्त है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, मंत्री जी, कब इस पर अपना बयान देंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

जो फौरी कार्यवाही इसके सम्बन्ध में करना है, उस पर मैं आज ही शाम को वक्तव्य दे दूंगा और सम्भवतः पूरा वक्तव्य २३ तारीख को सोमवार को दूंगा।

श्री उग्रसेन--

आप चाहे जब वक्तव्य दीजिये, चाहे तो न दीजिये, लेकिन कलेक्टर महोदय और जो दूसरे अधिकारी मालगुजारी की वसूली में मनमानी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसको तो कम से कम आप रोक दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो इस सम्बन्ध में सूचनायें आज आई हैं, उन्हें भी मंत्री महोदय की जानकारी में ला दें, जिससे कि अपना वक्तव्य देते समय उनमें उठाई गई बातों का स्पष्टीकरण मंत्री महोदय कर सकें।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र मिर्जापुर में भयंकर सूखा के कारण स्थिति अत्यन्त विषम हो गयी है। हमारे क्षेत्र में साढ़े १२ लाख प्राणियों के प्राण आज संकट में हैं, वे भूखों मर रहे हैं।

[श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव']

वहां मनुष्यों और मवेशियों, दोनों के खाने पीने को नहीं है। यदि इसके लिये समय रहते शीघ्र उचित व्यवस्था न की गयी तो मैं मंत्री जी को, श्रीमन्, आपके जरिये बताता हूं कि इस सम्बन्ध में कल मैं राजस्व मंत्री के दरवाजे पर सांकेतिक अनशन करूंगा।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि आपने २॥ घंटे के वाद-विवाद की इस पर स्वीकृति दी है—

श्री अध्यक्ष—

मैं सोच रहा था कि शायद पूर्ण वक्तव्य आज मंत्री जी दे देंगे तब मैंने ऐसा कहा था, किन्तु जब मंत्री जी पूर्ण वक्तव्य २३ तारीख को देंगे, इसलिये वाद-विवाद के लिये समय निर्धारण के विषय में वक्तव्य बाद में ही तय कर लेंगे।

श्री झारखण्डेराय—

एक बात मैं आपके जरिये मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खाद्य समस्या के सम्बन्ध में जब वाद-विवाद हुआ था तब एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि एग्रीकल्चर मैनुअल में यह नियम नहीं है कि बरसात में गूलें और नहरें चलाई जायें, किन्तु इस बार की स्थिति को देखते हुये वह ठीक प्रतीत होता है कि गूलें और नहरें चलाई जायें। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के आदेश जिलों को गये हैं कि नहरें और ट्यूब वेल पूरे बरसात में चलाई जायें? इस पर क्या कार्यवाही हुई है, इस पर क्या स्थिति है, इस पर भी प्रकाश डाला जाये।

भारत और नेपाल के बीच चलने वाली गाड़ियों के चालकों में झगड़े के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक सूचना माननीय रामश्रवध सिंह, कल्पनाथ सिंह और कई माननीय सदस्यों ने दफा ५२ के अन्तर्गत दी है, जो इस प्रकार है—"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रा० वि० दफा ५२ के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा उठाना चाहता हूं। आशा है अध्यक्ष महोदय आज्ञा प्रदान करेंगे।

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सोनवली-नौतनवां मार्ग ५ मील का है, जो नैपाल की सरहद को मिलाता है। इस रोड पर चलने के लिये रोडवेज के अतिरिक्त प्राइवेट आपरेटर्स और कई सौ रिक्शा तथा तांगा वाले लाइसेंस पाये हुये हैं। साथ ही माल ढोने के लिये पब्लिक कैरियर ट्रक हैं। इस प्रकार प्रदेशीय सरकार को हजारों रुपया टैक्स के रूप में मिलता है।

नई परिस्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि लगभग दो माह से नेपाल का संपूर्ण माल व सवारी ढोने वाली गाड़ियां यह ५ मील की दूरी पार करके नौतनवां तक आ रही हैं, जिससे परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। जिसका कोई जिम्मेदार अधिकारी चाहे वह जिलाधीश हो या ट्रांसपोर्ट आफीसर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। रोजाना नैपाली गाड़ी वाले और भारतीय चालकों से झगड़ा हो रहा है, गिरफ्तारी तक हुई है। इस घटना के फलस्वरूप नैपाल और भारत का पारस्परिक संबंध खराब हो रहा है। साथ ही भारतीय चालक अपने यहां का परमिट छोड़कर नैपाल के परमिट पर चलकर प्रदेश का आर्थिक नुक्सान कर रहें हैं। नैपाल की आनेवाली गाड़ी से यदि इस ५ मील की दूरी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका कोई मुकदमा भारत में नहीं चल सकता, क्योंकि इन गाड़ियों पर भारत का कोई चिन्ह नहीं है। परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है।"

यह ट्रांसपोर्ट के संबंध में है। मैं इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं। माननीय परिवहन मंत्री, इस पर वक्तव्य कब होगा, कृपया बताइये ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

अगले सोमवार को देंगे।

श्री अध्यक्ष--

सोमवार को नहीं मंगलवार को रखिये क्योंकि सोमवार को अवर्षण पर ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय चन्द्रबली सिंह जी की देवरिया में हैजे के बारे में है। मैं इसे माननीय मंत्री के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं इसके बारे में बता दूं। इस पर एक बार बयान हो चुका है लेकिन इतनी लापरवाही है विभाग की ओर से कि १ हजार से अधिक लोग बरहज क्षेत्र में मर गये। खुद तमकुही, माननीय गेंदासिंह के क्षेत्र से खबर है कि एक गांव में ५४ आदमी मर गये। हैजा सारे देवरिया जिले में फैल गया है।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिये तो मैंने कहा है कि विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन--

विशेष ध्यान ही नहीं, मंत्री जी खुद जाकर सारी स्थिति को देखें और ठीक करवायें।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, विशेष ध्यान में वह भी आता है। यह मतलब नहीं है कि सिर्फ उसे ध्यान से पढ़कर रख दें।

एक माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, श्री गयाप्रसाद, श्री केशरीप्रसाद पांडेय जी और श्री शिवनाथ सिंह जी ने नियम ५२ की सूचना दी है। यह भी माननीय मंत्री जी को आवश्यक कार्यार्थ भेज रहा हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

इसमें, श्रीमन्, बहुत गड़बड़ी यह है कि ६ हजार कर्मचारी बेकार हो रहें हैं, उनकी रोटी रोजी छीनी जा रही है और इस पर व्यवस्था कभी इस विभाग की तरफ से नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात दो लफ्जों में कहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, इतना ही कहना है कि इतनी जगहें खाली हैं; सरकार मेहरबानी करके इसी विभाग में इन लोगों की खपत करा दें।

श्री अध्यक्ष--

अगर यही आप मंत्री जी से मिलकर कह दें तो ज्यादा असर हो ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, हमारे जिले बुलन्दशहर में १९, २० रोज से वर्षा नहीं हो रही है, वहां ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं, नहरें बन्द हैं । मंत्री जी जो खराब ट्यूबवेल हैं उनको ठीक करवावें और जो सिंचाई के अन्य साधन हैं उनको सिंचाई के लिये ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनावें ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, यह आपका आदेश है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैंने एक नियम ५२ के अन्तर्गत भेजा था कि बुन्देलखंड के संपूर्ण इलाके में न्याय-व्यवस्था समाप्त हो गयी है....

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने भेज दिया ।

श्री लखपत राम शर्मा--

वहां श्रीमन्, हजारों जानवर मरे हुये सड़कों पर पड़े हैं । न्याय-व्यवस्था समाप्त है । तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसे विशेष कार्यवाही के लिये स्वीकार करके भेजा है ।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, विशेष कार्यवाही के लिये ही स्वीकार करके भेजा है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

वहां सूखा पड़ रहा है, उस संबंध में क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

अब वह खत्म हो गया । आप बैठ जाइये ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैंने एक ध्यान आकर्षक प्रस्ताव दिया था और आपने मंजूर भी किया था ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं, जब आयेंगीं तब उस पर होगा ।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय मुख्य मंत्री का स्थान तो हर जगह माननीय राजस्व मंत्री लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वह ऐसा विषय नहीं है, आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, अभी माननीय उपनेता एस० एस० पी० ने इस सदन में यह चार्ज लगाया है कि हमारी पी० ए० सी० काश्मीर से भाग आयी है । इनका यह चार्ज अगर सही है तो माननीय होम मिनिस्टर साहब जो यहां बैठे हुये हैं, इसकी स्थिति को स्पष्ट करें कि असलियत क्या है, क्यों कि

इससे यहां की परिस्थिति बड़ी खराब हो सकती है और पबलिक में बड़ा आतंक पैदा हो सकता है। अगर यह बात सही है तो पबलिक के ऊपर इसका बड़ा खराब असर पड़ सकता है। माननीय उपनेता, एस० एस० पी०, ने यह बड़ा ही इम्पार्टेन्ट स्टेटमेंट दिया है, आप कोई कार्यवाही शुरू करने के पूर्व माननीय होम मिनिस्टर साहब से वक्तव्य दिलवा दें कि यह बात सही है या गलत है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि माननीय उपनेता एस० एस० पी० इसका प्रमाण दें कि किस आधार पर उन्होंने यह कहा है और आयन्दा बिना प्रमाण के वे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल न करें।

छितौनी बांध के बड़ी गंडक नदी के पानी के दबाव के कारण टूट जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

देवरिया जिले में स्थित छितौनी बांध १४ मील लम्बा है। वर्तमान वर्षा काल में १२ जुलाई, १९६५ को पहली बार बांध के मील ३ फर्लांग ६ पर स्थित ठोकर के ऊपरी तरफ बड़ी गंडक नदी की गति विधि (River action) में कुछ तेजी पायी गयी, जिसको रोकने के लिये बोल्डर क्रेटस (Boulder crates) डाले गये। इसके बाद दो एक बार फिर उसी स्थान पर नदी में तेजी पाई गई जिससे और बोल्डर क्रेट्स (Boulder crates) डाल कर रोकने का प्रयास किया गया। २ अगस्त, १९६५ को नदी का कटाव उसी ठोकर के ऊपर और नीचे की तरफ तेजी से शुरू हुआ। इसको भी दिन रात बोल्डर क्रेटस (Boulder crates) डाल कर रोकने का प्रयत्न होता रहा, परन्तु नदी के कटाव की तेजी के कारण ६ अगस्त, १९६५ तक बांध के नीचे का भाग टो आफ दि बंड (toe of the bund) ३५० फीट की लम्बाई में कटा और स्वयं बांध चार पांच फीट की चौड़ाई में और २५ से ३० फीट की लम्बाई में कट गया। ७ अगस्त, १९६५ को मुख्य अभियन्ता ने मौके का निरीक्षण करके चार छोटे ठोकरों के निर्माण और मील ३ फर्लांग ६ पर स्थित ठोकर को ऊंचा करने और इसे नदी में और बढ़ाने के आदेश दिये। इस प्रकार के काम पूरे कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप मील ३ फर्लांग ६ पर स्थित ठोकर के नीचे नदी का कोई कटाव नहीं हो रहा है और मील ९–२ तक जितनी ठोकरें हैं, सब सुरक्षित हैं।

कल प्रातःकाल की सूचना के अनुसार मील ३–६ पर स्थित ठोकर के ऊपर की तरफ नदी का कुछ कटाव हुआ और एक छोटा नया ठोकर जो डाला गया था वह बैठ गया परन्तु स्थिति को काब में कर लिया गया है।

बांध के निचले भाग पर मील १०–३ से १०–६ तक नदी का कटाव होता रहा। इसको रोकने के लिये बालू भरी बोरियां और बल्लियां लगायी गयीं। इस प्रकार १० अगस्त, १९६५ तक बांध की सुरक्षा होती रही, परन्तु इस तारीख को चार बजे शाम के लगभग पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया और नदी की एक धारा बांध की ओर बहने लगी। इस आकस्मिक धारा के निकल पड़ने से बांध का मील १०–३ से १०–६ तक कटाव शुरू हो गया और १० बजे रात को बांध में श्रोत फूटना आरम्भ हुये जिसके फलस्वरूप १० अगस्त, १९६५ को एक बजे रात को ८०० फीट की लम्बाई में बांध टूट गया और यह लम्बाई बढ़ कर १२०० फीट हो गयी। टूटे हुये भाग के किनारों पर बोल्डर (Boulder) और मिट्टी से भरे हुये बोरों को डाल कर उसे मजबूत किया जा रहा है। जहां तक संपत्ति की हानि का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है :

(१) बांध के पीछे मील ३–६ पर न कोई हानि संपत्ति को हुई है और न फसल को, किन्तु बांध और नदी के बीच में जो २५ या ३० झोपड़ियां थीं उनमें रहने वालों ने जुलाई के मध्य में ही जब पानी बढ़ने लगा था उनको स्वंय हटा लिया था। इसके अलावा २ पक्की ईंटों के मकान भी

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

थे जो नदी के बहाव से कटे परन्तु बहने से पहले ही ईंट आदि हटा ली गई थीं। इस प्रकार इस स्थान पर कोई हानि नहीं हुई हांलांकि नदी और बांध के बीच में स्थित संपत्ति को क्षति पहुंचना स्वाभाविक ही है क्योंकि बांध अपने पीछे स्थित क्षेत्र को ही बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

(२) बांध के मील १०–५ पर जो कटाव हुआ उससे ५०० एकड़ क्षेत्र रेलवे लाइन और बांध के बीच में पखिरवा और बुलहवा गांव तक प्रभावित हुआ। यह क्षेत्र गंडक नदी के पानी के उल्टे बहाव से जो डोमगढ़वा नाले से होकर जाता है, अधिक बाढ़ के समय सदा प्रभावित होता है परन्तु इस साल बांध के मील १०–५ पर कटाव होने के कारण यह क्षेत्र थोथा बढ़ गया है। पानी अभी भरा हुआ है मगर नदी का स्तर गिर जाने पर यह निकल जायेगा।

(३) इसके अतिरिक्त कहीं पर जान, माल और फसल को कोई हानि नहीं पहुंची है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी का बयान मैंने अभी सुना। वैसे तो मुझे उसकी निजी जानकारी है मगर मैं उसको छोड़ देता हूं। सदन को और मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि यह बान्ध ३, ४ साल से कटता रहता है और इससे जो क्षति हुई है उसको भी तोड़-मरोड़ कर यहां पर बयान किया गया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पारसाल भी इस बांध पर धक्का आया और इस साल भी इस बांध पर धक्का आया, यह सरकार के पास रिपोर्ट है। तो जब यह बांध बनने लगा तब ही टूटने लगा जैसा कि पिछले साल हुआ, तो मई के महीने में इस बात को ध्यान में रखते हुये कौन कौन-सी तैयारी कर ली गई थी, ताकि बान्ध पर धक्का न आये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस बांध के लिये मजबूती कर ली गई थी लेकिन फिर भी गंडक इतना बड़ा दरिया है और यह ऐसी जगह पर है कि वहां पर अक्सर उसका प्रभाव होता रहता है। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा कि एक ऐसी कमेटी बिठाई जाय जो इस बाध को देखे कि किस तरह से यह बांध मजबूत रहे और हानि कम से कम हो। इसके लिये जो कमेटी बनी है, उसके सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन के जो चेयरमैन हैं, वे चेयरमैन हैं। बिहार के चीफ इंजीनियर, यहां के नहर के चीफ इंजीनियर, रेलवे के चीफ इंजीनियर इसके सदस्य है और गवर्नमेंट आफ इंडिया के फ्लड के जो चीफ इंजीनियर है वे इसके सेक्रेटरी हैं। यह कमेटी इस बात को देखेगी कि इसका कोई हल निकल सके और कोई ऐसी तरकीब निकल सके कि जो लोगों को कष्ट है वह दूर हो सके। इसके लिये कमेटी बिठाई गई है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जब बान्ध टूटना शुरू हुआ और उनके पास सूचना आई तो इसकी मरम्मत में तब से कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना नहीं है। रुपया लगता रहता है। इतना जरूर है कि हमने इतना इंतजाम कर दिया है कि वहां पर एक इंजीनियर रहे और वायरलेस स्टेशन कायम कर दिया है जो वहां से तुरन्त सूचना दे सके कि उस वक्त कितनी आवश्यकता है। उसमें बराबर काम लगा हुआ है, अतः बीच में यह बताना कठिन है। बाद में काम पूरा होने पर पता चलेगा। हमारा प्रयत्न है कि जितनी रक्षा संभव हो, उतनी की जाय।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सही है कि आज से दो दिन पहले यह जो बांध है उस पर बाढ़ की विभीषिका थी। उसकी जांच के लिये और उसको देखने के लिए माननीय

कृषि मंत्री जी वहां पर तशरीफ ले गये थे और यदि उन्होंने वहां जाने के बाद कोई रिपोर्ट भेजी है तो उससे माननीय सिंचाई मंत्री सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे, मेरी अपनी जानकारी यह है कि वहां पर बाढ़ भयंकर रूप से आई हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

वह उनका जिला है। उन्होंने अटेंशन दिलायी थी। हमारे इंजीनियर वहां है, हमने एक वायरलेस स्टेशन भी वहां कायम किया है जो निरन्तर वहां की खबरें भेज रहा है और हमारे आदेश हैं कि जो सामान आवश्यक हो वह वहां तुरन्त भेजा जाय।

श्री रामायण राय---

इस बांध को बनाने के सिलसिले में अब तक कितने सिंचाई विभाग के अफसर और इंजीनियर मुअत्तल किये जा चुके हैं, क्या यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे इसलिये कि यह बांध कभी ठीक से बनाया नहीं गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

अभी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि बांध पर खतरा रहा और दो बार उसे बचाने के प्रयत्न किये गये लेकिन इंजीनियर बचा नहीं पाये तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में इस प्रकार के बांधों के लिये क्या आपने इंजीनियरों को इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि खतरे का अहसास होते ही कार्यवाही करें ताकि कटाव को रोका जा सके ? या जैसे क्रैक को बोल्डर डाल कर ठीक किया गया, क्या यह पहले संभव नहीं था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जैसा मैंने कहा, यह बांध गांव वालों ने बनाया था। सरकार ने उसको मजबूत कर दिया ताकि उसकी रक्षा हो सके। लेकिन ईश्वर के आगे तो किसी का बस नहीं है, बाज वक्त मजबूत बांध भी टूट जाया करते हैं। इंजीनियरों ने जो काम किया है उसके अलावा अभी इसमें रुपये की बहुत जरूरत है और इसलिये हमने भारत सरकार को कहा कि एक कमेटी बनायी जाय जिसमें भारत के अच्छे से अच्छे इंजीनियर हों, वह बैठकर सोचें और इस बांध को उनकी राय से इस प्रकार बनाया जाय कि जिससे हमारा नुकसान भी न हो और साथ-साथ जो बुरा असर पड़ने वाला है वह भी रुके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि इस १४ मील के बांध में पिछली बार जो कटान शुरू हुआ था वह ३ मील ६ फर्लांग के आगे ४थे और ५वें मील पर हुआ था ? इस साल भी कटाव वहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरा कटान १० मील के बाद हुआ और दोनों बार इस सदन में सवाल किया गया और मंत्री जी ने, और विभाग ने भी आश्वासन दिया कि इसमें समुचित कार्यवाही की जायगी.....

श्री अध्यक्ष---

इतने लम्बे सवाल में असल बात दब जाती है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इंजीनियरों ने पिछली बार आश्वासन दिया था कि वह ठीक बन गया है और उसके लिये उन्होंने लाखों रुपया खर्च करा दिया, इसलिये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बांध को मजबूत बांधा गया, उसमें कोई कमी हुई ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा मजबूत बंधने पर भी बांध टूट जाया करते हैं प्रकृति के प्रकोप से ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

जो कमेटी बनी हुई है उसके अन्तर्गत यह भी विचार होगा कि इसके पूर्व जिन इंजीनियरों ने गड़बड़ी की है जिसके कारण यह बांध लगातार कटता चला जा रहा है और लाखों रुपये की गड़बड़ी बतायी जाती है कि इंजीनियरों ने की है, तो उसकी भी जांच उस कमेटी के सुपुर्द है ? अगर नहीं है, तो क्या मंत्री जी यह बात भी उसके सुपुर्द करने को तैयार हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात इसमें है नहीं और मैं मानता भी नहीं कि बांध बनते समय हमारे इंजीनियरों ने कोई गड़बड़ी की होगी ।

श्री मैनेजरसिंह—

बांधों में जो खतरे उपस्थित हो जाते हैं उनके अवरोध के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है, इस प्रकार के निर्देश इंजीनियरिंग विभाग को दिये हैं कि समय से पहले ही उचित कार्यवाही करें जिससे खतरा उपस्थित न हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

समय से पहले ही कदम उठाया गया । गंडक बड़ी नदी है, उससे बीच होकर थोड़ा ही नुकसान हुआ क्योंकि बहुत बड़ा कदम पहले ही उठा लिया गया था, वरना और ज्यादा नुक्सान होता ।

श्री मैनेजरसिंह—

हमारे यहां ही हर साल खतरा पैदा हो जाता है । जब हमारे यहां यह बांध कटने लगा एक हजार फीट की दूरी पर ही, तब दफा ५२ आया और आदेश इंजीनियरों को गये हैं और सरकार डेढ़ लाख रुपया खर्च करने जा रही है । यही पारसाल किया गया होता तो वह खतरा पैदा न होता, तो आप कृपा करके आश्वासन दें कि इंजीनियर समय से काम करावें ।

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जैसा रामायण राय जी ने कहा, कृषि मंत्री स्वंय इस बांध को देखने गये और उन्होंने जो वायरलेस से सूचना यहां भेजी है उसमें चार्ज लगाया है सरकारी इंजीनियरों के विरुद्ध, जिनके लिये कागजात में है कि वह उस बांध पर गये और वहां मौजूद रहे, वह वहां एक भी नहीं गया, केवल कागजी कार्यवाही है, यह उन्होंने बताया है । यदि यह सच है, तो क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि सरकार के पास गलत रिपोर्ट आती है और इनके इंजीनियरिंग विभाग वाले बांध मजबूत बनाते नहीं हैं, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

कृषि मंत्री जी का यह जिला है । वह वहां १५ अगस्त को गये थे । उनके नोटिस में जैसे कि बहुत सी विशेष समस्यायें आती हैं, यह भी आयी । लेकिन जैसा कि कुंवर श्रीपाल जी ने कहा, इस तरह का चार्ज नहीं लगाया गया, ऐसी चीज जहां तक मुझको याद पड़ता है जो उनकी सूचना आयी थी, उसमें इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

जब सदन का यह निश्चित खयाल है कि लाखों रुपयों का गड़बड़ घुटाला हुआ है और इसी कारण यह बांध कमजोर बना और टूट गया, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कानून बनायेंगे जिससे कि ऐसे इंजीनियर्स को, जिनकी गलती पायी जाय, फांसी दी जा सके ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

इस बात को देखते हुये कि इस तरह की कई घटनायें हुई हैं, यह बांध टूटा, गोरखपुर का पुल टूटा, और भी घटनायें हुईं, क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी जिससे कि यह घटनायें न हों, और जिससे यह भी पता चल सके कि यह घटनायें किन कारणों से हुई हैं, कोई गारंटी भविष्य के लिये सरकार देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

हमारे इंजीनियर्स भी इंसान हैं। साथ ही गोरखपुर तथा देवरिया में कुछ बांध ऐसे भी बने हैं जो हमारे इंजीनियर्स की राय के खिलाफ बने हैं। लेकिन उनकी राय के अनुसार भी हों तो भी नेचर के प्रकोप से मनुष्य कहां तक मुकाबला कर सकता है यह सदन अन्दाजा लगा सकता है। जहां तक इस बांध का सवाल है, इसमें ब्रीचेज हुईं और उनकी मरम्मत की गयी और उसको बचाने की भरसक कोशिश की गयी।

श्री उग्रसेन—

गोरखपुर देवरिया में जो बांध बना उसमें तकनीकी राय नहीं ली गयी। कुछ नियोजन विभाग ने, कुछ गांव समाज ने बनाये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि छितौनी बांध जो सिंचाई विभाग ने बनवाया उसके सम्बन्ध में तकनीकी राय नहीं ली गयी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बांध तो पहले गोरखपुर के लोगों ने ही बनाया था। सिंचाई विभाग ने तो उसको और मजबूत कर दिया था।

*श्री मंगल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इस बांध के करीब ही मेरा स्थल है। मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंजीनियर्स भी इंसान हैं, इस पर मुझे कुछ आपत्ति है। बांध करीब १९५४ में निर्मित हुआ। वहां पर बांध से करीब ५ मील की दूरी पर एक दरिया बहता था। उसके करीब १३ गांव हैं जिनकी ९ हजार की जनसंख्या है। यह १३ गांव दरिया में विलीन हो गये और १३–१४ हजार एकड़ जमीन समुद्र की तह में पड़ी हुई है, और यह कहते हैं हमारे इंजीनियर्स इंसान हैं। मैं तो यह कहूंगा कि वे इंसान नहीं हैं। उस बांध को बचाने के लिये ठीक प्रकार की ठोकरें नहीं बनायी गयी थीं। वह किस प्रकार बनी हैं, वह मैं बताता हूं। अभी जो आपकी कमेटी गयी थी उसने देखा कि दरिया की डेप्थ तो ६० फीट है किन्तु जो ठोकरें बनायी गयी हैं उसकी २५ फीट की पायलिंग है। मान्यवर, यह सुनकर आपको बड़ी तकलीफ होगी कि उस २५ फीट की पायलिंग में आपके इंसान जो इंजीनियर्स हैं वे क्या करते हैं; नीचे से १० फीट काट लेते हैं ....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री मंगल—

दो मिनट और दे दीजिये। मान्यवर, इंजीनियर्स जो इंसान हैं उनकी करतूतें मैं आपके सामने ला देना चाहता हूं। एक फीट पायलिंग की कीमत १ रु० ७० पैसे देते हैं। १० फीट काट देते हैं और १५ फीट की पायलिंग करते हैं। कुछ पानी भर कर रखते हैं। दरिया जो है वह बोट से चलता है। जितनी ठोकरें बना रहे हैं वे बह जाती हैं। ठोकर का मतलब यह होता है कि वह पानी को फेंके, पर वह पानी को बांध की तरफ फेंकता है। इस तरफ मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंगल]

का ध्यान बार-बार दिलाया गया । मंत्री जी को स्वयं दिखलाया गया, चीफ इंजीनियर को भी दिखलाया गया । उन्होंने कहा था कि यह बांध कटेगा नहीं पर इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों रुपये की बरबादी हुई । वे जो बोल्डर किनारे पर लगाये जाते हैं उसी बोल्डर को प्रति वर्ष नई खरीद दिखाकर इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी अपने स्टाफ के द्वारा इसकी देखभाल करवायें ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी बतायें कि यह बात कहां तक सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जो इन्होंने कमेटी बनायी हैं उस कमेटी के टर्म्स आफ् रैफरेन्स क्या निश्चित किये हैं और यह कब तक रिपोर्ट देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कमेटी के नाम तो आपको बता दिये । फ्लड प्राबलम कमेटी है गंडक नदी की । अंग्रेजी में पढ़ना तो मना है, मेरे पास अंग्रेजी में रिपोर्ट है ।

श्री अध्यक्ष—

आप हिन्दी में लिखाकर लाते ।

श्री उग्रसेन—

ये तो सूचना विभाग के मंत्री हैं, इनको हिन्दी में लिखवाने में क्या दिक्कत थी ?

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी में लिखी है, परन्तु आप पढ़ नहीं पा रहें हैं ।

(हंसी)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गंडक नदी के कारण जो नुकसान होता है उसको यह देखे । खासतौर से दक्षिणी तरफ कितना नुकसान करती है यह देखें । छितौनी बांध की रक्षा के लिये कौन-कौन उपाय कर सकती है जिससे छितौनी बांध ठीक तरह से काम कर सके । कमेटी यह भी कर सकती है कि इस से जो फ्लड आया है उससे छितौनी बांध को कितना नुकसान होता है या हुआ है और यह भी देखे कि ऐसा कोई मापदंड निश्चित कर दें जिससे कि रोकने के काम कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

कब तक रिपोर्ट देगी ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इसकी रिपोर्ट को हम नहीं चाहते हैं । मंत्रि मंडल की संयुक्त जिम्मेदारी है । माननीय कृषि मंत्री जो बैठे हुये हैं । वह वहां गये हैं, वहां की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से बतायें, वहां लोगों की हालत संकटापन्न है । .....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं आपके माध्यम से माननीय गेंदा सिंह जी से प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

अब हो गया, आप बैठ जाइये कृपा करके ।

एक प्रश्न यह था कि रिपोर्ट की कोई तिथि निश्चित है ....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अंग्रेजी में टर्म्स आफ रिफरेंस माननीय मंत्री जी के पास हैं और वह उसका हिन्दी में अनुवाद कर रहे हैं । वह अंग्रेजी में टेक्नीकल भाषा में लिखे हुये हैं, अनुवाद करने में उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तीन-चार टर्म्स आफ रेफरेंस हैं, आप उनसे कहें कि वह उसको पढ़ दें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये तो मैं राजी नहीं हूं । माननीय मंत्री जी उसका अनुवाद कराके सदन की मेज पर रखें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि इस बंधे की मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा हुई थी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि चाहे मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा हुई हो या बन्धा पी० डब्लू० डी० द्वारा बनाया गया हो, लेकिन इससे जो क्षति हुई वह क्षति तो सरकार को हुई, यह तो सरकार को स्वीकार करना ही होगा, तो सरकार क्या आइन्दा इसका खयाल करेगी कि आगे से जो मरम्मत की जाय उसके पहले टेक्निकल एडवाइजर्स से उसकी अच्छी तरह से जांच करवा लें ताकि इस तरह से जो रुपया व्यय होता है वह भी खराब न हो और उसके साथ-सथ उसका जो इम्पैक्ट वहां के लोगों के जान व माल पर पड़ता है वह भी न हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जैसा मैंने कहा कि उसको मजबूत बनाया गया था और यह देख कर ही बनाया गया कि वह आगे काम करेगा लेकिन बाढ़ ज्यादा आ गई और जैसा मैंने निवेदन किया कि किसी भी चीज की मजबूती की सीमा हुआ करती है, उससे ज्यादा पानी आ जाय तो वह बह ही जायगा ।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पानी का बढाव जारी है और रामायण राय ने भी कहा इस चीज को और यह सही भी है, हमार दफ्तर में भी तार आया था । तो मैं जानना चाहता हूं कि पारसाल के बाढ में पानी की गति क्या थी कितने क्यूसेक पानी प्रति सेकेंड बड़ी गंडक का पारसाल डिस्चार्ज था और कितना इस साल है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

पानी का जो बहाव है वह अब घटाव की तरफ है । ....

श्री उग्रसेन--

बिलकुल क्यूसेक में बताइये, मैंने बिलकुल सीधा सवाल किया है । आंकड़ा बताइये । प्रति सेकिन्ड डिस्चार्ज पारसाल क्या था और इस साल क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर माननीय मंत्री जी के पास सूचना हो तो दे दें ।

श्री गिरधारीलाल--

पिछले साल की तो मेरे पास खबर है नहीं। लेकिन इस साल ३१४.७ था मैक्सिमम।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह स्वयं छितौनी बांध पर गये थे और जब वह वहां गये तो क्या वहां इंजीनियर्स मौजूद थे और वहां पर क्या-क्या कार्यवाही उस बन्धे को टूटने से रोकने के लिये हो रही थी तथा क्या उन्होंने इस सिलसिले में कोई वायरलेस भी माननीय सिंचाई मंत्री को भेजा था ?

श्री अध्यक्ष--

अब यह प्रश्न तो सिंचाई मंत्री का है। ...(व्यवधान)....अब आपने पूछा है, अगर वह उठना चाहें और जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।.... (व्यवधान) मैं बुलाने के लिये तैयार नहीं हूं।

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)--

मैं, श्रीमन, छितौनी बांध के महत्व को देखते हुये १५ अगस्त को सारे कामों को छोड़कर, सिर्फ झंडे की सलामी देकर, छितौनी बांध पर चला गया और पांच-छः घंटे मैंने वहां लगाये और जहां तक जाया जा सकता था वहां तक गया। वहां पर काम जरूर हो रहा था लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मुझे उस काम से संतोष नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सदन में और सदन के बाहर बहुत बड़ी तादाद में छितौनी बांध की बाबत भ्रष्टाचार की शिकायतें माननीय मंत्री जी को की गयी थीं अगर कोई बांध मजबूत बने तो उससे हिन्दुस्तान भर की भलाई हो सकती है और अगर कमजोर बने तो हजारों आदमियों की जानमाल की हानि हो सकती है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बार-बार छितौनी बांध के टूटने का मुख्य कारण यह है कि इस बांध से लाखों बोरी सीमेंट ब्लैक में बेच दिया गया ? लेकिन जो शिकायतें दी गयीं उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। एक इंक्वायरी भी हुई लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या मंत्री जी इस बारे में फिर से जांच करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

यहां पर बहुत सी बातें कह दी गयी हैं। इस पर तो एक दूसरा ही स्टेटमेंट देना होगा। अगर आप कहें तो सूचना मंगा लूं।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, माननीय सिंचाई मंत्री का वक्तव्य दूसरा है और माननीय गेंदा सिंह जी, कृषि मंत्री जो परसों ही बांध देख कर आये हैं, उनका वक्तव्य दूसरा है। सिंचाई मंत्री ने गलत वक्तव्य दिया है, इसलिये उनको अब स्तीफा दे देना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, इस सदन में कांग्रेस के सदस्यों, विरोधी दल के सदस्यों और माननीय गेंदा सिंह जी, जो कि गवर्नमेंट के मंत्री हैं, उनके वक्तव्यों के प्रकाश में आप व्यवस्था दें कि गलत बयान दे कर क्या सिंचाई मंत्री इस सदन में रहने योग्य हैं अथवा उनको स्तीफा दे देना चाहिये।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

श्रीमन्, १० अगस्त, १९६५ को लखनऊ शहर में धारा १४४, दंड विधि संग्रह, के अन्तर्गत सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश लागू था जिससे सार्वजनिक मार्ग एवं स्थानों पर ५ या ५ से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने एवं नारे लगाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था ।

१० अगस्त को लगभग साढे नौ बजे रात्रि में हजरतगंज थाने के एक हैड कान्स्टेबिल ने थाने में यह सूचना दर्ज कराई कि उसने, एक अन्य हैड कान्स्टेबिल तथा कान्स्टेबिल ने जो लालबाग में तैनात था एक जुलूस को जिसमें लगभग १०० व्यक्ति थे नारे लगाते हुये कैसरबाग की ओर से आकर दारुलशफा की तरफ जाते देखा । हैड कांस्टेबिल ने उन व्यक्तियों के नाम लिखाये जिन्हें उसने पहिचाना था और यह भी लिखाया कि कुछ अन्य व्यक्तियों को वह देख कर पहिचान सकता है । इस रिपोर्ट पर दंड विधि संग्रह की धारा १८८ के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया । तफतीश के सिलसिले में रात में यह ज्ञात हुआ कि इस मुकदमें के अभियुक्तों में सर्वश्री मधुकर दिघे, राम शंकर गुप्त, जनेश्वर मिश्र, रामसागर आजाद, कुमारी हबीबा बानू, रामधार यादव, राम मनोहर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय पानदरीबा में उपस्थित हैं । इनको पुलिस ने ११ अगस्त, १९६५ को प्रातः काल ४ से ६ बजे के बीच गिरफ्तार किया । कुछ अभियुक्त अन्य स्थानों पर गिरफ्तार हुये और कुछ अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं । ये सभी अभियुक्त दंड विधि संग्रह की धारा १४४ के अन्तर्गत दिये गये आदेश की अवहेलना करने के कारण गिरफ्तार किये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय गृह मंत्री स्वयं इस बात की जांच करायेंगे कि यह सही नहीं है कि यह जुलूस दारुलशफा से ८ बजे के करीब निकला और कैसरबाग होता हुआ अमीनाबाद गया और वहां वह एक सभा के रूप में परिणत हुआ । और उसके बाद उस जुलूस में से अलग-अलग व्यक्ति पार्टी के कार्यालय में चले गये या अपने-अपने अन्य स्थानों को चले गये लेकिन दारुलशफा में फिर किसी प्रकार का जुलूस या नारे नहीं लगाये गये, यह रिपोर्ट बिलकुल झूठ है और मनगढंत है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

वह खुद ही कह रहे हैं कि जुलूस निकाला गया और सभा हुई थी, इसके माने हैं कि दफा १४४ भंग की गयी, यह इस रिपोर्ट में भी कहा गया है । फिर इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुये ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैंने स्वयं कहा है कि ७-८ बजे के करीब जुलूस दारुलशफा से निकला लेकिन वह कह रहे हैं कि कैसरबाग से सौ आदमियों का जुलूस दारुलशफा की तरफ साढे ९ बजे आया, यह गलत है, जुलूस तो दारुलशफा की तरफ से चला जो अमीनाबाद में सभा में परिणत हो गया और उसके बाद छुट-पुट लोग अपने-अपने स्थानों को चले गये और जुलूस नहीं रहा । अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर गृह मंत्री जी स्वयं जांच न करें तो अपने किसी सहयोगी से करायें कि किस तरह से पुलिस के लोग जाल बनाकर तथ्यों को सामने रखते हैं ?

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

माननीय, यह मैं नहीं कह सकता कि चश्मदीद गवाही की मंत्री जी के लिये सदन में क्या अहमियत है लेकिन मैं एक चश्मदीद गवाह की हैसियत से कह सकता हूं इस बुनियाद पर कि उस दिन सदन में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले मामले पर चर्चा साढे ७ बजे तक हुई थी और हम लोग यहां से जाकर मुंह हाथ धो ही रहे थे कि जुलूस दारुलशफा से जा रहा था और वह कैसरबाग की तरफ जा रहा था .....

श्री अधिष्ठाता---

आप प्रश्न करें ।

श्री झारखण्डेराय---

तो केसरबाग होते हुये पुलिस थाने की बगल से जुलूस गुजरा और फिर अमीनाबाद में सभा हुई लेकिन इतनी देर तक कई घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं की, कोई नोटिस या वार्निंग डिसपर्स होने के लिये नहीं दी और उसके बाद रात में गिरफ्तारियां हुईं । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पुलिस रिपोर्ट पर विश्वास न करके उपमंत्री गृह या अपने किसी सहयोगी को जो उनका विश्वास-पात्र हो इंक्वायरी के लिये भेजेंगे कि जो वाकयात पांडे जी ने अभी बतायें हैं वह सही हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इन वाकयात से अपराध पर कोई असर नहीं पड़ता, दफा १४४ को भंग किया गया, लिहाजा दफा १८८ में गिरफ्तारी की गई ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब यह जुलूस दारुलशफा से केसरबाग तक पहुंचा और अमीनाबाद में सभा हुई तो यह १४४ की गिरफ्तारियां उसी वक्त क्यों नहीं की गईं और २ बजे रात को क्यों की गईं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह कोई जरूरी नहीं है कि उसी वक्त वहीं पकड़ा जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या गृह मंत्री जी को जानकारी है कि अमीनाबाद में कितनी देर तक सभा हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह इसमें दिया हुआ है कि बिना आयोजन किये, बिना पहले से नोटिस दिये हुये, एक सभा की तरफ से कुछ हुआ ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शहर लखनऊ में धारा १४४ किस समय और किस दिन लागू की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

७ तारीख को लागू की गयी थी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

किस समय की गयी थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम १८८ की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि जब कहीं पर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दफा १४४ लगायी जाती है तो मजिस्ट्रेट महोदय की कम्पलेन्ट पर ही दफा १८८ में गिरफ्तारी की जाती है। तो क्या मैजिस्ट्रेट महोदय द्वारा इस प्रकार की कोई कम्पलेंट की गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

धारा १४४ मैजिस्ट्रेट द्वारा लगायी गयी थी। उसका उल्लंघन हुआ और ये लोग दफा १८८ में गिरफ्तार किये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मंत्री जी के पास, जैसा कि उन्होंने कहा कि अमीनाबाद में एक सार्वजनिक सभा हुयी थी, कोई सूचना है कि उस सभा में कौन-कौन वक्ता थे और वे कितनी-कितनी देर बोले और उन व्यक्तियों ने किस-किस विषय पर भाषण दिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता ६-७ बजे के करीब गिरफ्तार हुए तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पुलिस ने एक बजे ही पानदरीबा स्थित पार्टी के दफ्तर को अकारण ही घेर लिया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह तो मुझे पता नहीं कि वहां पर पुलिस कब गयी लेकिन पुलिस ने, जो लोग वहां पर थे, उनको इतना वक्त दिया था कि वे नित्य कर्म कर लें और उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार करें।

श्री झारखण्डेराय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें किसी क्वार्टर से शिकायत मिली थी कि जिस समय मीटिंग हुई थी, उस समय कोई दफा १४४ लागू नहीं थी बल्कि गिरफ्तारी करने के लिये ही ये सारे कागजात बाद में भरे गये थे।

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह बिलकुल गलत है। ७ तारीख को ही दफा १४४ लागू की गयी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अमीनाबाद में जो सभा हुई थी, वह कितने बजे प्रारम्भ हुयी थी ?

श्री हरगोविंदसिंह--

इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन-किन परिस्थितियों में दफा १४४ लगाने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह तो आवश्यकता सिटी मैजिस्ट्रेट ने समझी थी और ७ तारीख को ही उन्होंने दफा १४४ लगायी थी।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने सदन में कहा था कि गिरफ्तारी कुछ और होनी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके पश्चात् भी कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, यदि हां, तो कितने ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह भी बता दूंगा। अभी-सभी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुये हैं।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि पुलिस, पानदरीबा स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय को रात से ही घेरे हुए थी। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सुबह ७ १/२ बजे मैंने और श्री राज नारायण जी ने फोन से आप को इत्तिला दी थी और आप ने कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगा और आप सदन में अभी कह रहे हैं कि मुझे इत्तिला ही नहीं है। तो मैं जानना चाहता हुं कि क्या यह सही है कि हम ने उन्हें जानकारी करायी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह बिलकुल गलत है कि आपने मुझे इत्तिला दी। माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने मुझे फोन किया और पूछा कि पुलिस संयुक्त पार्टी के दफ्तर पर क्यों पड़ी हुई है। मैंने यह कहा कि पूछ कर बतलाऊंगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि जलूस दारुलशफा से कैसरबाग होता हुआ अमीनाबाद गया और वहां पर समाप्त हो गया। माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा कि वाकेयात पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पुलिस रिपोर्ट में दी हुई बातों की सत्यता पर जांच करवाने की कृपा करेंगे ? और यदि नहीं, तो क्या उस कांस्टेबिल के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने इस प्रकार की रिपोर्ट करायी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह जांच सब अदालत के सामने हो जायगी।

कानपुर स्थित म्योर मिल को अनिश्चितकाल के लिए बन्द करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

समाजवादी मजदूर सभा, कानपुर, के सेक्रेटरी ने १३ जुलाई, १९६५, को म्योर मिल्स, कानपुर के प्रबन्धकों को इस आशय का नोटिस दिया कि यदि उसमें लिखित मांग २८ जुलाई तक पूरी न की जायगी तो २९ जुलाई से पुराने आधार पर हाई स्पीड वाइंडर केवल १२ स्पेंडिल और ग्रे-वाइन्डर १६ स्पेंडिल चलायेंगे और इसके विपरीत प्रभाव की जिम्मेदारी प्रबन्धकों पर होगी। काम में कमी न करने के लिए प्रबन्धकों ने भी श्रमिकों को एक नोटिस द्वारा राय दी कि २२ जुलाई को उप श्रमायुक्त, कानपुर ने भी दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपने कार्यालय में बार्ता के लिए बुलाया परन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधि द्वारा इस वार्ता में भाग न लिये

जाने के कारण कोई समझौता न हो सका। फलतः २६ जुलाई से हाई स्पीड वाइन्डरों तथा ग्रे–वाइन्डरों ने अपने काम में कमी कर दी। इससे वाइंडिंग विभाग के उत्पादन में सहसा कमी हो गयी और मिल के अन्दर विभागों में काम के लिए माल न मिल सका। इसके फलस्वरूप प्रबन्धकों ने ३० जुलाई को मिल के वाइंडिंग तथा स्पिनिंग विभाग के १८६ श्रमिकों को बैठकी पर भेज दिया।

२––स्थिति में सुधार न होने के कारण बैठकी पर भेजे जाने वाले श्रमिकों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती गयी और १३ अगस्त को यह संख्या ४,२७४ तक पहुंच गयी। इस समय मिल के आठ विभागों में अब भी ३६१ श्रमिक काम पर लगे हैं। समाजवादी मजदूर सभा के नेता को श्रम विभाग के अधिकारियों ने कई बार यह समझाने की चेष्टा की कि इस समय जब कि कपड़े का बहुत अधिक स्टाक जमा हो जाने के कारण मिल मालिकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह स्वयं मिल बन्द करने की सोच रहे हैं तो वे कोई भी ऐसी मांग मांगने और हड़ताल की धमकी पर समझौता करने को तैयार न होंगे, परन्तु श्रमिक नेता किसी भी प्रकार हड़ताल टालने को तैयार न हुये।

३––अभी तक मिल मालिकों द्वारा किसी भी श्रमिक को जबरदस्ती मिल के बाहर निकालने की कोई सूचना नहीं मिली है। मिल मालिकों ने १४७ ग्रे–वाइंडरों को मिल के स्थायी आदेशों के अधीन आरोप पत्र दे कर जांच होने तक सेवा से स्थगित अवश्य किया है जब तक श्रमिक बिना शर्त काम पर वापस न आ जायं मिल मालिक तब तक कोई भी समझौता की बात करने को तैयार नहीं हैं।

४––ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर तो कुछ मजदूर नेता अपना नेतृत्व बनाये रखने की चेष्टा में हड़ताल जारी रखने पर तुले हुये हैं और दूसरी ओर मिल मालिक अपने आर्थिक संकट के कारण मिल चालू करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हैं। श्रमायुक्त तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को यह बात बार-बार बतायी जा चुकी है कि यह समस्या हल करने के लिए वार्ता तभी हो सकती है जब मिल में पहले की तरह काम चालू हो जाय और उस समय श्रमिकों की शिकायत दूर करने तथा उन की मांगें पूरी करने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। परन्तु लगता है कि श्रमिकों के वर्तमान नेता को यह मान्य नहीं है और इसी कारण मिल पुनः चालू करने के लिए अब तक किये गये प्रयत्नों में कोई सफलता नहीं मिल सकी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो डाक्टर सम्पूर्णानन्द अवार्ड की धारा १८३ है उसके अनुसार उनका कार्यभार बढ़ाना नहीं चाहिए और दूसरी बात उनके वेतनक्रम में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। यह दोनों बात म्योर मिल के मालिक वर्षों से कर रहे हैं। तो क्या यह कार्यवाही करके मिल के मालिक धारा १८३ को नहीं तोड़े हैं?

श्री बंशीधर पांडेय––

जो डाक्टर सम्पूर्णानन्द आर्बिट्रेशन का अवार्ड है उसमें जहां पर इनके वेतन बढ़ाने और वर्क लोड का संबंध है वह संम्भवतः इन पर लागू नहीं होता है, जैसा उन्होंने लिखकर ८ या ६ मांगें दी हैं, उससे स्पष्ट होता है।

श्री उग्रसेन––

मैं मंत्री जी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के एक केस की तरफ ले जाना चाहता हूं जो एक जूट कम्पनी से संबंधित है और यह केस १६६० का ५८० एल० जे० में रिपोर्टेड है जिसमें न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया है कि अगर मिल मालिक अभिनवीकरण के नाम पर मजदूरों को बदली हुई स्थिति में

[श्री उग्रसेन]

रखना चाहें और वह अपने काम करने में कुछ ढिलाई करें तो भी गैरकानूनी नहीं माना जायगा क्योंकि मिल मालिको को अधिकार नहीं है कि किसी मजदूर को गैरकानूनी काम करने के लिये कहें। उनकी हड़ताल नहीं मानी जायगी यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो किस प्रकार यह समझ रही है कि म्योर मिल के मालिक गैरकानूनी कार्यवाही नहीं कर रहे है और मजदूर ही गैरकानूनी कार्यवाही कर रहे हैं ? सम्पूर्णानन्द एवार्ड ने भी मजदूरों का नुकसान कराया है और मिल मालिकों को फायदा पहुंचाया है.....

श्री अधिष्ठाता--

इस पर किसी बहस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर प्रश्न भी नहीं हो सकते।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

मैं क्लेरिफिकेशन के लिये यह जानना चाहता हूं कि १ लाख २९ हजार रुपया ग्रेचुइटी का म्योर मिल पर बाकी है, एरियर्स का रुपया बाकी है और एवार्ड को लागू करने पर यह प्रश्न उठाया गया है कि मिल की हालत खराब है लेकिन हमारे जो लीगल ड्यूज है वे तो मिलने चाहिये; मिल की हालत से उनका क्या वास्ता है ?

श्री अधिष्ठाता--

इस समय न कोई वक्तव्य होगा और न माननीय मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

श्रमिकों के यूनियन ने लेबर कमिश्नर को लिख कर दे दिया है कि वे २९ तारीख के पहले की स्थिति पर काम पर वापस लौटने को तैयार हैं बशत कि सारा मामला पंच निर्णय के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैंने वक्तव्य में कह दिया है कि जब तक बिना शर्त मजदूर हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं होंगे तब तक हमारा विभाग अथवा लेबर कमिश्नर उसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि जैसी परिस्थिति इस समय म्योर मिल कानपुर की हो रही है उसी प्रकार की परिस्थिति कई टैक्सटाइल मिलों की हो रही है क्योंकि उनके पास माल अधिक एकत्रित हो गया है। यदि हां, तो सरकार उसके बारे में क्या कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन सभी जानते हैं कि म्योर मिल की हालत खराब है। १ करोड़ कई लाख का सामान रुक गया है। ऐसी हालत है जिससे वे गवर्नमेंट के पास एप्रोच कर रहे हैं। ऐसी हालत में यह प्रापर टाइम नहीं था मजदूरों के लिये कि वे प्रेस करते। मामला यह है कि जो मजदूर यूनियनें हैं, उनके लीडर हैं, उनकी लीडरी ने इस मामले को उभार कर झगड़े में डाल दिया है।

श्री उग्रसेन--

यह गलत बात है। लीडरी का मामला बिलकुल नहीं है। यह मौका तो मंत्री जी ही हमको दे रहे हैं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री ने जैसा बताया, वहां पर इतने मजदूर बेकार हैं, उनकी कंडीशन यह है कि पहले हड़ताल तोड़ दें तो वहां की समस्या सुलझायी जायगी। मंत्री जी ने यह भी माना कि मिल मालिकान की अर्थिक दशा खराब है। सरकार से कुछ लोन लेने की बात चल रही है। तो क्या सरकार हस्तक्षेप न करके उपरोक्ष रूप से मिल मालिकों की मदद नहीं कर रही है ?

श्री उग्रसेन—

माननीया सुशीला जी और माननीय राजनारायण कांग्रेस के हैं। हम लीडरी करवा रहे हैं तो उनकी लीडरी बंशीधर जी मान लें। लेकिन यह किसी की लीडरी नहीं मानेंगे, अपनी लीडरी सर थोपे रहेंगे।

†उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ (क्रमागत)*

श्री अधिष्ठाता—

अब विधेयक पर विचार आरम्भ होता है।

खण्ड २—८

२—परिभाषाएं—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है,

(ख) किसी क्षेत्र के संबंध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है, जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रचलित किया जाय:

(ग) "आसुधार शुल्क" का तात्पर्य अध्याय ४ के अधीन लगाये जाने वाले शुल्क से है;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है;

(ङ) "परिषद् के भूगृहादि" का तात्पर्य किसी ऐसे भूगृहादि से है जो परिषद् का हो, या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसमें निहित हो अथवा परिषद् द्वारा पट्टे पर लिया गया हो या परिषद् को सौंपा गया हो, या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में हो;

(च) "भवन" का तात्पर्य गृह, वाह्य गृह, अस्तबल, सायबान, झोपड़ी (जो किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया की सीमाओं के बाहर किसी क्षेत्र में मिट्टी से बनी और किसी खेत से संलग्न अथवा उसमें स्थित झोपड़ी न हो) या अन्य बाड़े अथवा संरचना से है चाहे वह पत्थर, ईटों, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी अन्य पदार्थ का बना हो और चाहे वह मानव निवास के लिए अथवा अन्यथा

*१६ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही से।

†८ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, कुर्सी, जीना, दरवाजे की सीढ़ी अथवा दीवाल भी है, जिसमें गृह से असम्बद्ध बगीचे या कृषि भूमि की सीमा भित्ति से भिन्न अहाते की दीवाल सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा अन्य वहनीय अस्थायी आश्रय नहीं है

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(छ) "नगर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३ के अधीन नगर के रूप में संघटित किसी स्थानीय क्षेत्र से है ;

(ज) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से होने वाले लाभ और भूमि से सम्बद्ध, या भूमि से सम्बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से बद्ध, वस्तुयें भी हैं;

(झ) "महायोजना" का तात्पर्य तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन तैयार की गयी महायोजना से है :

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(ञ) "म्युनिसिपैलिटी" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा २ के खंड में यथा परिभाषित "म्युनिसिपैलिटी" से है :

उ० प्र० अधिनियम संख्या १९५९

(ट) "नगर महापालिका" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ४ के अधीन स्थापित नगर महापालिका से है :

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(ठ) "नोटीफाइड एरिया" का तात्पर्य यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३७ की उपधारा (२) में यथा परिभाषित नोटीफाइड एरिया से है ;

(ड) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भवन या भवन के किसी भाग से है और इसके अन्तर्गत—

(१) ऐसे भवन या उसके भाग से संलग्न कोई बगीचा, मैदान, भूमि और बाह्य-गृह भी है; तथा

(२) ऐसे भवन या उसके भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिए लगायी गयी फिटिंग भी है;

(ढ) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है;

(ण) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के सभी या किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए नियुक्त करे;

(त) "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(थ) "नियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(द) "राज्य सरकार का" तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ध) "टाउन एरिया" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जिसे यू०पी० टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ की धारा ३ के अधीन टाउन एरिया घोषित या परिभाषित किया गया हो । यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(न) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य धारा ६४ के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है,

(प) "इकाई" का तात्पर्य धारा ९ के अधीन स्थापित आवास इकाई से है ; और

(फ) खंडों (च), (छ) तथा (ञ) के अतिरिक्त किसी "नगर" या "म्यूनिसिपैलिटी" का उल्लेख उस नगर या म्यूनिसिपैलिटी की सीमाओं के बाहर पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्रों का उल्लेख भी समझा जायगा ।

३—परिषद का संघटन—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एक परिषद स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कहलायेगी ।

(२) परिषद उर्युक्त नाम से, शाश्वत उत्तराधिकारी वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह सम्पत्ति का अर्जन करने, धारण करने और निस्तारण करने तथा संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक कार्य करने के लिए सक्षम होगी ।

(३) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ तथा लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए परिषद् को स्थानीय प्राधिकरण समझा जायगा । ऐक्ट संख्या १, १८९४ ऐक्ट संख्या ९, १९१४

(४) परिषद् का प्रधान कार्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर होगा तथा प्रत्येक इकाई के मुख्यालय पर भी एक कार्यालय होगा और ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकते है जिन्हें वह उचित समझे या जिनके लिये राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय ।

(५) परिषद में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष जो साधारणतया एक अशासकीय व्यक्ति होगा, तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे;

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छः अशासकीय सदस्य जिनमें से एक किसी नगर महापालिका का नगर प्रमुख होगा और दो राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में से एक-एक सदस्य होंगे;

(ख) सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन;

(ग) सचिव, निवास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन;

(घ) सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, पदेन, यदि वह निवास विभाग का सचिव नियुक्त न किया गया हो ;

(ङ) मुख्य अभियंता, नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(च) मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश पदेन; और

(छ) आवास आयुक्त, पदेन, यदि वह अध्यक्ष नियुक्त न किया गया हो ।

(६) उपधारा (५) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने विभाग में अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का भी अधिकार होगा ।

(७) अध्यक्ष और उपधारा (५) के खंड (क) में अभिदिष्ट सदस्यों (का नामनिर्देशन) की नियुक्ति को गजट में विज्ञापित किया जायगा ।

४——अध्यक्ष या सदस्य, आदि होने के लिये अनर्हताएं——कोई भी व्यक्ति परिषद् का अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह——

(क) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए सिद्ध दोष हो;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(ग) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो ;

(घ) धारा ६ और ७ में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, परिषद् के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो;

(ङ) स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो, या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो जिसका परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व हो;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्हित नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका कि वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी है, निम्नलिखित में कोई अंश या स्वत्व है:——

(१) किसी अचल सम्पत्ति को बिक्री, क्रय उसे पट्टे पर देना या उसके विनियम अथवा उसके लिए किये गये किसी अनुबन्ध ;

(२) धनराशि के ऋण के लिए किसी अनुबन्ध या केवल धनराशि के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति ;

(३) किसी समाचार-पत्र जिसमें परिषद् के कार्यकलाप के संबंध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो ;

(४) किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य की परिषद् को किसी ऐसी वस्तु की यदा कदा बिक्री, जिसमें वह या कम्पनी नियमित व्यापार करता हो ।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति का, किसी ऐसी कम्पनी में, जिसका परिषद् के साथ या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व हो, केवल अंशधारी होने के कारण, स्वयं का ऐसा अंश या स्वत्व नहीं समझा जायगा ।

५--अध्यक्ष और अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल--(१) परिषद का अध्यक्ष, यदि वह आवास आयुक्त न हो, या कोई अशाकीय सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसका कार्यकाल पहले ही समाप्त न कर दिया जाय ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त नगरप्रमुख की दशा, में, सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल तब समाप्त हो जायगा जब वह नगर प्रमुख के पद पर न रह जाय ।

(२) अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वयं लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसे त्याग पत्र के स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

६--अध्यक्ष पद के संबंध में व्यवस्था--(१) अध्यक्ष को, यदि वह आवास आयुक्त न हो, ऐसा पारिश्रमिक परिषद् को निधि से दिया जायगा जो नियत किया जाय ।

(२) जब कभी किसी कारण से अध्यक्ष पद की अस्थायी रिक्ति हो तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को ऐसी रिक्ति की अवधि में अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकती है, और उस व्यक्ति को तदर्थ निश्चित किया गया पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायेगा । इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष समझा जायगा ।

७--आवास आयुक्त के संबंध में व्यवस्था--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आवास आयुक्त होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी ।

(२) आवास आयुक्त की सेवा संबंधी शर्तें वहीं होंगी जो नियत की जायें । उसे पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायगा ।

(३) राज्य सरकार, यदि उसकी यह राय हो कि विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना अपेक्षित है तो, आवास आयुक्त को, उसके कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है ।

(४) राज्य सरकार, आवास आयुक्त को तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन कोई प्राधिकारी भी नियुक्त कर सकती है ।

८--अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति--(१) परिषद् अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि पांच सौ रुपया से अधिक प्रारम्भिक मासिक वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की नियुक्ति ।

राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् और परिषद् तथा आयोग में कोई मतभेद होने की दशा में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के पश्चात् की जायेगी तथा इसी प्रकार सेवा की शर्तें निर्धारित की जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपधारा (२) में उल्लिखित सेवकों की दशा में ऐसा परामर्श आवश्यक न होगा ।

(२) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी सेवक को अपने अधीन किसी पद पर सहमत ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त कर सकती है जो तय हों ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ से ८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या १ और २ के बीच में वोटिंग हो सकती है ?

श्री अधिष्ठाता--

जी, वोटिंग हो सकती है, किन्तु तभी यदि इस पर किसी माननीय सदस्य की तरफ से ध्यान आकर्षित किया गया हो ।

खण्ड ९

९--इकाइयां--परिषद् संकल्प द्वारा किसी नगर के लिए और, राज्य सरकार के पूर्वानुमादन से, किसी अन्य क्षेत्र में अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के निमित्त उस क्षेत्र के लिए आवास इकाई स्थापित कर सकती है ।

(२) प्रत्येक इकाई परिषद् के अधिष्ठान का भाग होगी और उसमें वे अधिकारी तथा सेवक होंगे जो परिषद् द्वारा आवश्यक समझ जायें ।

(३) प्रत्येक इकाई एक अधिकारी के प्रभार में होगी जो आवास आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन भी करेगा जो उसे धारा १२ के अधीन प्रतिनिहित किये जायें ।

(४) जहां तक संभव हो और नियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक इकाई की आय तथा व्यय का लेखा पृथक रूप से रखा जायगा और किसी एक इकाई की बचतें केवल उसी क्षेत्र पर व्यय की जायेंगी जिससे वह इकाई संबंधित हो ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, खंड ९ में मैं निम्ननिवेदन संशोधन उपस्थिति करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में "किसी नगर के लिये" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया अथवा नगर महापालिका के लिये उसके संकल्प द्वारा"

मैं चाहता हूं जो संशोधन है, सरकार उसको मान ले । इससे नगर का स्पष्टीकरण हो जाता है कि किस स्तर का नगर है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें मेरी राय से परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह जैसा है वैसा ही ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में "किसी नगर लिये" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया अथवा नगर महापालिका के लिये उसके संकल्प द्वारा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०-१५

१०—आवास समितियां—(१) राज्य सरकार किसी इकाई के लिये स्थानीय परामर्शदात्री समिति संघटित कर सकती है जो आवास समिति कहलायेगी और उसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य ऐसे सदस्य और ऐसी शर्तों पर होंगे जो नियत किये जायें ।

(२) (क) किसी नगर की दशा में, उस की नगरमहापालिका का नगर प्रमुख;

(ख) किसी म्युनिसिपलिटी की दशा में, उसकी नगरपालिका का प्रेसीडेंट ;

(ग) किसी अन्य क्षेत्र की दशा में, (जिसमें कोई म्युनिसिपैलिटी अथवा उसका भाग भी सम्मिलित हो सकता है) कि ऐसे स्थानीय प्राधिकरण का कोई प्रेसीडेंट अथवा चेयरमैन, जिसका उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार हो, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय,

आवास समिति का अध्यक्ष होगा ।

(३) परिषद् सम्बद्ध आवास समिति से उन विषयों पर परामर्श करेगी जो नियत किये जायें और किसी अन्य विषय पर भी वह परामर्श कर सकती है ।

११--आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण---इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, आवास आयुक्त परिषद् के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा ।

१२--अधिकारों का प्रतिनिधान ---(१) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा [ऐसी शर्तों के, जिसमें स्वंय पुनर्विलोकन करने की शर्त भी सम्मिलित है और जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, अधीन रहते हुये] ऐसी शर्तों के अधीन जिसमें अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी हो सकती है, और जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

"(२) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, आवास आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिनमें अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी हो सकती है, और जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, परिषद् के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को, जो उपधारा (१) के अधीन प्रतिनिहित अधिकार और कर्त्तव्य न हों, प्रतिनिहित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।"

१३--स्वत्व होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता---परिषद् या किसी आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य---

(क) जिसका किसी मामले के संबंध में धारा ४ के खंड (ङ) या खंड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो, या

(ख) जिसने किसी मामले के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक रूप से काम किया हो जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो,

धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खंड में किसी बात के होते हुये भी, परिषद्, आवास समिति या समिति के ऐसे मामले से संबद्ध किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा ।

(२) यदि परिषद्, आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी किसी भी योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो कोई स्वत्व हो, तो वह परिषद् आवास समिति या समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से संबद्ध किसी मामले पर विचार किया जाय ।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) की कोई बात परिषद्, आवास समिति या समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं के अभिदिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से संबद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी ।

१४--अनौपचारिकतारिक्त, आदि के कारण किये गये कार्य अवैध नहीं होंगे--परिषद्, किसी आवास समिति या परिषद द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित के कारण अवैध न होगी :--

(क) परिषद्, आवास समिति या समिति में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई दोष होने ; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य रूप में कार्य कर रहा हो, कोई दोष या अनियमितता होने या,

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता होने, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो ।

१५--परिषद् के कृत्य (१) इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे :--

(क) आवास और सुधार योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं का बनाना और उन्हें निष्पादित करना ;

(ख) राज्य में विभिन्न आवास संबंधी कार्यालयों की योजना बनाना और उन्हें समन्वित करना तथा राज्य में आवास और सुधार योजनाओं का शीघ्र तथा कुशल कार्यान्वित सुनिश्चित करना ;

(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त आवास और सुधार योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्राविधिक परामर्श देने की व्यवस्था करना और उनकी जांच करना ;

(घ) राज्य सरकार की ऐसी अचल संपत्तियों का प्रबन्ध हाथ में लेना जो इस प्रयोजन के लिये उसे संक्रमित की जायं या सौंपी जायं,

(ङ) परिषद् के या परिषद् के नियंत्रण और प्रबन्ध में सौंपे गये राज्य सरकार के प्लाटों, भवनों तथा अन्य संपत्तियों का अनुरक्षण, उपयोग, अलाट करना, पट्टे पर देना या अन्य प्रकार से संक्रमण,

(च) इमारती सामानों का निर्माण करने तथा उनको जमा करने के के लिये वर्कशाप और स्टोर्स संगठित करना और उन्हें चलाना,

(छ) किसी योजना के अधीन निर्मित गृहों को ऐसी शर्तों पर जो परिषद् व राज्य सरकार के बीच तय हो उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ के अधीन गृह घोषित करना, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २३, १९५५

(ज) भवन संबंधी निर्माण-कार्यों को विनियमित करना

(झ) मलिन बस्तियों का सुधार और निपातन ;

(ञ) परिषद् द्वारा विकसित क्षेत्रों में सड़क, विद्युत् स्वच्छता, जल-सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(ट) पूर्वोक्त किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये चल अथवा अचल संपत्ति अर्जित करना ;

(ठ) ऊपर लिखे किन्हीं भी प्रयोजनों केलिये बाजार से ऋण लेना राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निगमों

से अनुदान और ऋण लेना, तथा स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य सार्वजनिक निगमों, आवास सहकारी समितियों और अन्य व्यक्तियों को अनुदान तथा ऋण देना ।

(ड) किसी सम्पत्ति की जांच, परीक्षा या सर्वेक्षण करना या किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा की गयी ऐसी जांच परीक्षा या सर्वेक्षण के व्यय में योगदान करना;

(ढ) आसुधार शुल्क, लगाना ;

(ण) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी अन्य दायित्व को पूरा करना, और

(त) ऊपर लिखे कृत्यों का सम्पादन करने के लिये अन्य समस्त आवश्यक कार्यों को करना ।

(२) इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के रहते हुये, परिषद् यदि आवश्यक समझे तो निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य कर सकती है अर्थात्-

(क) भवनों के शीघ्र निर्माण और उनके व्यय को कम करने के लिये अन्वेषण कार्य को बढ़ावा देना,

(ख) सार्वजनिक संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निगमों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों की ओर से राज्य में निर्माण कार्य निष्पादित करना ;

(ग) इमारती सामानों की बिक्री, और उनका सम्भरण करना ;

(घ) इमारती सामानों के उत्पादन का समन्वय, सरली करण और स्तरीकरण करना तथा संरचनात्मक भागों की पूर्व-गढ़ाई (प्रोफैब्रिकेट करना) और बड़े पैमाने पर उनके उत्पादन को प्रोत्साहित तथा संगठित करना ;

(ङ) किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में और उसके आसपास की जनता को गमनागमन की सुविधा देने के उद्देश्य से किसी परिवहन सेवा की स्थापना, उसका अनुरक्षण और परिचालन करना, सड़कों और पुलों को बनाना, चौड़ा करना, सुदृढ़ बनाना या उनका अन्य प्रकार से सुधार करना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये दूसरों की वित्तीय सहायता देना ;

(च) ऊपर लिखे कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अन्य समस्त आवश्यक कार्यों को करना ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १० से १५ तक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १६

१६—परिषद् द्वारा आवास या सुधार योजना कब बनाई जायगी—(१) परिषद् स्वतः अथवा स्थानीय प्राधिकरण के कहने पर आवास या सुधार योजना बना सकती है और राज्य सरकार के ऐसा निदेश देने पर अवश्य बनायेगी ।

(२) स्थानीय प्राधिकरण के कहने पर किसी आवास या सुधार योजना को बनाने से और उसका निष्पादन करने से परिषद् इन्कार कर सकती है, यदि उसका

यह समाधान हो जाय कि ऐसी योजना अनावश्यक है अथवा व्यवहार्य नहीं है या ऐसी योजना को बनाने और उसका निष्पादन करने के लिये उसके पास निधि नहीं है और इस प्रकार अस्वीकार करने की सूचना वह उक्त प्राधिकरण को देगी । परिषद् किसी योजना के बनाये जाने हेतु स्थानीय प्राधिकरण की प्रार्थना मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर अपने निर्णय की सूचना देगी ।

(३) उपधारा (२) के अधीन परिषद् की अस्वीकृति से क्षुब्ध कोई स्थानीय प्राधिकरण सूचना प्राप्त होने के दिनांक से दो मास के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जो उस पर ऐसा आदेश दे सकती ह जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे आदेशों का पालन करेगी ।

श्री उग्रसेन--

मै खंड १६ में प्रस्ताव करता हूं....

श्री अधिष्ठाता--

आपको अधिकृत तो नहीं किया गया है ।

श्री उग्रसेन---

नहीं, हमको कमलासिंह जी ने कह दिया है कि अगर कोई संशोधन मैं ठीक समझूं तो उसे रख दूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (२)की चतुर्थ पंक्ति में "उनके पास निधि नहीं है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"स्थानीय प्राधिकरण के पास स्वयं निधि है"

तथा खंड १६ के उपखंड (२)की छठी पंक्ति में "देतु" के स्थान पर "हेतु" और सातवीं पंक्ति में "एक वर्ष" के स्थान पर "तीन माह" रख दिया जाय ।

श्रीमन् यह शाब्दिक है.....

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि छठी पंक्ति में "देतु" के स्थान पर "हेतु" हो जाय क्योंकि वह छपने की गलती है । दूसरे को मैं स्वीकार नहीं करता ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको यह सूचित कर दूं कि छपने की गलती कार्यालय द्वारा ठीक हो जायगी ।

श्री उग्रसेन--

अगर श्रीमन्, ३ माह नहीं रहेगा तो जो विधेयक का उद्देश्य है वह ही पूरा नहीं होगा । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे पुनः विचार कर लें और इसे स्वीकार कर लें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

प्रवर समिति में इस प्रश्न पर काफी विचार हुआ है और यही समझा गया कि इसमें एक साल की अवधि रखी जाय, पहले कोई अवधि नहीं थी । तीन महीने में जो कानूनी कार्यवाहियां आवश्यक होती हैं वह भी पूरी नहीं हो पायेंगीं, इसमें यह दिक्कत आयेगी । इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (२) की चतुर्थ पंक्ति में "उसके पास निधि नहीं है" के

स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"स्थानीय प्राधिकरण के पास स्वयं निधि है"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (२) की छठीं पंक्ति में "देतु" के स्थान पर "हेतु" और सातवीं पंक्ति में "एक वर्ष" के स्थान पर "तीन माह" रख दिया जाय। यहां मै फिर बता दूं कि शाब्दिक संशोधन वैसे ही ठीक हो जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

आप, अधिष्ठाता जी, व्यवस्था दीजिए कि आप जो वोटिंग करा रहें हैं यह कहां तक वैधानिक है ? चूंकि १ और २ बजे के बीच में कोरम नहीं होता और जब कोरम नहीं है तब आप जो इस तरह से बिल पास करवाते जा रहें हैं यह कहां तक वैधानिक होगा ?

श्री अधिष्ठाता--

आप डिवीजन क्लेम करें तो मैं इसको बन्द कर दूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन् मेरे कहने का मतलब यह है कि कोरम के लिए इस सदन का रिजोल्यूशन हो चुका है कि १ और २ बजे के बीच में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और उसी के साथ साथ यह भी निश्चय हुआ था कि इस बीच कोई वोटिंग नहीं होगी। अब जो वोटिंग हो रही है और बिल बिना कोरम के पास हो रहा है यहां कहां तक वैधानिक है।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

सदन ने बैठकर यह निश्चय किया था कि १ और २ बजे के बीच में कोरम न होने पर भी जो कार्यवाही होगी वह ठीक मानी जायगी और यह सदन ठीक तरह से चल रहा है और आपका यह तर्क निरर्थक है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मायर जी, आपका कहना ठीक है कि कोरम के अभाव में जो कार्यवाही होगी वह अनियमित होगी परन्तु कोरम का अभाव तो तब माना जायगा जब उसे चैलेंज किया जाय या अध्यक्ष कहे कि कोरम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं है कि १ और २ बजे के बीच वोटिंग नहीं होगी। यदि आप यह प्रश्न उठावें कि कोरम नहीं है तो यह अवश्य बन्द हो सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मेरा मतलब यह था कि इस सदन का एक रिजोल्यूशन हो चुका है कि १ और २ बजे के बीच कोरम की जरूरत नहीं है। उस रिजोल्यूशन के साथ-साथ यह होगा कि इस बीच में कोई वोटिंग नहीं होगी। मै यही कह रहा था कि यह सारी कार्यवाही कहां तक वैधानिक होगी ?

श्री राज नारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

श्रीमन् मेरा यह एक निवेदन सुन लें। पहले तो मान्यवर, अभी कोरम गिना जाय तो वह पूरा है। १ और २ बजे के बीच कोरम की आवश्यकता नहीं है के मतलब ही यह कि इस बीच में बिना कोरम भी वह सब काम किये जा सकते हैं जो कोरम रहने के समय किये जाते हैं और वे सब काम वैधानिक समझे जायेंगे। मै समझता हूं कि यह सारी कार्यवाही जो हो रही है वह बिलकुल नियमित है। वैसे इस वक्त भी देखा लिया जाय कि कोरम है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

कोरम के लिये घंटी बजा ली जाय, श्रीमन् ?

(घंटी बजवायी गयी)

श्री राजनारायण मिश्र---

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि वोटिंग किसी ने चैलेंज नहीं किया और कोरम सदन के अन्दर पूरा है तो फिर घंटी किस लिये बजी और दरवाजे किस लिये बन्द हुये ?

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठिये। माननीय मायर जी, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। ऐसा कोई वैधानिक नियम तो नहीं हो सकता है कि १ और २ बजे के बीच कोरम की अवश्यकता नहीं होगी। हां, हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से यह कन्वेंशन बना लिया और हम उसी के अनुसार काम करते हैं। तो जब तक वह चैलेंज नहीं होता है तब तक यही माना जायगा कि कोरम है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

यह बात ठीक है लेकिन उसी के साथ यह भी ठीक है

श्री अधिष्ठाता---

अगर कोरम पूरा होगा तो वोटिंग को रोक नहीं सकते।

श्री राजनारायण मिश्र---

जब एक बात तय हो गयी कि कोरम है तो व्यवस्था का प्रश्न ही कहां उठता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं तो यही कह रहा था कि आप देख लीजिये की यह कहां तक वैधानिक है।

श्री अधिष्ठाता---

इसके लिये मैंने आपसे कह दिया।

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंण्ड १७

१७---विषय जिनकी व्यवस्था आवास या सुधार योजनाओं में की जायगी---तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी आवास या सुधार योजना में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(क) योजना के लिए आवश्यक अथवा उसके निष्पादन से प्रभावित होने वाली किसी संपत्ति का क्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से अर्जन ;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का विन्यास या पुनर्विन्यास ;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनर्वितरण ;

(घ) मानव-निवास के लिये अनुपयुक्त निवास-स्थानों या निवास-स्थानों के भागों का सुधार या निपातन ;

(ङ) प्रस्तावित विन्यास में बाधा डालने वाले भवनों या भवनों के भागों को गिराना ;

(च) भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण ;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी संपत्ति का विक्रय (जिसमें किराया किस्त के आधार पर बेचना भी शामिल है) पट्टे पर देना या विनिमय ;

(ज) मार्गों, सड़कों, गलियों, पुलों-पुलियों या नदी 'नालों पर' पक्के-पथों का निर्माण या उनमें परिवर्तन ;

(झ) योजना में सम्मिलित सड़कों जलोत्सारण जल-सम्भारण या रोशनी की व्यवस्था,

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के या किसी मिले हुये क्षेत्र के लाभार्थ विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, पार्कों, जिसमें बच्चों के पार्क भी शामिल हैं, तैरने के तालाबों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों, और उप-मार्गों की व्यवस्था ;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई का प्रबन्ध करना, जिसके अन्तर्गत नदियों या जल-सम्भरण के अन्य स्रोतों तथा साधनों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुंचाने या दूषित होने से बचाना भी है ;

(ठ) किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था ;

(ड) संचार और परिवहन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था,

(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक सूचना और आंकड़े एकत्रित करना ;

(ण) बाजारों, व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थलों, बगीचों, खेल के मैदानों और वृक्षारोपण के लिए भूमि का सुधार, विकास या आरक्षण ;

(त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में उपहार गृहों, दूकानों, बाजारों, ईधन के डिपों, धुलाई गृहों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था ;

(थ) योजना के प्रयोजनों के लिये ऋण देने ; और

(द) कोई अन्य विषय नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई योजना, यथाशाक्य तत्समय प्रचलित महायोजना, के यदि कोई हो, अनुरूप होगी ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १७ का इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंण्ड १८

१८--आवास और सुधार योजना के प्रकार--(१) आवास या सुधार योजना निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक प्रकार की होगी, अथवा उसमें ऐसे दो या अधिक प्रकारों का सम्मिश्रण होगा या उसमें उनकी विशष बात होंगीं अर्थात्--

(क) गृह स्थान योजना ;

(ख) मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना ;

(ग) पुनर्वासन योजना ;

(घ) सड़क योजना ;

(ङ) भावी सड़क योजना ;

(च) प्रसार योजना ;

(छ) भूमि विकास योजना ;

(ज) बाजार योजना ;

(झ) बाढ़ योजना ।

(२) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर जो वह परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, आरोपित करना उचित समझे परिषद् को उपधारा (१) में अनिर्दिष्ट प्रकार की किसी आवास या सुधार योजना को हाथ में लेने का निदेश दे सकती है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मै श्री कमला सिंह वाला संशोधन पेश करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग "झ" के पश्चात् निम्नलिखित भाग (ञ) रख दिया जाय—

"(ञ) पेशाब या शौचालय योजना" ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आप किस नियम के अन्तर्गत इसको पेश कर रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

आप इसको पास तो करा ही लेंगे, फिर मुझे काहे को रोक रहें हैं ? श्रीमन्, अगर य वहां उस कुर्सी पर बैठे होते तब मुझे नहीं रोकते जब कि इससे भी ज्यादा गरम बात मैं कह देता ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन जी, आप खंड १८ का विरोध कर रहे हैं या माननीय कमला सिंह जी का संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

मैं संशोधन को पेश कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

तो पहले उस संशोधन को पेश कीजिये ।

श्री उग्रसेन—

मैंने उस संशोधन को पेश कर दिया था तब तक आपने मुझे रोक दिया । श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि खंड १८ में जहां मूह स्थान योजना, मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना, पुनर्वास योजना, भावी सड़क योजना, प्रसार योजना, भूमि विकास योजना, बाजार योजना और बाढ़ योजना है, उसक बाद "पेशाब या शौचाय योजना" को भी रख दिया जाय ।

[श्री उग्रसेन]

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से हमारी बहुत जमाने से यह मांग है कि गांवों के सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक पाखाने बनाये जायं और खास कर स्त्रियों के लिये बनाये जायं। जब आप एक सुधार करना चाहते हैं तो उसमें "पेशाब या शौचालय योजना" को भी अवश्य शामिल किया जाय ताकि नगरों के अन्दर जहां-जहां मलिन बस्तियां हैं जिनका कि आप सुधार करना चाहते हैं, उनका सही माने में सुधार हो सके। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे। इस पर कोई लम्बा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि यह इतनी बड़ी योजना नहीं है कि दूसरी सुधार योजनाओं में इसको शामिल कर लिया जाय।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का मेरे ऊपर आक्षेप यह है कि यह हमारी भावात्मक योजना है, कोई बड़ी योजना नहीं है लेकिन आप देखें कि इनकी योजना क्या है--पुनर्वास योजना, सड़क योजना, भावी सड़क योजना, प्रसार योजना, मालूम नहीं प्रसार योजना के अन्तर्गत मत्स्य प्रसार योजना है, फिल्म प्रसार योजना है, कृषि प्रसार योजना है या कौन-सी प्रसार की योजना है। तो माननीय जी से मेरी प्रार्थना है कि जहां और सारी सुधार योजनायें उन्होंने रखी हैं वहां उनमें "पेशाब या शौचालय" योजना को भी शामिल कर लें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड १८ के उपखण्ड (१) के भाग '(झ)' के पश्चात् निम्नलिखित भाग (ञ) रख दिया जाय--

"(ञ) पेशाब या शौचालय योजना :"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

इस पर डिवीजन २ बजे के बाद होगा।

खंड १९

१९--गृह-स्थान योजना--(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में गृह स्थान की कमी को पूरा करने के लिये ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक है, तो परिषद् गृह-स्थान योजना बना सकती हैं।

(२) ऐसी योजना में उस क्षेत्र के विन्यास का उल्लेख होगा जहां पर गृहों का निर्माण किया जाना हो और उसमें परिषद् तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(३) परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार बनाये गये किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है, जिसमें किराया किस्त के अधार पर बेचना भी सम्मिलित है।

(४) परिषद् उस क्षेत्र में मांग, सड़कों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़कों पर रोशनी, सामुदायिक भवनों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

*श्री उग्रसेन—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १९ के उपखण्ड (२) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "परिषद् तथा" "और अन्य व्यक्तियों" के बीच "उसकी देख-रेख में" शब्द जोड़ दिया जाय।

यह शाब्दिक संशोधन है। इसके ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जहां इसमें यह लिखा है कि "परिषद तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है" तो इसमें "देखरेख" शब्द को हम रखना चाहते हैं जिससे सुन्दर काम वहां पर हो सके। आशा है मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उग्रसेन जी इसको समझ नहीं रहे हैं। देख-रेख रखने से इसके माने गलत हो जायेंगे। जो वहां पर काम करेगा वह तो परिषद् ही करेगा। इस वजह से देखरेख रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ के उपखण्ड (२) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "परिषद् तथा" और "अन्य व्यक्तियों" के बीच उसकी "देख-रेख में" शब्द जोड़ दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री उग्रसेन—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १९ के उपखण्ड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "गृह को" और "पट्टे पर दे" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय—

"राज्य सरकार की स्वीकृति से अथवा जब स्थानीय प्राधिकरण के कहने से बनाया हो अथवा उसमें प्राधिकरण का स्वत्व हो तो उसकी अनुमति से।"

यह विधेयक में इस प्रकार है कि "परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार बनाये गये किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है जिसमें (क्रय विक्रय) किराया किस्त के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है।" इसमें हमें यह चाहते हैं कि सरकार की स्वीकृति से अथवा स्थानीय प्राधिकरण के कहने से बनाया हो तो वह उसकी अनुमति दे तभी वह ऐसा कर सकती है। इसमें केवल अधिकार देने की बात है। आशा है मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस तरह के संशोधन को स्वीकार करने से दिक्कत बढ़ जायगी। यह तो स्वयं परिषद् ही अलाऊ करेगा और उसको ही अधिकार होगा। यदि यह उचित संशोधन होता तो मैं इसको स्वयं ही मान लेता। इस वजह से मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ के उपखण्ड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "गृह को" और "पट्टे पर दे" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"राज्य सरकार की स्वीकृति से अथवा जब स्थानीय प्राधिकरण के कहने से बनाया हो अथवा उसमें प्राधिकरण का स्वत्व हो तो उसकी अनुमति से"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०-२४

२०--मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना--(१) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि--

(क) किसी क्षेत्र में, निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा संभाव्य कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त है, या

(ख) किसी क्षेत्र में--

(१) सड़कों , भवनों अथवा भवनों के समूहों की संकीर्णता, समीपता या दोषपूर्ण व्यवस्था अथवा प्ररचना या दशा होने , या

(२) अति घनी आबादी होने, या

(३) प्रकाश, वायु, वातायन या यथोचित सुविधाओं का अभाव होने, या

(४) कोई अन्य स्वच्छता संबंधी दोष होने,

उस क्षेत्र के अथवा पास-पड़ोस के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार संकट में पड़ने की संभावना है तो परिषद् उस क्षेत्र के संबंध में मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना बना सकती है ।

(२) ऐसी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है--

(क) उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, गलियों और खुले स्थानों तथा अन्य सुविधाओं के लिये स्थलों का आरक्षण तथा निर्माण और उनके लिये व्यवस्था तथा विद्यमान मार्गों, सड़कों, गलियों, खुले स्थानों और अन्य सुविधाओं में परिवर्तन

(ख) क्षेत्र के स्थलों का पुनर्विन्यास ;

(ग) परिषद् द्वारा क्षेत्र में स्थित किसी स्थल या भवन का अर्जन;

(घ) क्षेत्र में भूमियों और भवनों के संबंध में सुधार कार्य करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(ङ) क्षेत्र में भवनों के निर्माण, पुर्ननिर्माण को या परिवर्तन को अथवा परिवर्द्धन को विनियमित करना ;

(च) क्षेत्र के स्थलों पर विद्यमान और उनके उपबन्धों में परिवर्तन करना या उन्हें गिराना ;

(छ) क्षेत्र के स्थलों पर गृहों तथा अन्य भवनों का निर्माण ।

(ज) योजना के अनुसार विद्यमान भवनों का निर्माण करने या उनमें परिवर्तन करने अथवा नये भवनों का निर्माण करने के लिए स्वामियों को सहायता देने के उद्देश्य से उन्हें ऐसी शर्त और प्रतिबन्धों पर अग्रिम धन देना जिनकी व्यवस्था योजना के अन्तर्गत की जाय।

२१--पुनर्वास योजना--जब कभी परिषद् की यह राय हो कि ऐसे व्यक्तियों के लिये गृह-स्थान की व्यवस्था करना आवश्यक है--

(क) जो इस अधिनियम के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से विस्थापित हो गये हों अथवा जिनके विस्थापित होने की संभावना हो, या

(ख) जिन्हें किसी क्षेत्र की घनी आबादी को कम करने के लिये उस क्षेत्र से हटाना आवश्यक हो,

तो परिषद्, मार्गों, सड़कों और खुले स्थानों के सहित ऐसे निवास स्थानों और दूकानों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबंध के लिये अथवा ऐसे खुले प्लाटों की व्यवस्था करने के लिये जो आवश्यक समझे जायं, पुनर्वास योजना बना सकती है ।

२२--सड़क योजना--(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि--

(क) भवन निर्माण के स्थलों की व्यवस्था करने, या

(ख) दोषपूर्ण वातायन को ठीक करने, या

(ग) नये संचार साधन स्थापित करने अथवा विद्यमान संचार साधनों और यातायात की सुविधाओं में सुधार करने, या

(घ) मलवाहन के लिये अच्छी सुविधाएं देने,

के लिये किसी क्षेत्र में नई सड़कें बनाना या विद्यमान सड़कों में (जिसमें पुल, पक्का नदी पथ और पुलिया भी सम्मिलित हैं) परिवर्तन करना इष्टकर है, तो परिषद् ऐसे क्षेत्र के लिये सड़क योजना बना सकती है ।

(२) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ऐसी योजना में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्--

(क) किसी ऐसी भूमि का अर्जन, जो परिषद् की राय में योजना के के लिये आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार अर्जित की गयी सभी या किसी भूमि का पुनर्विन्यास, जिसमें परिषद् द्वारा या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी सम्मिलित है तथा सड़कों और जनमार्गों का विन्यास, निर्माण और परिवर्तन ;

(ग) इस प्रकार विन्यासित, निर्मित या परिवर्तित सड़कों तथा जनमार्गों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण और रोशनी की व्यवस्था ;

(घ) योजना के प्रयोजनों के लिये परिषद् में निहित, या उसके द्वारा अर्जित किसी भूमि का सुधार अथवा उसकी सतह को ऊंचा या नीचा करना; और

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिये अपेक्षाकृत अच्छे वातायन के निमित्त खुले स्थानों की व्यवस्था ।

२३--भावी सड़क योजना--(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी सड़क को उसके विद्यमान संरेखण का परिवर्तन करके भविष्य में चौड़ा करने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तावित उन्नत संरेखण के भीतर आने वाली सभी या किसी सम्पत्ति को तुरन्त अर्जित करना

आवश्यक नहीं है तो परिषद् एक भावी सड़क योजना बना सकती है, जिसमें सड़क के दोनों ओर का संरेखण निर्धारित किया जायगा, और उस योजना को निष्पादित करने के लिये कालावधि निर्दिष्ट होगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कालावधि परिषद् द्वारा उस बढ़ायी गयी अवधि को, यदि कोई हो, सम्मिलित करके किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक से बीस वर्ष से अधिक न होगी ।

(२) ऐसी योजना में निम्नलिखित विषयों के लिये व्यवस्था की जायगी, अर्थात्—

(क) योजना के निष्पादन के लिये कालावधि के भीतर निर्धारित सड़क-संरेखण के अन्तगत आने वाली किसी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का अर्जन;

(ख) परिषद् या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभी अथवा किसी संपत्ति का पुनर्विन्यास, जिसमें भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी सम्मिलित है, तथा सड़क का निर्माण व संरेखण; और

(ग) इस प्रकार निर्मित या परिवर्तित सड़कों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण और रोशनी की व्यवस्था ।

(३) ऐसी योजना प्रचलित हो जाने के बाद—

(क) परिषद् की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई व्यक्ति योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर किसी भवन का इस प्रकार निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा जिससे कि निर्धारित संरेखण में कोई अतिक्रमण हो जाय ;

(ख) यदि परिषद् सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर स्थित किसी संपत्ति का अर्जन न करे या उसके अर्जन के लिये कार्यवाही न करे तो ऐसी संपत्ति का स्वामी, उक्त योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर या उसके बाद तीन वर्ष के भीतर किसी समय परिषद् को इस बात का नोटिस दे सकता है कि नोटिस के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसी संपत्ति का अर्जन करे अथवा अर्जन के लिये कार्यवाही करे, और तदुपरान्त परिषद् उस संपत्ति को अनुबन्ध द्वारा अर्जित करेगी, अथवा खण्ड (ग) के अधीन नोटिस द्वारा ऐसी कार्यवाही करेगी और तदनुसार उक्त संपत्ति का अर्जन करेगी और यदि परिषद् ऐसा न करे तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित प्रतिकर का भुगतान करेगी ;

(ग) सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर आने वाली किसी संपत्ति का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करने के पूर्व परिषद्—(१) ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में, जिसके लिये उसे खण्ड (ख) के अधीन नोटिस मिला हो, पन्द्रह दिन का नोटिस, और (२) अन्य संपत्ति के संबंध में छः मास का नोटिस ऐसी संपत्ति के स्वामी को उस संपत्ति का अर्जन करने के अभिप्राय का देगी ;

(घ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ या किसी ऐसे अन्य अधिनियम में, जिससे किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस धारा के अधीन कोई योजना विज्ञापित की गयी हो, स्थानीय प्राधिकरण का संघटन किया गया हो, किसी बात के होते हुए भी, ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर सड़क के किसी संरेखण को निर्धारित या नियत करने का अधिकार न होगा और ऐसी सीमाओं के भीतर पहले से निर्धारित या नियत किया गया कोई ऐसा संरेखण प्रभावी नहीं रहेगा।

उ०प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९
यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१६
उ०प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१

२४—प्रसार योजना—(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया का भविष्य में प्रसार या विकास करने पर नियन्त्रण और उसकी व्यवस्था करना इष्टकर है, तो परिषद् प्रसार योजना बना सकती है और उक्त योजना के निष्पादन के लिये समय सीमा निर्दिष्ट करेगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय सीमा, जिसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी समय सीमा, यदि कोई हो, भी है, किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक से बीस वर्ष से अधिक न होगी।

(२) ऐसी योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिये उसके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायगा।

(३) ऐसी किसी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात्, परिषद् की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।

(४) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त क्षेत्र में अपनी भूमि पर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन करने की अनुज्ञा देने से परिषद् इनकार करे, और इस प्रकार की अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उस भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही न करे तो परिषद् उस व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति के परिणामस्वरूप हुई किसी क्षति के लिये ऐसा प्रतिकर देगी जो इस अधिनियम और नियमों के अधीन अवधारित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद् तदर्थ यथाविधि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर न तो उपर्युक्त अनुज्ञा दे और न अनुज्ञा देने से इनकार करे तो ऐसी अवधि की समाप्ति के दिनांक को अनुज्ञा देने से इनकार करना समझा जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २०, २१, २२, २३ और २४ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद जो आइटम्स १२ नम्बर पर हैं उसका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें पांच बजे का मतलब यह है कि यदि सदन ५ बजे तक चले। यदि सदन पहले समाप्त होता है तो यह उसके बाद लिया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

नियम के अनुसार जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देशन दें यह नियतन साधारणतः सदन की बैठक के दौरान में किसी मंगलवार या बृहपतिवार के लिये सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायगा। तो सामान्य कार्य की समाप्ति के बाद यह लिया जाना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

लेकिन माननीय सदस्य कैसे जानेंगे कि कार्यवाही सदन की समाप्त हो गयी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से आशा की जाती है कि सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहें।

खंड २५—९८

२५—भूमि विकास योजना—(१) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिये स्थलों की व्यवस्था करना इष्टकर है तो परिषद् भूमि विकास योजना बना सकती है।

(२) ऐसी योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिये उसके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायगा।

(३) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिये परिषद् मार्गों, सड़कों, खुले स्थानों, जलोत्सारण, जल सम्भरण, सड़क पर रोशनी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

(४) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिषद् भवन-निर्माण के स्थलों को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है जिसमें किराया किस्त के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है।

२६—बाजार योजना—(१) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में क्रय-विक्रय, दूकानों से सामान खरीदने या वाणिज्य की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं, या उत्पादकों, बैंकरों, व्यापारियों, व्यावसायिक वर्ग के सदस्यों, उपभोक्ताओं, ग्राहकों या कार्यार्थियों के लिये विद्यमान बाजार या व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक अधिष्ठान असुविधाजनक हैं, या विद्यमान बाजारों अथवा वाणिज्यिक या व्यावसायिक केन्द्रों में अन्यथा सुधार या परिवर्तन करना अथवा उन्हें गिराना या किसी क्षेत्र में नये बाजारों अथवा केन्द्रों का विन्यास करना इष्टकर है, तो परिषद् उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये बाजार योजना बना सकती है।

(२) बाजार योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) मंडियों, दूकानों, स्टालों, गोदामों, उपाहार-गृहों, सिनमाओं, वाणिज्यिक गृहों, व्यावसायिक कार्यालयों, पेट्रोल पम्पों, यांत्रिक, सेवा और मरम्मत करने के स्टेशनों, धुलाई गृहों, तथा अन्य अपेक्षित भवनों और संरचनाओं का निर्माण ;

(ख) मार्गों, सड़कों, गलियों, पार्श्व पथों, पार्कों और मोटर गाड़ियां खड़ी करने के स्थलों का बनाना, जल-सम्भरण, बस के अड्डों तथा साइकिल और अन्य गाड़ियों के अड्डों, शौचालयों, विश्राम स्थलों तथा अन्य सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था

(ग) योजना में सम्मिलित क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का परिषद् द्वारा अर्जन, और

(घ) परिषद् द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को किसी बाजार का पूर्णतः या प्रबन्ध करने के लिये, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर संक्रमण जिन पर परिषद् व वह स्थानीय प्राधिकरण या व्यक्ति सहमत हों ।

२७—बाढ़ योजना—(१) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो किसी क्षेत्र किसी नदी या नाले में बाढ़ आ जाने अथवा पानी इकट्ठा हो जाने के ण प्रभाव पड़ा है अथवा उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो परिषद् क्षेत्र के लिये बाढ़ योजना बना सकती है।

(२) बाढ़ योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) ऐसे गृहों और आवश्यक संपूर्ति अधिष्ठापनों की रक्षा के लिये, जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो, संरचनाओं का निर्माण ;

(ख) बाढ़ से क्षतिग्रस्त गृहों की मरम्मत या पुनर्निर्माण ;

(ग) संचित जल की निकासी के लिये नालियों और निर्गम मार्गों का निर्माण ;

(घ) किसी क्षेत्र की सतह ऊंची करना ;

(ङ) किसी क्षेत्र में स्थलों का पुनर्विन्यास ;

किसी नदी या नाले से मिट्टी आदि निकालना ;

(च) योजना के लिये आवश्यक किसी क्षेत्र का अर्जन ;

(छ) किसी बाढ़ ग्रस्त अथवा संकटापन्न स्थान के निवासियों को हटाना और उनके लिये वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करना ।

२८—आवास एवं सुधार योजनाओं के लिये नोटिस—(१) जब कोई आवास या सुधार योजना बना ली जाय तो परिषद् इस आशय का एक नोटिस तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायंगी —

(क) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं ;

(ख) दिनांक, समय और स्थान या स्थानों का उल्लेख, जब और जहां पर क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण, तथा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि और उस भूमि के ब्योरे, जिसके संबंध में आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, देखे जा सकते हैं, और

(ग) दिनांक, जब तक कि योजना के संबंध में आपत्तियां की जा सकती हैं।

(२) परिषद्—

(क) उक्त नोटिस को सप्ताहवार लगातार तीन सप्ताह तक (१) गजट में, और (२) ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार पत्र होगा, प्रकाशित करायेगा जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचलन हो; और

(ख) उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरणों को भेजेगा जिनके क्षेत्राधिकार के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो।

(३) आवास आयुक्त उपधारा (१) के खन्ड (ख) में अभिदिष्ट किसी लेख्य की प्रतिलिपि किसी भी प्रार्थी को ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर दिलायेगा जिसकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाय।

२९—प्रस्तावित अर्जन या आसुधार शुल्क लगाये जाने का नोटिस—किसी आवास या सुधार योजना के संबंध में धारा २८ के प्रयोजन किसी नोटिस के पहली बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर, परिषद् ऐसे प्रपत्र में, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, नोटिस तामील करेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जायगा कि परिषद् योजना के निष्पादन के लिये किसी निर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन करने का अथवा आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करती है।

३०—आपत्तियां—(१) कोई स्थानीय प्राधिकरण जिसे धारा २८ की उपधारा (२) के खन्ड (ख) के अधीन नोटिस की एक प्रतिलिपि भेजी गयी हो, ऐसी प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(२) कोई व्यक्ति जिस पर धारा २९ के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसको परिषद् पर्याप्त कारण से अनुज्ञप्ति दे, योजना या प्रस्तावित अर्जन अथवा आसुधार शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध परिषद् को लिखित आपत्ति कर सकता है।

(३) कोई अन्य व्यक्ति भी धारा २८ के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

३१—योजना का परित्याग, परिष्कार अथवा स्वीकृति—(१) उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्त्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद् यथासंभव, ऐसी आपत्तियों की प्राप्ति के अन्तिम दिनांक से छः मास के भीतर या तो उस योजना का परित्याग कर सकती है, या, यदि योजना पर बीस लाख

रुपये से अधिक अनुमानित व्यय न बैठता हो तो परिष्कारों सहित, अथवा परिष्कार रहित स्वीकृत कर सकती है और यदि योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय बैठता हो, तो उसे ऐसे परिष्कारों के साथ, यदि कोई हो, जिसका परिषद् सुझाव दे, स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकती है।

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी योजना को परिष्कारों सहित, अथवा परिष्कार रहित स्वीकृत कर सकती है, या स्वीकृत करने से इनकार कर सकती है, अथवा उसे पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकती है।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गयी कोई योजना परिषद् द्वारा परिष्कृत कर दी जाय तो वह धारा २८ के अनुसार पुनः प्रकाशित की जायगी—

(क) यदि परिष्कार के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि या भवन को अर्जित करना अन्तर्ग्रस्त हो, या

(ख) यदि परिषद् की राय में परिष्कार इतने पर्याप्त महत्व का हो कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित हो,

और ऐसा पुनः प्रकाशन हो जाने पर धारा २९ और ३० में नियत प्रक्रिया का, जहां तक प्रयोज्य हो, अनुसरण किया जायगा मानो कि पुनः प्रकाशन धारा २८ के अधीन किया गया मूल प्रकाशन हो।

३२—योजना का प्रारम्भ—(१) जब कभी परिषद् या राज्य सरकार किसी आवास या सुधार योजना को स्वीकृत करे, तो उसे गजट में विज्ञापित किया जायगा।

(२) किसी योजना के संबंध में उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि योजना यथाविधि बनायी और स्वीकृत की गयी है।

(३) परिषद् की किसी आवास या सुधार योजना की स्वीकृति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, या कोई स्थानीय प्राधिकरण, जिसने धारा ३० के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की हों, उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकती है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत की गयी किसी अपील के परिणाम-स्वरूप राज्य सरकार योजना को निरस्त कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे तो, निरसन या परिवर्तन गजट में विज्ञापित किया जायगा।

(५) (क) यदि योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाय तो वह उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से प्रचलित होगी;

(ख) यदि योजना परिषद् द्वारा स्वीकृत की जाय तो :

(१) जब उपधारा (३) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत न की गयी हो, तो उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर; और

(२) जब अपील प्रस्तुत की गयी हो और अपील पर योजना परिवर्तन सहित अथवा परिवर्तन रहित बनी रहे तो वह उस अपील के निर्णय के

दिनांक से और यदि एक से अधिक अपीलें प्रस्तुत की गयी हों तो अन्तिम निर्णीत अपील के निर्णय के दिनांक से प्रचलित होगी।

३३—योजना प्रारम्भ होने के पश्चात्-उसमें परिवर्तन—(१) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात् किन्तु उसके पूर्ण रूप से निष्पादित किए जाने के पूर्व किसी समय, परिषद्, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे उसमें परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे निरस्तर कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) यदि किसी परिवर्तन से किसी योजना के निष्पादन के सम्बन्ध में अनुमानित व्यय दस प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना हो अथवा किसी परिवर्तित योजना पर बीस लाख रुपए से अधिक व्यय अनुमानित हो तो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जायगा;

(ख) कोई ऐसा परिवर्तन करने के पूर्व जिस से किसी भूमि या भवन का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबन्ध से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, या जिसके कारण किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर योजना के अन्तर्गत कोई आसुधार शुल्क का भुगतान देय न हो, ऐसा शुल्क देय हो जाय तो परिषद् प्रस्तावित परिवर्तन की एक नोटिस ऐसे प्रपत्र में और उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, तामील करेगी, और नोटिस तामील किए जाने के दिनांक से ३० दिन अथवा ऐसी बढ़ायी गयी अवधि जिसके लिए परिषद् पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, के भीतर नोटिस के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देगी ;

(ग) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना बीस लाख रुपए से अधिक अनुमानित व्यय की कोई योजना परिवर्तित या निरस्त नहीं की जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी योजना में किया गया कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में विज्ञापित किया जायगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले से की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

३४—योजना का निष्पादन—[(१) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने पर उसके निष्पादन के लिए परिषद्—

(क) भावी सड़क योजना या प्रसार योजना की दशा में योजना में निर्दिष्ट या उसके द्वारा बढ़ायी गयी समय की अवधि के भीतर, और

(ख) किसी अन्य प्रकार की योजना की दशा में, यथाशक्य शीघ्र, कार्यवाही करेगी।]

(१) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने पर, परिषद् उसके निष्पादन के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगी, और भावी सड़क योजना या प्रसार योजना की दशा में, योजना में निर्दिष्ट या उसके द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर उसे पूरा करेगी। योजना का निष्पादन पूरा होने पर परिषद् गजट में तदर्थ घोषणा विज्ञापित करेगी।

(२) उपधारा (१) की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह परिषद् को किसी योजना के निष्पादन में राज्य सरकार के अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अभिकरण (एजेन्सी) को उस सरकार या प्राधिकरण की सहमति से लगाने से निषिद्ध करती है।

३५—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के लिए प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर निर्बन्धन—

(१) यदि मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के सम्बन्ध में धारा २८ के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो, तो कोई व्यक्ति, जब तक कि योजना परित्यक्त या स्वीकृत न कर दी जाय, और यदि योजना प्रचलित हो तो, उसके प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन अथवा अन्य रूप से किसी भूमि का विकास योजना के विरुद्ध या ऐसी शर्तों व प्रतिबंधों के प्रतिकूल जिन्हें आवास आयुक्त, तदर्थ अनुज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर आदेश द्वारा आरोपित करे न करेगा।

(२) आवास आयुक्त के उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा न देने अथवा शर्त या प्रतिबन्ध आरोपित करने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, परिषद् को अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

३६—मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के सम्बन्ध में विशेष अधिकार

(१) किसी मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के प्रचलित होने के पश्चात किसी भी समय आवास आयुक्त, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में—

(क) किसी भवन या भूमि के स्वामी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें इस बात की अपेक्षा की जाय कि ऐसे उचित समय के भीतर, जो पैंतालीस दिन से कम न होगा, जो नोटिस में उल्लिखित किया जाय या जो उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाय, भवन या भूमि में नोटिस में निर्दिष्ट कोई सुधार कार्य करे, और चूक करने की दशा में, उन समस्त या किन्हीं बातों को, जो नोटिस के द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित हो, ऐसे अभिकरण से करा सकता है जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे ;

(ख) किसी ऐसे भवन के स्वामी पर, जो उसकी राय में मानव निवास के लिए उपयुक्त न हो और जो उचित व्यय कर के भी इस प्रकार उपयुक्त बनाये जाने के योग्य न हो, और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके बारे

में आवास आयुक्त को जानकारी हो कि उसका भवन में कोई स्वत्व है, चाहे वह पट्टेदार, बन्धकी या अन्य रूप से हो, नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे निर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि भवन गिराने का आदेश क्यों न दिया जाय और उन व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वामी को यह निदेश दे सकता है कि वह भवन खाली होने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति दी जाय, उसे गिरा दे, और चूक करने की दशा में, उसे ऐसे अभिकरण द्वारा गिरवा सकता है जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे;

(ग) खण्ड (क) और (ख)में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए, किसी भवन या भूमि के अध्यासी पर इस आशय का नोटिस तामील कर सकता है कि वह उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के तामील किए जाने के दिनांक से तीस दिन से कम न होगी, उसे खाली कर दे, तथा चूक करने की दशा में उक्त भवन या भूमि को खाली करा सकता है, और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है।

(२) यदि आवास आयुक्त उपधारा (१) के अधीन कोई सुधार कार्य कराये तो उस पर किया गया व्यय, जिनके अन्तर्गत मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ऐसी दर से ब्याज भी सम्मिलित है जो नियत की जाय, आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायगा, और परिषद् उसे, यथास्थिति, भवन या भूमि के स्वामी से, ऐसी किस्तों में, जो नियत की जाय, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसुल कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी का दायित्व, आवास आयुक्त का यह समाधान कर देने पर कि—

(क) वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से केवल अभिकर्ता या न्यासी के रूप में भवन या भूमि का किराया लेता रहा है, और

(ख) उस अन्य व्यक्ति की ओर से उसके पास सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है,

अभिकर्ता या न्यासी के रूप में उसके हाथ में कुल धनराशि तक सीमित होगा।

(३) यदि आवास आयुक्त उपधारा (१) के अधीन किसी भवन को गिरवा दे तो गिराने के व्यय की पूर्ण रूप से प्रति पूर्ति इमारती सामान की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से, यदि कोई हो, हो गयी समझी जायगी। इमारती सामान की बिक्री से प्राप्त धनराशि में भवन गिराने और उसके इमारती सामान की बिक्री में हुए, व्यय को, जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायगा, काटने के पश्चात्, शेष, यदि कोई हो, का भुगतान स्वामी को कर दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन का स्वामी बिक्री के पूर्व इमारती सामान को या उसके किसी भाग को हटाना चाहे तो वह आवास आयुक्त को,

अनुमत समय के भीतर, भवन को गिराने के समस्त व्यय का भुगतान करके उसे उठा सकता है।

(४) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई सुधार कार्य किसी भवन में [कोई सुधार कार्य] किया गया हो और वह परिषद् द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो तो परिषद् ऐसे अनुरक्षण के व्यय को जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायगा, भवन के अध्यासी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी।

(५) यदि एक से अधिक व्यक्ति भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी हों या उनका पट्टेदार, बन्धकी या अन्य रूप में भवन में स्वत्व हो तो, आवास आयुक्त उपधारा (२), उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन अवधारित व्यय के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को अवधारित कर सकता है।

(६) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी भवन को खाली करने का आदेश दिया गया हो, तो आवास आयुक्त, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक गृह-स्थान देगा।

(७) उपधारा (२), उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन व्यय की धनराशि के अवधारण अथवा उपधारा (५) के अधीन अभिभाजन के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, न्यायाधिकरण को उक्त आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, अपील कर सकता है और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए पदों "अध्यासी", "स्वामी" और "सुधार कार्य" के वही अर्थ होंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ की धारा २ के खण्ड (च), (छ) और (ठ) में उनके लिए दिए गए हों, इस संशोधन के साथ कि उक्त खण्ड (ठ) में शब्द "सक्षम प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "आवास आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जायगा, और पद "उचित व्यय" का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में उसके लिए दिया गया हो।

३७--मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किराएदारों के सम्बन्ध में उपबंध--(१) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना प्रचलित हो, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना--

(क) क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किराएदार को बेदखल करने के लिए कोई डिक्री या आदेश प्राप्त करने के निमित्त न तो कोई वाद संस्थित करेगा और न कोई कार्यवाही करेगा, व

(ख) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किराएदार को बेदखल करने के लिए योजना प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किसी वाद या की गयी किसी कार्यवाही में कोई डिक्री या आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो ऐसी डिक्री या आदेश निष्पादित न करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात सरकार, परिषद् या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के किसी भवन या भूमि से किसी किराएदार की किसी विधि के अधीन बेदखली पर अथवा उसके सम्बन्ध में लागू न होगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा देने अथवा न देने में, नियत प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा,
अर्थात्--

(क) यदि किराएदार बेदखल कर दिया जाय तो क्या उसे ऐसा वैकल्पिक गृह-स्थान उपलब्ध हो सकेगा जो उसके सामर्थ्य के भ.तर हो;

(ख) क्या बेदखली उस क्षेत्र में मलिन बस्ती के सुधार अथवा निपातन के हित में है;

(ग) ऐसी अन्य बातें, यदि कोई हों, जो नियत की जायें।

(३) नियत प्राधिकारी के उपधारा (१) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने अथवा न देने के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, न्यायाधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

(४) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का काबिज कोई किराएदार किसी भवन को इस आधार पर खाली कर दे अथवा उससे बेदखल कर दिया जाय कि उसकी आवश्यकता कोई सुधार कार्य करने अथवा भवन को गिराने और उसका पुनर्निर्माण करने के प्रयोजनार्थ है तो, वह किराएदार, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, नियत प्राधिकार. के पास यह घोषणा कर सकता है कि, यथास्थिति, भवन में सुधार कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात् उस भवन का दखल उसे फिर से दे दिया जाय।

(५) ऐसी घोषणा प्राप्त होने पर नियत प्राधिकारी आदेश द्वारा भवन के स्वामी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, भवन के सुधार-कार्य अथ ा उसके पुनर्निर्माण की योजनाएं और उसके व्यय के अनुमान तथा ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक हों, प्रस्तुत करे, और प्रस्तुत की गयी ऐसी योजनाओं तथा अनुमानों और विवरणों, यदि कोई हो, के आधार पर तथा उपधारा (८) के उपबंधों को ध्यान में रख कर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, अस्थायी रूप से ऐसा किराया अवधारित करेगा जो किराएदार द्वारा [देय होगा], यदि उपधारा (४) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे उस भवन का दखल फिर से दे दिया जाय, देय होगा।

(६) उपधारा (५) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराए की सूचना नियत रीति से किराएदार तथा स्वामी को दी जायगी।

(७) यदि किराएदार ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् नियत प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, यह सूचित कर दे कि जब उपधारा (४) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे उस भवन का दखल फिर से दे दिया जाय तो, वह स्वामी को, जब तक कि उपधारा (८) के अधीन अन्तिम रूप से किराया अवधारित न हो जाय, उपधारा (५) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराया देगा तो नियत प्राधिकारी स्वामी को यह निदेश देगा कि वह, यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात्, किराएदार को उस भवन का दखल दे दे, और स्वामी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(८) यदि कोई ऐसा भवन, उपधारा (७) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुसरण में किसी किराएदार को किराए पर दे दिया जाय तो किराएदार उस क्षेत्र में प्रचलित किराए के नियंत्रण से सम्बद्ध किसी विधि के होते हुए भी, स्वामी को ऐसा किराया देने का भागी होगा जो, यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य अथवा उसका पुनर्निर्माण पूरा हो जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय के भीतर, जिसकी अनुमति पर्याप्त कारण बताये जाने पर दी जाय, नियत प्राधिकारी को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर उसके द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किया जाय, जो निम्नलिखित होगा :—

(क) यदि भवन के सम्बन्ध में कोई सुधार-कार्य किया गया हो तो उतना वार्षिक किराया जो निम्नलिखित धनराशियों के योग के बराबर हो, अर्थात्—

(१) वार्षिक किराया जो किराएदार, सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ भवन को खाली करने के ठीक पूर्व, दे रहा था;

(२) सुधार-कार्य के व्यय का छः प्रतिशत; और

(३) किसी ऐसी भूमि के जिसे उक्त सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ अर्जित किया गया हो, मूल्य का छः प्रतिशत।

(ख) यदि भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो तो उतना वार्षिक किराया जो भवन के पुनर्निर्माण के व्यय के तथा जिस भूमि पर भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो, उसके मूल्य के योग के चार प्रतिशत के बराबर हो।

स्पष्टीकरण—

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भूमि का मूल्य, भूमि के सम्बन्ध में, यदि वह भूमि परिषद द्वारा धारा ५५ के अधीन अर्जित की जाती और भवन में सुधार-कार्य या उसका पुनर्निर्माण प्रारम्भ करने का दिनांक वह दिनांक हो या जिसके अभिदेश से उक्त धारा ५५ द्वारा यथा परिष्कृत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ के अधीन बाजार मूल्य निर्णीत किया जाता, देय प्रतिकर के बराबर धनराशि को समझा जायगा।

(९) उपधारा (८) के अधीन किराए के अवधारण से क्षुब्ध कोई पक्ष, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(१०) जब उपधारा (८) के अधीन अथवा उपधारा (९) के अधीन अपील पर किराया अन्तिम रूप से अवधारित कर दिया जाय तो ऐसे अवधारण के पूर्व किराएदार द्वारा भुगतान की गयी किराए की धनराशि का समायोजन इस प्रकार अन्तिम रूप से अवधारित किराए में कर दिया जायगा और यदि इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि, अन्तिम रूप से अवधारित किराए से कम हो, या उससे अधिक हो तो किराएदार, यथास्थिति कमी को पूरा करेगा, अथवा धनराशि की वापसी का हकदार होगा।

३८--स्थानीय प्राधिकरण में निहित भवन या भूमि का परिषद् को संक्रमण--

(१) जब कभी किसी आवास या सुधार योजना में समाविष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरण में निहित कोई भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका कोई भाग आए, तो परिषद् उस स्थानीय प्राधिकरण को नोटिस दे सकती है कि वह योजना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, और तदुपरान्त वह भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका भाग परिषद् में निहित हो जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस देते समय, यदि परिषद् यह घोषणा करे कि, यथास्थिति, ऐसी भूमि, सड़क अथवा भाग परिषद् द्वारा केवल तब तक के लिए रखा जायगा, जब तक कि वह धारा ४१ के अधीन सड़क या खुले स्थान, या उनके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकरण को पुनर्निहित न कर दिया जाय तो सिवाय उक्त भूमि पर स्थित भवनों के सम्बन्ध में, यदि कोई हों, कोई प्रतिकर परिषद् द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को देय नहीं होगा।

(३) उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर यदि उपधारा (१) के अधीन कोई भूमि या भवन परिषद् में निहित हो, तो परिषद् स्थानीय प्राधिकरण को प्रतिकर स्वरूप, उस भूमि या भवन अथवा दोनों, जैसी भी दशा हो, के बाजार मूल्य, जो योजना के प्रचलित होने के दिनांक पर हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करेगी।

(४) यदि उपधारा (२) के अधीन की गयी घोषणा के पश्चात्, भूमि स्थानीय प्राधिकरण में पुनर्निहित न की जाय, तो परिषद् उस भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को प्रतिकर का भुगतान करेगी।

(५) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई भवन, भूमि या सड़क अथवा उनका कोई भाग योजना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है अथवा नहीं, या इस धारा के अधीन प्रतिकर देय है अथवा नहीं, या ऐसे प्रतिकर की धनराशि ठीक है या नहीं, तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

३९--योजना के प्रयोजन के लिए निजी सड़क या हाता का परिषद् को संक्रमण--(१) जब कभी कोई ऐसी निजी सड़क या हाता या उनके किसी भाग की, जिस पर जनसाधारण या जनसाधारण के किसी भाग को आने-जाने या उसका उपयोग करने का अधिकार हो और जो परिषद् या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित न हो, किसी आवास

या सुधार योजना के निष्पादन के लिए आवश्यकता हो तो, ऐसी सड़क या हाता अथवा उनके भाग पर या उनके निकट के प्रमुख स्थान पर, परिषद् एक नोटिस चिपकवायेगी जिस पर आवास आयुक्त के हस्ताक्षर होंगे और जिसमें—

(क) उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिए ऐसी सड़क, हाता या उनका भाग अपेक्षित हो, और

(ख) यह घोषणा होगी कि परिषद्, नोटिस में निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात्, ऐसी सड़क, हाता या उनके भाग का प्रभार, उनके स्वामी से ले लेगी,

और साथ ही साथ ऐसे नोटिस की एक प्रतिलिपि उस सड़क या हाता या उनके भाग के स्वामी को भेजेगी।

(२) नोटिस में तदर्थ निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व लिखित रूप में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, परिषद् ऐसी सड़क या हाता या उनके भाग को अपने प्रभार में ले सकती है और तदुपरान्त वह परिषद् में निहित हो जायगी।

(३) जब परिषद् उपधारा (२) के अधीन अपने में निहित किसी निजी सड़क या हाता या उनके भाग में परिवर्तन करे अथवा उसे बन्द कर दे तो वह उस पर अपना अधिकार निहित होने के दिनांक को बाजार मूल्य के आधार पर अवधारित प्रतिकर का भुगतान उसके पूर्व स्वामी को करेगी।

(४) यदि ऐसी सड़क, या हाता या उनके भाग में परिवर्तन करने अथवा उसे बन्द करने से, उससे संलग्न सम्पत्ति के स्वामियों को, अथवा पास-पड़ोस के निवासियों को क्षति पहुंचे या सारवान असुविधा हो तो उन व्यक्तियों के उपयोग के लिए, जो किसी सम्पत्ति या स्थान पर प्रवेश करने के साधन स्वरूप ऐसी सड़क या हाता अथवा उनके भाग का उपयोग करने के हकदार थे, परिषद् तुरन्त अन्य उचित साधन की व्यवस्था करेगी, और यदि प्रवेश करने के ऐसे साधनों से ऐसी क्षति या असुविधा के लिए किसी ऐसे स्वामी अथवा निवासी को पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं होती तो परिषद् उसे धन के रूप में समुचित प्रतिकर भी देगी।]

४०—परिषद् में निहित सड़कों की मरम्मत—जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क पर सार्वजनिक यातायात के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा दे तो वह सड़क की मरम्मत करके अच्छी दशा में रखेगी और उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगी।

४१—सड़कों और खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकरण को संक्रमण—(१) परिषद् अपने द्वारा विन्यासित या परिवर्तित और अपने में निहित किसी सड़क को ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित हो, एक मास का नोटिस देने के पश्चात् सौंप सकती है, जब योजना में व्यवस्थित रीति से—

(क) ऐसी सड़क, यथाविधि समतल और पक्की बना दी जाय,

(ख) ऐसी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दी जाय, और

(ग) ऐसी सड़क पर जल, नालियों और मलनालियों (Sewers) की व्यवस्था कर दी जाय।

(२) जब किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन करते समय परिषद् द्वारा वायुसंचालन या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए किसी खुले स्थान की व्यवस्था की गयी हो, तो परिषद् यह संकल्प कर सकती है कि योजना पूरी हो जाने पर ऐसा स्थान सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण को संक्रमित कर दिया जायगा, और तदुपरान्त ऐसे प्राधिकरण को संकल्प की सूचना दी जायगी।

(३) स्थानीय प्राधिकरण उपधारा (३) के अधीन नोटिस की प्राप्ति पर परिषद् को आपत्ति कर सकता है, या परिषद् से यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे खुले स्थान का इस प्रकार संक्रमण किए जाने के पूर्व वह ऐसे स्थान को घेर दे, समतल और दूर्वायुक्त बना दे, नाली की व्यवस्था और भूमि का विन्यास कर दे तथा वहां पर पद-मार्ग और रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दे। परिषद् ऐसी आपत्तियों तथा अपेक्षाओं पर विचार करेगी और तब उस प्रस्ताव की पुनः अभिपुष्टि या परिष्कार करने के लिए अन्तिम संकल्प पारित करेगी।

(४) यथास्थिति, नोटिस की अवधि की समाप्ति पर या अन्तिम संकल्प के अनुसार ऐसी सड़क या खुला स्थान स्थानीय प्राधिकरण में निहित होगा, और तत्पश्चात् उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रोशनी और सफाई की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जायगी।

(५) यदि इस धारा में अभिदिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिषद् और स्थानीय प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद हो तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम तथा परिषद् और स्थानीय प्राधिकरण पर बन्धनकारी होगा।

४२--सड़क पर निर्माण-कार्य की अवधि में प्रबन्ध--(१) जब परिषद् द्वारा अपने में निहित किसी सड़क पर कोई निर्माण-कार्य, जो वैधतः किया जा सकता है, निष्पादित किया जा रहा हो तो, वह यह निदेश दे सकती है कि ऐसे निर्माण-कार्य के दौरान में वह सड़क सामान्य अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के यातायात के लिए पूर्णतः अथवा अंशतः बन्द रहेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, जहां तक उचित रूप से व्यवहार्य हो,

(क) यातायात के रास्ते का या उसे दूसरी ओर मोड़ने के लिए,

(ख) ऐसे सभी भू-गृहादि तक पहुंचने के लिए, जहां पहले ऐसी सड़क से प्रवेश किया जाता था, और

(ग) किसी जलोत्सारण, जल-सम्भरण या रोशनी के साधन के लिए जिस पर निर्माण-कार्य के निष्पादन के कारण बाधा पड़ती हो, पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

(२) कोई ऐसा निदेश दे दिए जाने पर परिषद् सड़क के प्रमुख स्थान पर या उसके निकट एक ऐसा आदेश चिपकाएगी जिसमें इस प्रकार निदेशित सीमा तक यातायात का निषेध दिया होगा, और सड़क के आर-पार या उस पर ऐसी छड़ें, जंजीरें अथवा खंभे लगवायेगी जिन्हें वह आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित समझ।

४३—सार्वजनिक सड़क या (स्क्वायर) हाता बन्द करने का अधिकार—

(१) परिषद्—

(क) अपने में निहित किसी सड़क या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, व्यपवर्तन कर सकती है, जन-साधारण के प्रयोग के लिए समाप्त अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है; या

(ख) अपने में निहित किसी हाता या उसके भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिए समाप्त, अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है।

(२) जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क या हाता अथवा उसके किसी भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिए समाप्त कर दे अथवा उसे स्थायी रूप से बन्द कर दे, वह किसी ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार समाप्त या बन्द किए जाने के कारण हुई विशेष क्षति के लिए ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो नियमों के अनुसार अवधारित किया जाय।

(३) जब परिषद् में निहित कोई सड़क या हाता अथवा उसका कोई भाग उपधारा (१) के स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाय तो, परिषद् उसका उतना भाग जिसकी उसे कोई आवश्यकता न हो, बेचे या पट्टे पर दे सकती है।

४४—अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन योजनाओं का प्रभाव—(१) यदि धारा २८ के अधीन किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में आवास या सुधार योजना का कोई नोटिस प्रकाशित हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन बनायी गई किसी ऐसी योजना के, जिसके अन्तर्गत वही क्षेत्र अथवा उसका भाग आता हो, सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही, चाहे वह विज्ञप्ति जारी करने, विचार करने, स्वीकृति देने, परित्याग करने अथवा अन्य रूप में हो, नहीं की जानी चाहिए, तो वह, सम्बद्ध महापालिका को लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि योजना के सम्बन्ध में इस प्रकार आगे की कार्यवाही नहीं की जायगी अथवा उसके सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए की जायगी जो निर्दिष्ट की जाय और यह भी कि योजना अथवा उसके ऐसे भाग से, जो निर्दिष्ट किया जाय, सम्बद्ध आगे की कार्यवाहियां, यदि कोई हों, परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी, और तदुपरान्त परिषद्, यथास्थिति, योजना अथवा उस के भाग के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अनुसार उस प्रक्रम से करेगी जिस पर उसे वह संक्रमित की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् यदि उचित समझे तो उक्त अधिनियम के अधीन पहले से किए गए किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन उक्त उपाय या कार्यवाही को नए सिरे से कर सकती है।

(२) यदि धारा २८ के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो तो कोई भी नगर महापालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण जिसका योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र हो राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र में

किसी सम्पत्ति का निस्तारण नहीं करेगा और न किसी सम्पत्ति पर या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कि सम्पत्ति के प्रकार में कोई परिवर्तन हो जाय और न ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई विन्यास या सुधार करेगा और न उस सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचायेगा।

(३) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम और उक्त अधिनियम के अधीन परस्पर विरोधी या परस्पर व्याप्त योजनाओं के बीच समायोजन की व्यवस्था कर सकती है:

स्पष्टीकरण--सन्देह होने की दशा में पद "इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य ऐसे उपबन्ध से है जिसे राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट करे।

४५--योजना या प्रबन्ध आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा परिषद् को भूमि आदि का संक्रमण--राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी या अपने में निहित अथवा उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ के अधीन अर्जित या उस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करायी गई किसी भूमि को चाहे वह उसके सीधे प्रबन्ध में हो या किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्ध में हो, ऐसी शर्तों तथा प्रबन्धों पर जिसमें निर्दिष्ट सम्भाव्यता के होने पर सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण करने की शर्त भी हो सकती है, जो सरकार आरोपित करना उचित समझे, परिषद् को संक्रमित कर सकती है।

४६--दूसरों की प्रेरणा पर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने का परिषद् का अधिकार--राज्य सरकार के अनुरोध पर या, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, परिषद् किसी आवास या अन्य भवन-निर्माण परियोजना के निष्पादन का काम ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो तय हों, हाथ में ले सकती है।

४७--परिषद् द्वारा अन्य योजनाओं का निष्पादन--(१) राज्य सरकार के उपधारा (२) के अधीन अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपने हाथ में ले ली गयी किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो उसके और उस स्थानीय प्राधिकरण के बीच तय हों, अपने हाथ में ले सकती है और तत्पश्चात् परिषद् ऐसी योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानों वह इस अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (५) के अधीन प्रचलित हुई हो।

(२) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन स्वीकृत या आंशिक रूप से निष्पादित किसी सुधार योजना में आगे की कार्यवाही परिषद् द्वारा की जानी चाहिए तो वह सम्बद्ध नगरपालिका को लिखित आपत्ति करने का अवसर देने के पश्चात् निदेश दे सकती है कि किसी ऐसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन उसको, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर जो वह उचित समझे, संक्रमित

कर दिया जाय, और तत्पश्चात् वह उस योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानों वह इस अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (५) के अधीन प्रचलित हुई हो।

(३) जब कभी उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन परिषद् द्वारा किसी योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन अपने हाथ में लिया जाय तो उसको ऐसी योजना के सम्बन्ध में आसुधार शुल्क लगाने का वही अधिकार होगा मानों उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन बनायी और स्वीकृत की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी योजना की दशा में धारा ५० में अभिदिष्ट घोषणा नोटिस द्वारा की जायगी जो गजट में और ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायगा जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार-पत्र होगा और जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचलन हो और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसी स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरणों को भेजी जायगी जिसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो। तदुपरान्त धारा २९ और ३० के उपबन्ध, जहां तक उनका सम्बन्ध आसुधार शुल्क लगाने के प्रस्तावों से है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, और परिषद् उक्त उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को परिव्यक्त कर सकती है या उसको, परिष्कारों सहित अथवा परिष्कार रहित, पुष्टि कर सकती है।

(४) जब कभी उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन किसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन परिषद् को संक्रमित किया जाय तो नगर महापालिका द्वारा या उसके विरुद्ध उस योजना से सम्बद्ध विचाराधीन कोई विधिक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कोई कार्यवाही भी है, परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है।

४८—पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय—परिषद् अपने द्वारा बनायी गई किसी आवास या सुधार योजना अथवा अपने हाथ में लिए गए किसी निर्माण-कार्य के व्यय में ऐसी दरों पर, जो वह निश्चित करे, पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय सम्मिलित कर सकती है;

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गयी दर, योजना या निर्माण-कार्य के अन्य व्यय के साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगी।

४९—परिषद् के अभिलेखों को मंगाने और किसी योजना का परिष्कार या रद्द करने का राज्य सरकार का अधिकार—(१) इस अध्याय के उपर्युक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसी आवास या सुधार योजना, जिसे परिषद् द्वारा बनाने का प्रस्ताव हो या जो उसके द्वारा बनायी गयी हो अथवा निष्पादित की जा रही हो, के सम्बन्ध में किसी समय परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है तथा किसी ऐसी योजना को परिष्कृत या रद्द कर सकती है अथवा फिर से विचार करने के लिए परिषद् को लौटा सकती है या यह निदेश दे सकती है कि योजना ऐसे परिष्कारों के साथ निष्पादित की जाय जो निर्दिष्ट किए जायें अथवा ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी परिष्कार में किसी ऐसी भूमि या भवन का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबन्ध से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, या किसी परिष्कार के कारण किसी ऐसी भूमि पर आसुधार शुल्क देय हो जाय जिस पर मूल योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा शुल्क देय न हो तो, इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों को प्रस्तावित परिष्कारों के विरुद्ध आपत्तियां करने का अवसर दिए बिना परिष्कार नहीं किए जायेंगे ।

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन आदेश देने तक किसी ऐसी योजना का निष्पादन रोक सकती है ।

(३) किसी योजना में उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक परिष्कार गजट में विज्ञापित किया जायगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा, किन्तु किसी ऐसे परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले की गयी किसी बात की वधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

५०—आसुधार शुल्क के सम्बन्ध में घोषणा—(१) जब परिषद् की राय में, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का, जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न हो, मूल्य बढ़ जायगा तो, परिषद् योजना बनाते समय यह घोषणा कर सकती है कि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भूमि के स्वामी या उसमें स्वत्व रखन वाल किसी व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क देय होगा ।

(२) मूल्य में ऐसी वृद्धि वह धनराशि होगी जितनी धनराशि योजना का निष्पादन पूरा हो जाने पर भूमि का मूल्य, जिसका अनुमान इस आधार पर लगाया जायगा मानों उक्त भूमि पर भवन न हो, योजना के निष्पादन के पूर्व उक्त भूमि के मूल्य से, जिसका अनुमान भी उसी रीति से लगाया जायगा, बढ़ जाय और आसुधार शुल्क, मूल्य में ऐसी वृद्धि एक का तिहाई होगा ।

(३) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से यह घोषणा कर सकती है कि ऐसा आसुधार शुल्क किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भी देय होगा जो योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित न हो, किन्तु उस क्षेत्र से संलग्न और उसकी सीमाओं के आधे किलोमीटर के भीतर हो, यदि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप ऐसी भूमि के मूल्य में वृद्धि हो जायगी ।

५१—आसुधार शुल्क का निर्धारण—(१) जब परिषद् को यह प्रतीत हो कि योजना में इतनी काफी प्रगति हो गयी है जिससे कि आसुधार शुल्क की धनराशि अवधारित की जा सके तो, परिषद् तदर्थ संकल्प पारित करके यह घोषणा करेगी कि उक्त शुल्क अवधारित करने के लिए योजना का निष्पादन पूरा हो गया समझा जायगा और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिस पर धारा २९ के अधीन नोटिस तामील किया गया हो अथवा ऐसे व्यक्ति के स्वत्व के उत्तराधिकारी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का लिखित नोटिस देगी कि परिषद् धारा ५० के अधीन ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है ।

(२) ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद् उसके द्वारा देय आसुधार शुल्क की धनराशि नियत रीति से निर्धारित करेगी, और उस पर शुल्क निर्धारण आदेश की एक प्रतिलिपि तामील करेगी ।

(३) उपधारा (२) के अधीन किया गया शुल्क निर्धारण, उपधारा (४) के अधीन अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(४) उपधारा (२) के अधीन शुल्क लगाने अथवा उसके निर्धारण के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(५) न्यायाधिकरण, पक्षों को नियत रीति से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(६) न्यायाधिकरण, अपील पर निर्णय होने तक, ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

५२--मांग का नोटिस--(१) जब धारा ५१ के अधीन आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित हो जाय तो, परिषद् नोटिस देकर शुल्कदाता से यह अपेक्षा करेगी कि वह इस प्रकार निर्धारित आसुधार शुल्क का भुगतान, दस से अनधिक, ऐसी वार्षिक किस्तों में, और उन दिनांकों तक कर दे जो तदर्थ निश्चित किए जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्कदाता किसी भी समय आसुधार शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि अथवा उस समय देय शेष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर सकता है और ऐसी दशा में उसे ऐसी छूट दी जा सकती है जो नियत की जाय।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन निश्चित दिनांक तक आसुधार शुल्क की किसी किस्त का भुगतान न किया जाय तो, शुल्कदाता द्वारा उस दिनांक छः प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक ऐसी दर से, जो नियत की जाय, ब्याज देय होगा और वह आसुधार शुल्क का भाग समझा जायगा।

५३--भूमि पर प्रभाव के रूप में आसुधार शुल्क--(१) किसी भूमि के सम्बन्ध में आसुधार शुल्क का देनदार कार्ड व्यक्ति, परिषद् को उसका भुगतान करने के बजाय, किसी भी समय, स्वेच्छा से, परिषद् के साथ ऐसा अनुबन्ध कर सकता है कि आसुधार शुल्क या, यथास्थिति, उसके शेष का भुगतान ऐसी भूमि में उस व्यक्ति के स्वत्व पर प्रभार के रूप में इस शर्त के साथ बकाया छोड़ दिया जाय कि ऐसी धनराशि पर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निरन्तर प्रतिवर्ष देय होगा।

(२) आसुधार शुल्क के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रत्येक भुगतान, जिसमें उपधारा (१) में अभिदिष्ट वार्षिक भुगतान भी शामिल है, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, उस भूमि में ऐसे व्यक्ति के स्वत्व पर प्रथम प्रभार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि पर राज्य सरकार को देय मालगुजारी का, यदि कोई हो, भुगतान पहले किया जायगा।

(३) यदि उपधारा (१) के अनुसरण में निष्पादित अनुबन्ध के अधीन देय व्याज की किसी किस्त का भुगतान तदर्थ निश्चित दिनांक को या ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, न किया जाय तो, यथास्थिति, आसुधार शुल्क या उसका शेष ऐसी किस्त के साथ ही उस दिनांक को देय हो जायगा ।

(४) उपधारा (१) के अनुसरण में अनुबंध हो जाने के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान जिसके लिये प्रभार सृजित किया गया हो, उस दिनांक तक देय व्याज सहित कर सकता है ।

५४--मालगुजारी की बकाया के रूप में आसुधार शुल्क आदि का वसूल किया जाना--इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि के सम्बन्ध में आसुधार शुल्क या वसूली के दिनांक तक उस पर देय किसी व्याज के रूप में दी जाने वाली समस्त धनराशियां परिषद् द्वारा उक्त व्यक्ति या उसके स्वत्व-उत्तराधिकारी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

५५--भूमि अर्जित करने का अधिकार--(१) इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये परिषद् द्वारा अपेक्षित कोई भूमि या उसमें कोई स्वत्व, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के उपबंधों के अधीन अर्जित किया जा सकता है और वह ऐक्ट इस प्रयोजन के लिये इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन होगा ।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(२) यदि किसी भूमि को, जिसके सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन आसुधार शुल्क लगाया गया हो, बाद में इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हो तो इस प्रकार शुल्क लगाया जाना उस भूमि के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन अर्जन करने में बाधक न होगा ।

५६--अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित करने का अधिकार--ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायें, परिषद्--

(१) किसी व्यक्ति के साथ अनुबन्ध करके, इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये अपने द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी स्वत्व को खरीद सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा उसका विनिमय कर सकती है ; या

(२) अपने में निहित अथवा अपने द्वारा अर्जित किसी भूमि का प्रतिधारण कर सकती है, उसको बेच सकती है, उसका विनिमय कर सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा अन्यथा उसका निस्तारण कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिये अर्जित किसी भूमि की बिक्री, विनिमय, पट्टे द्वारा या अन्य प्रकार से संक्रमण करने में, उस सीमा तक ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अधिमान उन व्यक्तियों को दिया जायगा जिनकी भूमि ऐसी योजना के लिये अर्जित की गयी हो ।

५७--संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्री--(१) परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरणपत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित किया जायगा जो नियत की जायें ।

(२) इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, आवास आयुक्त या परिषद् की ओर से किसी अनुबन्ध या अन्य संलेख का निष्पादन करने के लिये प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे अनुबन्ध या संलेख के रजिस्ट्री से सम्बद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में अथवा हस्ताक्षर करने के लिये किसी रजिस्ट्री कार्यालय में स्वयं अथवा एजेन्ट द्वारा उपस्थित रहे, जैसा कि उक्त ऐक्ट की धारा ५८ में व्यवस्थित है : ऐक्ट संख्या १६, १९०८

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्री अधिकारी, जिसे ऐसा संलेख प्रस्तुत किया जाय, यदि वह उचित समझे तो संलेख के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसे आवास आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को भेज सकता है, और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर वह, उस संलेख की रजिस्ट्री करेगा ।

५८--वित्तीय उपबंध--(१) परिषद् की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी ।

(२) परिषद् की निधि स्टेट बैंक आफ इंडिया या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में अथवा किसी अनुसूचित बैंक में रक्खी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात परिषद् को ऐसी नकद धनराशि रखने से जो चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो, अथवा निधि के किसी ऐसे भाग का जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजन करने से रोकने वाली न समझी जायगी ।

(३) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायें, परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समय-समय पर ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है । ऐक्ट संख्या २, १८८२

(४) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायें परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण, किसी सहकारी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को गृह निर्माण के लिये ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह अवधारित करे, ऋण और अग्रिम धन दे सकती है ।

५९--ऋण पत्र--(१) परिषद् समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसी धनराशियों के लिये और ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर जो नियत किये जायें ऋण-पत्र जारी कर सकती है ।

(२) राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये किन्हीं भी ऋण-पत्रों के मूलधन और व्याज अथवा मूलधन या व्याज के भुगतान की ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकती है :

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार, जब तक कि ऐसी कोई प्रत्याभूतियां प्रचलित रहें, प्रत्येक वर्ष बजट के सत्र में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में दी गई प्रत्याभूतियों का, यदि कोई हों, एक विवरण-पत्र और उन कुल धनराशियों का, यदि कोई हों, एक अद्यावधिक लेखा रखेगी जिनका भुगतान किन्हीं ऐसे प्रत्याभूतियों के कारण राज्य के राजस्व से किया गया हो अथवा जिनका भुगतान इस प्रकार दी गयी किसी धनराशि का प्रतिदान करने के निमित्त राज्य के राजस्व में किया गया हो ।

(३) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किये गये ऋणपत्र ऐसी रीति से जारी किये जायेंगे, संक्रमित किये जायेंगे, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और उनका मोचन किया जायगा जो नियत की जाय ।

६०—ऋण का प्रतिदान—(१) परिषद् अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के लिये ऐसी रीति से निक्षेप निधि स्थापित करेगी जो नियत की जाय ।

(२) प्रत्येक ऐसे निक्षेप निधि का अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय ।

(३) परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये और उस ऋण के प्रतिदान के लिये, जिसके लिये निधि की स्थापना की गयी हो, नियत रीति से न्यास का सृजन कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाय तो आवश्यक सृजन करेगी ।

६१—सरकार द्वारा अनुदान और ऋण—राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह अवधारित करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, परिषद् को अनुदान अथवा ऋण दे सकती है ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९

६२—सम्पत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क—(१) अचल सम्पत्ति के संक्रमण के किसी विलेख पत्र पर ईंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ द्वारा आरोपित शुल्क, ऐसे क्षेत्र के, जिसमें यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में संक्रमित सम्पत्ति के मूल्य पर, अथवा भोग बंधक की दशा में संलेख द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपरिलिखित प्रतिशत को पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकती है ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९

(२) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली सभी वसूलियां प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हों, काटने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा केवल परिषद् को अथवा, परिषद् और यथास्थिति, नगर महापालिका या नगरपालिका बोर्ड को ऐसे अनुपात में जो समय-समय पर ऐसी रीति से तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायें, अवधारित किया जाय, प्रदिष्ट और भुगतान की जायेंगी ।

(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की धारा २७ इस प्रकार पढ़ी जायगी मानों उसमें विशेष रूप से यह अपेक्षा की गयी हो कि उसमें अभिदिष्ट विवरण—

(क) उस क्षेत्र के, जहां यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख) उस क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पथक रूप से दिये जाय ।

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की धारा ६४ इस प्रकार पढ़ी और समझी जायगी मानों उसमें परिषद् तथा राज्य सरकार दोनों का अभिदेश किया गया हो । ऐक्ट संख्या २, १८९९

(५) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७२ की उपधारा (२) के खंड (छ) और धारा १९१ के, तथा यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १२८ के खंड (१३-बी) तथा धारा १२८-ए के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इस धारा के उपबंधों के प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह जायेंगे और इस धारा के उपबंध अभिभावी होंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

६३--लेखे और लेखा-परीक्षा--(१) परिषद् वित्तीय वर्ष के दौरान के अपने कार्यकलापों के कार्य-क्रम का विवरण-पत्र अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र, जैसी भी दशा हो, तथा उसके सम्बन्ध में वित्तीय अनुमान उस वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व तैयार करेगी तथा उसके दौरान में किसी भी समय तैयार कर सकती है, और उनको ऐसी रीति से तथा ऐसे दिनांक तक जो नियत किये जायें, राज्य सरकार को उसके पूर्व अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी । यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(२) परिषद् ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखे रक्खेगी और पक्का चिट्ठा तैयार करेगी जो नियत किये जायें ।

(३) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर की जायगी, जो नियत किये जायें, और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेख्यों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने के ऐसे अधिकार और परिषद् की किसी निधि या सम्पत्ति को अध्यक्ष, आवास आयुक्त और परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों तथा सेवकों की उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई किसी हानि, अपव्यय या दुर्विनियोग के लिये उनके विरुद्ध अस्वीकृत या अधिभार के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जो नियत किये जायं, और अधिभार तथा अधिभारित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाय और उनके अस्वीकृति तथा अधिभार के निर्णयों के विरुद्ध ऐसी अपील तथा ऐसी रीति से अपील की जा सकेगी, जो नियत की जाय ।

(४) लेखा-परीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे अनुदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे, और परिषद् ऐसे अनुदेशों का पालन करेगी ।

(५) राज्य सरकार--

(क) उपधारा (४) के अधीन प्राप्त परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी, और

(ख) परिषद् के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी ।

६४--न्यायाधिकरण के कृत्य और उसका संघटन--(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक या अधिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है--

(क) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन परिषद् के लिये भूमि का अर्जन करने के अभिदेश में न्यायालय के कृत्यों का सम्पादन ; ऐक्ट संख्या १, १८९४

(ख) विवाद की दशा में और नियत रीति से अभिदेश किये जाने पर, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन परिषद् द्वारा देय प्रतिकर का अवधारण ;

(ग) आसुधार शुल्क लगाने या उसके निर्धारण से सम्बद्ध अपीलों पर निर्णय ;

(घ) धारा ३६ तथा ३७ और अध्याय ७ के अधीन अपीलों पर निर्णय; और

(ङ) ऐसे अन्य विषयों का, जो नियत किये जायें, निर्णय ।

(२) न्यायाधिकरण ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा ।

(३) न्यायाधिकरण में एक दीवानी न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का न होगा ।

स्पष्टीकरण—पद "जिला न्यायाधीश" के अन्तर्गत कोई अपर जिला न्यायाधीश भी है ।

ऐक्ट संख्या ६, १९०८

(४) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, न्यायाधिकरण को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन दीवानी न्यायालय में निहित हों, वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त कोड में निर्धारित हो, और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ४८० और ४८२ के अर्थ में उसे दीवानी न्यायालय समझा जायगा, और न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

ऐक्ट संख्या ५, ऐक्टसंख्या४५, १८६०

(५) न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारी को ऐसा पारिश्रमिक दिया जायगा, जो नियत किया जाय ।

(६) न्यायाधिकारण, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसे अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह अपने कार्य संचालन के लिये आवश्यक समझें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों का पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो नियत की जायें ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

(७) न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारी तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों को देय पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायगा ।

६५—विचाराधीन वादों का न्यायाधिकरण को संक्रमण—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन किसी ऐसी सुधार योजना के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) या धारा ४७ की उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन परिषद् को संक्रमित की जाय, महापालिका के

लिये भूमि अर्जन करने के अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन संघटित किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई वाद, ऐसे संक्रमण पर धारा ६४ के अधीन संघटित ऐसे न्यायाधिकरण को संक्रमित हो जायगा जिसका उक्त नगर के सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र हो और तदुपरान्त उक्त न्यायाधिकरण उस प्रक्रम से आगे की कार्यवाही करेगा जिस पर उसे इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया गया हो ।

६६—न्यायाधिकरण के निर्णयों का अन्तिम होना—(१) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन भूमि के अर्जन से सम्बद्ध वाद में न्यायाधिकरण का कोई अभिनिर्णय, उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायालय का अभिनिर्णय समझा जायगा और उक्त ऐक्ट की धारा ५४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा । ऐक्ट संख्या १, १८९४

(२) न्यायाधिकरण का इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य निर्णय अन्तिम होगा ।

६७—न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों से सम्बद्ध अन्य उपबन्ध—

(१) धन का भुगतान करने के लिये, कब्जा देने के लिये या किसी संरचना (structure)को हटाने के लिये न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये किसी अभिनिर्णय या अन्य आदेशों को, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा २ के क्रमशः खंड (२) और खंड (९) के अर्थ में डिक्री, और ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के कारणों के कथन को निर्णय समझा जायगा ।

(२) प्रत्येक ऐसे अभिनिर्णय या आदेश में प्रत्येक पक्ष द्वारा किये गये व्ययों की धनराशि का तथा किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में उनका भुगतान किया जायगा, इसका भी उल्लेख होगा ।

(३) न्यायाधिकरण के अभिनिर्णय या आदेश पर कोई स्टाम्प शुल्क भारणीय नहीं होगा, और अभिनिर्णय या आदेश के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क पाने का हकदार होगा ।

(४) उपधारा (२) में अभिदिष्ट कोई अभिनिर्णय या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा जो नियत किया जाय ।

६८—यू० पी० कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट संख्या ३, १९४७ का अपवर्जन—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ के उपबन्ध परिषद् द्वारा किराये पर दिये गये गृहस्थान पर लागू न होंगे : ऐक्ट संख्या ३, १९४७

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसे गृह-स्थान से बेदखल करने की अनुमति नहीं देगी जो उसके कब्जे में परिषद् द्वारा अर्जन करने के पहले हो, किन्तु ऐसा उक्त ऐक्ट या धारा ६९ के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है ।

६९—बेदखली और किराये, आदि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया—(१) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या ऐक्ट संख्या ४, १८८२, ऐक्ट संख्या ५, १९०८

तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि--

(क) परिषद् के किसी भूगृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति ने--

(१) ऐसे भूगृहादि के सम्बन्ध में अपने द्वारा कानूनी तौर से देय किराया कम से कम तीन महीने तक नहीं दिया है ; या

(२) परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना उक्त सम्पूर्ण भूगृहादि या उसके भाग को शिकमी किराये पर दे दिया है ; या

(३) स्पष्ट या अन्तर्निहित किन्हीं भी ऐसी शर्तों का, जिनके अधीन वह ऐसे भूगृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, उल्लंघन करके अन्यथा कार्य किया है ; या

(ख) किसी व्यक्ति का परिषद् के किसी भूगृहादि पर अनधिकृत रूप से कब्जा है,

तो नियत प्राधिकारी एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से एक लिखित नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें, वह उस व्यक्ति से , यदि कोई हो, जो सम्पूर्ण भूगृहादि या उसके किसी भाग पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत है और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसका उस पर कब्जा हो यह कारण बताने के लिये कहेगा कि क्यों न बेदखली और बकाया किराया तथा क्षतिमूल्य की, यदि कोई हो, वसूली के लिये आदेश जारी किया जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस में निम्नलिखित बातें दी होंगी--

(क) कारण, जिनके आधार पर बेदखली या बकाया किराया या क्षति मूल्य की वसूली के लिये आदेश देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) दिनांक, जब तक प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जाय, ऐसा दिनांक नोटिस जारी करने के दिनांक से पन्द्रह दिन पूर्व न होगा, किन्तु नियत प्राधिकारी, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, नोटिस में या अन्यथा दावा की गयी धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे अतिरिक्त समय दे सकता है ।

(३) नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन नोटिस, परिषद् के भूगृहादि के बाह्य द्वार या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, तामील करायेगा, और इसके बाद नोटिस समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों को यथोचित रूप से दिया गया समझा जायगा ।

(४) यदि नियत प्राधिकारी को यह ज्ञात हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति का परिषद् के भूगृहादि पर कब्जा है, तो, उपधारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर अथवा उसे दे कर या ऐसी अन्य रीति से , जो नियत की जाय, उस पर तामील करायेगा ।

(५) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण और उसके समर्थन में किसी साक्ष्य, जो वह प्रस्तुत करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (१) में उल्लिखित

कोई परिस्थिति विद्यमान, अथवा नोटिस जारी किये जाने के दिनांक को विद्यमान थी तो वह तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक को, कारणों का उल्लेख करते हुये एक आदेश दे सकता है जिसमें यह निदेश दिया जायगा कि परिषद् के भूगृहादि उन समस्त व्यक्तियों द्वारा खाली कर दिये जायें जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर कब्जा हो और यह भी आदेश दे सकता है कि कोई व्यक्ति किराये या क्षतिमूल्य की ऐसी बकाया धनराशि भुगतान करे जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय ।

(६) यदि वह व्यक्ति, जिस से उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) या उप खंड (३) के अधीन कारण बताने के लिये कहा गया हो, अनुमत समय के भीतर परिषद् को छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित बकाया किराये और ऐसे व्ययों का, जो नियत किये जायें, भुगतान कर दे या, यथास्थिति, नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार उन शर्तों के , जिनका उसने उल्लंघन किया हो, भंग करने का परिहार कर दे, तो नियत प्राधिकारी उपधारा (५) के अधीन ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाय नोटिस को खारिज कर देगा, और तदुपरान्त ऐसा व्यक्ति उन्हीं शर्तों पर भूगृहादि धारण करता रहेगा, जिन पर वह ऐसा नोटिस उस पर तामील किये जाने के ठीक पूर्व उन्हें धारण करता था ।

(७) इस अध्याय के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये नियत प्राधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हों, अर्थात्--

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय,

और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ४८० और ४८२ के अर्थ में वह दीवानी न्यायालय समझा जायगा और ऐसी जांच में कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा । ऐक्ट संख्या ५, १९९८ ऐक्ट संख्या ४५, १९६०

(८) यदि कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन या ऐसे अधिक समय के भीतर, जिसकी नियत प्राधिकारी अनुमति दे, उपधारा (५) के अधीन बेदखली के आदेश का पालन करने से इंकार करता है अथवा पालन नहीं करता है, तो नियत प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसे परिषद् के भूगृहादि से बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ले सकता है, और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो ।

(९) किराया या क्षतिमूल्य का कोई बकाया जिसका उपधारा (५) के अधीन भुगतान करने का आदेश दिया गया हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, कोई व्यक्ति परिषद् के किसी भू-गृहादि पर उस प्राधिकार के जिसके अधीन, अथवा जिस हैसियत से, उसे भू-गृहादि पर कब्जा करने की अनुमति दी गयी थी, यथोचित रूप से समाप्त किये जाने या, जैसी भी स्थिति हो, समाप्त हो जाने के पश्चात् कब्जा जारी रखे, तो वह "अनधिकृत रूप से काबिज" समझा जायगा, और कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में कोई धनराशि अदा की है, अधिकृत रूप से काबिज नहीं समझा जायगा ।"

७०—अपील—(१) नियत प्राधिकारी के धारा ६९ की उपधारा (५) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण को अपील दायर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी नियत समय के भीतर पर्याप्त कारण से अपील न दायर कर सका ।

(२) यदि नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गयी हो तो न्यायाधिकरण उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, रोक सकता है ।

(३) न्यायाधिकरण, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के अधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें परिष्कार कर सकता है अथवा वाद को नियत प्राधिकारी के पास प्रतिप्रेषित कर सकता है ।

७१—वेतन या मजदूरियों से कटौतियां करके किराये की वसूली—(१) यदि परिषद् का कोई भूगृहादि किसी ऐसे व्यक्ति को किराये पर दिया जाय जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी कारखाने या औद्योगिक अधिष्ठान में सेवायोजित हो, तो वह परिषद् के पक्ष में एक अनुबन्ध ऐसे प्रपत्र में निष्पादित कर सकता है जो नियत किया जाय, और उसमें इस बात की व्यवस्था होगी कि राज्य सरकार, या स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य सेवायोजक, जैसी भी दशा हो, जिसके द्वारा वह सेवायोजित हो, उसे देय वेतन या मजदूरी से ऐसी धनराशि, जो अनुबन्ध में निर्दिष्ट की जाय, काटने के लिये और इस प्रकार काटी गयी धनराशि का परिषद् को, ऐसे भूगृहादि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय किराये के निस्तारण के रूप में भुगतान करने के लिए सक्षम होगा ।

ऐक्ट संख्या ५, १९३६

(२) ऐसा अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य सेवायोजक, जैसी भी दशा हो, यदि परिषद् द्वारा लिखित रूप में अपेक्षा की जाय, तो कर्मचारी के वेतन या मजदूरी से अनुबन्ध के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गयी धनराशि का भुगतान परिषद् को करेगा [भले ही पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में कोई बात दी हो ।]

(३) उपधारा (२) के अधीन काटी गयी धनराशि का यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार काटी गयी धनराशि के सम्बन्ध में कर्मचारी परिषद् के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया विमुक्त हो जायगा ।

ऐक्ट संख्या ४, १९३६

स्पष्टीकरण— पद "कारखाना" और "औद्योगिक अधिष्ठान" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में क्रमशः पद "factory" और "industrial establishment" के लिये दिये गये हों ।

७२—न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक—नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश पर, जो इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करके दिया गया हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायगी ।

७३—योजनाओं का उल्लंघन करके भवन निर्माण करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा २३ की उपधारा (३) के खंड (क), धारा २४ की उपधारा (४) या धारा ३५ के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भवन का निर्माण, या पुनर्निर्माण करे, या उसमें परिवर्द्धन या परिवर्तन करे तो उसे अर्थ दंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और, यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें प्रथम बार सिद्ध दोष ठहराये जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

७४—ठेकेदार के कार्य में रुकावट डालने या चिह्न हटाने के लिये शास्ति—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ परिषद् ने ठेका किया हो, अपने कर्त्तव्य अथवा किसी ऐसे काम का पालन या निष्पादन करने में रुकावट डाले अथवा व्यथित करे जिसे वह इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के आधार पर या उसके परिणाम स्वरूप करने के लिए अधिकृत अथवा जिसकी उससे इस प्रकार अपेक्षा की गयी हो; या

(ख) किसी सतह या दिशा को इंगित करने के प्रयोजन के लिए लगाये गये किसी ऐसे चिह्न को हटाये जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम द्वारा प्राधिकृत निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक हो तो, उसे कारावास का दंड दिया जायगा जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदंड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जायेंगे ।

७५—परिषद् के साथ ठेके, आदि में अंश या स्वत्व अर्जित करने के लिये शास्ति—यदि परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या सेवायोजन में अर्थ-सम्बन्धी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश अथवा स्वत्व अर्जित करे, जो ऐसा अंश या स्वत्व न हो, जो अध्यक्ष अथवा सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित न करता हो, या

यदि परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या, जहां तक इसका सम्बन्ध ऐसे अधिकारी या सेवक के रूप में उसके सेवायोजन से है उसे छोड़कर किसी सेवायोजन में, धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (१) या (२) में उल्लिखित अंश या स्वत्व से भिन्न, अर्थ-संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे तो, उसे साधारण कारावास का दंड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है, या अर्थ-दंड दिया जायगा या दोनों दंड दिये जायेंगे ।

७६—अन्य मामलों में शास्ति—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या किसी नियम अथवा विनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो उसे, यदि ऐसे उल्लंघन के लिये कोई अन्य शास्ति की व्यवस्था न की गयी हो अर्थ-दंड दिया जायगा जो

पांच सौ रुपये तक हो सकता है, और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो उसे अतिरिक्त अर्थ-दंड दिया जायगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें प्रथम बार सिद्ध दोष ठहराये जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पचीस रुपये तक हो सकता है।

७७—अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व—(१) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया जाय, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय, परिषद् द्वारा तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति से यह कारण तुरन्त बताने को कहगा कि क्यों न वह अपने द्वारा किये गये-कार्य से हुई क्षति के लिए, जिसके संबंध में वह सिद्ध-दोष ठहराया गया है, परिषद् को प्रतिकर का भुगतान करे।

(२) न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी कारण पर विचार करेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि एक हजार रुपये से अनधिक ऐसे प्रतिकर का, जो वह अवधारित करे, भुगतान परिषद् को किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन भुगतान किये जाने के लिए निदेशित प्रतिकर की धनराशि अर्थ-दंड के रूप में वसूल की जा सकेगी।

७८—कम्पनियों द्वारा अपराध—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिए कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा में दी गयी किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझेदार से है।

७९—प्रक्रिया—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि अपराध किये जाने से छः मास के भीतर परिषद् या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा परिवाद न किया जाय अथवा उससे सूचना प्राप्त न हो।

(२) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

८०—पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य—प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित तथा प्रचलित करने के लिए आवास आयुक्त को सहयोग दे;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम के विरुद्ध किये जाने वाले अथवा किये गये किसी अपराध की कोई सूचना, जो उसे प्राप्त हो, परिषद् के समुचित अधिकारी या सेवक को अविलम्ब दे; तथा

(ग) आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को ऐसी सहायता दे जिसको वह इस अधिनियम या किसी नियम के अधीन अपने में निहित किसी अधिकार का विधि संगत प्रयोग करने के लिए उससे अपेक्षा करे।

८१—अपराधों का अभिसंधान करना—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभिसन्धान, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा पश्चात् आवास आयुक्त द्वारा या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों पर जो, यथास्थिति, आवास आयुक्त या अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जा सकता है।

८२—अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिये निदेश देने का अधिकार—(१) आवास आयुक्त नोटिस देकर धारा ७३ में अभिदिष्ट भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे भवन का आगे निर्माण करना रोक दे और उसमें ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायं, परिवर्तन करे या उसे गिरा दे।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस का पालन न किया जाय तो आवास आयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग में, यथास्थिति, परिवर्तन करा सकता है अथवा उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में जो व्यय हुआ हो उसे वह उसके स्वामी से ऐसी रीति से वसूल कर सकता है जो नियत की जाय।

८३—स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन—राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसके सम्बन्ध में आवास या सुधार योजना, प्रचलित हो, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि उस अवधि में जिसमें योजना प्रचलित रहे, ऐसे अधिकार और कृत्य जो किसी स्थानीय प्राधिकरण या उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उस अधिनियम के अधीन जिसके द्वारा ऐसा स्थानीय प्राधिकरण संघटित हो प्रयोक्तव्य हों, ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, यथास्थिति, परिषद् या अवास आयुक्त द्वारा प्रयुक्त तथा सम्पादित किये जायेंगे।

८४—प्रवेश करने का अधिकार—(१) आवास आयुक्त या उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सहायकों या कर्मकारों के साथ या उसके बिना किसी भूमि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने ;

(ग) अवभूमि खोदने या बधनें ;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने ;

(ङ) चिह्न बना कर और खाइयां काट कर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिह्नांकित करने; या

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच इस प्रकार प्रवेश न किया जायगा;

(ख) किसी निवास गृह या स्थान में उस पर काबिज व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की चौबीस घंटे से कम की सचना पर, बिना उसकी सहमति के प्रवेश नहीं किया जायगा ;

(ग) गृह के किसी भाग पर काबिज महिलाओं को हटने के लिए समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायगी ; और

(घ) जिस भू-गृहादि में प्रवेश किया जाय उसके काबिजों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायगा।

(२) जब कभी आवास अायुक्त या उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अनुसरण में किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो, वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपयुक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति, यदि कोई हो, की पूर्ति करेगा या भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा; और, यदि इस प्रकार भुगतान की गयी अथवा प्रस्तुत की गयी धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में विवाद हो तो वह, विवाद को तुरन्त परिषद् को अभिदिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

८५—प्रतिकर का भुगतान करने के लिए सामान्य अधिकार—किसी ऐसे मामले में, जिसका इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो, परिषद् किसी ऐसे व्यक्ति को समुचित प्रतिकर का भुगतान कर सकती है, जिसे परिषद् या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक में इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निहित किसी अधिकार का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुंची हो।

८६— अध्यक्ष, आदि लोक-सेवक समझे जायेंगे—अध्यक्ष, आवास आयुक्त, परिषद् के समस्त सदस्य, अधिकारी और सेवक, इस अधिनियम के अधीन संघटित समितियों के सदस्य, न्यायाधिकरण, नियतप्राधिकारी तथा समस्त अन्य व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने का कार्य सौंपा गया हो, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थ में लोक-सेवक समझे जायेंगे।

८७—सदभावना से किये गये कार्य का संरक्षण—कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् अथवा उसकी किसी समिति, अध्यक्ष, आवास आयुक्त, न्यायाधिकरण, नियतप्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए

नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो।

८८--वाद और विधिक कार्यवाहियां--(१) आवास आयुक्त, परिषद् की ओर से और उसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए---

(क) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को संस्थित कर सकता है अथवा उनका प्रतिवाद कर सकता है या उन्हे वापस ले सकता है; और

(ख) किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके सम्बन्ध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।

(२) इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अधीन की गयी अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में परिषद् (या) अध्यक्ष, आवास, आयुक्त, न्यायाधिकरण, या नियत प्राधिकारी अथवा परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा, जब तक कि, यथास्थिति, परिषद्, अध्यक्ष, आवास आयुक्त, न्यायाधिकरण, नियत प्राधिकारी, या ऐसे अधिकारी अथवा सेवक को एक ऐसे लिखित नोटिस देने अथवा उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्, दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गयी हो, जिसमें वाद-कारण, इच्छुक वादी का नाम और निवास स्थान, तथा अनुतोष जिसका वह दावा करे, का उल्लेख होगा और वाद-पत्र में यह भी लिखा जायगा कि ऐसा नोटिस दे दिया गया है अथवा छोड़ दिया गया है।

८९--परिषद् के लेख्यों को सिद्ध करने की रीति--(१) परिषद् के कब्जे को किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या कोई रसीद, प्रार्थना-पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश, या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथावत् प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के प्रथम दृष्ट या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिसमें और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता।

(२) परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें परिषद् एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा आदेश देना आवश्यक न समझे।

९०--स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा परिषद् को कर-निर्धारण पुस्तिकाओं से प्रतिलिपियां दी जायेंगी--स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आवास आयुक्त के अनुरोध पर, उसे स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर निर्धारण की सूची की प्रतिलिपि अथवा उसका उद्धरण देगा।

९१--देयों और शास्तियों की वसूली की रीति--इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन व्यवस्थित वसूली वो किसी अन्य रीति [के अतिरिक्त] पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति, क्षति मूल्य,

कर या शुल्क के रूप में देय कोई धनराशि जो इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकने योग्य हो, अथवा किराये या अधिमूल्य के कारण अथवा धारा ७१ के अधीन की गयी किसी कटौती के या गृह-निर्माण या सुधार के लिये परिषद् द्वारा दिये गये ऋण, अथवा किराया किस्त पर बेचे गये गृहों के मूल्य के रूप में परिषद् को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी

९२—परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों पर राज्य सरकार का नियंत्रण—

(१) परिषद्—

(क) राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन और विवरणियां, ऐसे प्रपत्रों में और ऐसे अन्तरालों पर प्रस्तुत करेगी जो नियत किये जायें;

(ख) राज्य सरकार को परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी विषय के सम्बन्ध में ऐसे लेख्य, विवरणियां, विवरण-पत्र, अनुमान प्रस्तुत करेगी या अन्य सूचना देगी जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाय।

(२) राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हों, और तदुपरान्त परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे।

(३) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में, परिषद् को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समर्थ बनाने के निमित्त आवश्यक या इष्टकर हों, और तदुपरान्त स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे।

९३—परिषद् का विघटन—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में असफल रही है अथवा किसी अन्य कारण से परिषद् को कायम रखना आवश्यक नहीं है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद् को ऐसे दिनांक से विघटित कर सकती है जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय।

(२) परिषद् के विघटन के सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर—

(क) अध्यक्ष, आवास आयुक्त और परिषद् के समस्त सदस्य विघटन के दिनांक से अपने पदों को रिक्त कर देंगे;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य, जिनका प्रयोग तथा सम्पादन परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जाय, विघटन के दिनांक से, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तथा सम्पादित किये जायेंगे जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे और ऐसी समस्त विद्यमान संविदायें, अनुबन्ध तथा अन्य संलेख जिनमें परिषद् या आवास आयुक्त एक पक्ष हो अथवा जो परिषद् या आवास आयुक्त के पक्ष में हो, लागू किये जा सकते हैं अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और परिषद् या आवास

आयुक्त द्वारा अथवा उसके विरुद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीलें, तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति, जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे, द्वारा अथवा उसके विरुद्ध जारी रक्खी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा लागू की जा सकती है।

(ग) परिषद् में निहित निधि तथा अन्य सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी; और

(घ) समस्त दायित्व, जो परिषद् के विरुद्ध विधितः विद्यमान हों या प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक परिषद् की निधि और सम्पत्तियां उसमें निहित हों।

(३) इस धारा की किसी बात से धारा ५९ की उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋणपत्रों के सम्बन्ध में उसके दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(४) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी समय फिर से धारा ३ के अधीन परिषद् की स्थापना और धारा ७ के अधीन आवास आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और तदुपरान्त—

(क) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य तथा संविदाओं, अनुबन्धों और अन्य संलेखों, और वादों, अपीलों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व, यथास्थिति, परिषद् या आवास आयुक्त में पुनर्निहित हो जायंगे;

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निधि तथा अन्य सम्पत्तियां जो राज्य सरकार के पास खण्ड (घ) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् शेष रह जायें, परिषद् में पुनर्निहित हो जायेंगी।

९४—नियम बनाने का अधिकार—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक और परिषद् तथा आवास समितियों के सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हों;

(ख) आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें;

(ग) इकाइयों की आय तथा व्यय के लेखे रखने की रीति, जिसके अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के बीच सम्मिलित आय और व्यय का अभिभाजन भी है;

(घ) आवास समितियों का संघटन और वे शर्तें तथा प्रतिबन्ध जिनके अनुसार उनके सदस्य पद धारण करेंगे;

(ङ) विषय जिन पर परिषद् आवास समिति से परामर्श करेगी;

(च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखना;

(छ) धारा १२ की उपधारा (१) के अधीन परिषद् द्वारा या उपधारा (२) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान;

(ज) आवास या सुधार योजना में व्यवस्थित किये जाने वाले विषय;

(झ) धारा २३ की उपधारा (३) के खंड (ख), धारा २४ की उपधारा (५) और धारा ४३ की उपधारा (२) के अधीन परिषद् द्वारा प्रतिकर का अवधारण और भुगतान और उसके सम्बन्ध में विवाद की दशा में न्यायाधिकरण को अभिदेश करने की प्रक्रिया;

(ञ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, तथा व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों जिन पर धारा २९ के अधीन या धारा ३३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील किया जायगा;

(ट) वे बातें जिन पर धारा ३७ की उपधारा (२) के अधीन विचार किया जायगा, वह समय जिसके भीतर उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन घोषणा की जा सकेगी उपधारा (५) के अधीन योजनायें, अनुमान तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा उपधारा (७) के अधीन सूचना दी जा सकेगी और रीति जिसके अनुसार उपधारा (६) के अधीन सूचना दी जायगी;

(ठ) धारा ३५ की उपधारा (२), धारा ३६ की उपधारा (७) और धारा ५१ की उपधारा (४) के अधीन अपीलों के लिए अवधि;

(ड) ब्याज की दर जिस पर और किस्तें जिनमें धारा ३६ की उपधारा (२) के अधीन सुधार के व्ययों को वसूल किया जायगा;

(ढ) रीति जिसके अनुसार और सीमा जहां तक, धारा ३६ की उपधारा (६) के अधीन वैकल्पिक गृह-स्थान अर्पित किया जायगा;

(ण) न्यायाधिकरण और नियत प्राधिकारी द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(त) धारा ५१ की उपधारा (२) के अधीन आसुधार शुल्क निर्धारित करने की रीति;

(थ) धारा ५२ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन अनुमत छूट तथा उपधारा (२) के अधीन देय ब्याज की दर;

(द) धारा ५३ की उपधारा (३) के अधीन किसी किस्त का भुगतान करने के लिए अनुग्रह अवधि;

(ध) शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए परिषद् अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित कर सकती है;

(न) वह सीमा जहां तक और वह रीति जिसके अनुसार अनुबन्धी द्वारा भूमि का निस्तारण करते समय उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायगा जिनकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिए अर्जित की गयी हो;

(प) परिषद् की ओर से संविदाओं और हस्तांतरण-पत्रों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकारी और उनके निष्पादन करने की रीति;

(फ) शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए ,परिषद् ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है;

(ब) परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण–पत्रों की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और रीति जिसके अनुसार ऐसे ऋण-पत्र जारी व संक्रमित किये जायेंगे, तथा उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और उनका मोचन किया जायगा;

(भ) शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुये परिषद् ऋण और अग्रिम धन दे सकती है ;

(म) निक्षेप निधि की स्थापना, अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग, तथा धारा ६० की उपधारा (३) के अधीन न्यास का सृजन ;

(य) रीति और सिद्धान्त जिनके अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की शुद्ध वसूलियां धारा ६२ की उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद् और नगरमहापालिका या नगरपालिका बोर्ड को प्रदिष्ट की जायेंगी अथवा दी जायेंगी;

(ककं) परिषद् के कार्यकलापों के कार्य-क्रम के विवरण-पत्र तथा अनुपूरक विवरण-पत्र और उनके सम्बन्ध में वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करने की रीति और दिनांक जब तक वे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे;

(खख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार परिषद् का पक्का-चिट्ठा और उसके लेखे तैयार किये जायेंगे या रखे जायेंगे;

(गग) लेखा-परीक्षकों की अर्हताएं या उनका नाम निर्देशन लेखा-परीक्षा करने की रीति और उसके अन्तराल, लेख्यों का अधियाचन करने और सूचना मांगने के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों के अधिकार, वे विषय जिनके सम्बन्ध में वे लेख्य प्रस्तुत किये जाने और सूचना दी जाने की अपेक्षा करें; अस्वीकृति तथा अधिभार के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षाओं के अधिकार, रीति जिसके अनुसार अधिभार और अधिभारित धनराशि की वसूला के लिए कार्यवाहियां की जायंगी, तथा किसको और किस रीति के अनुसार ऐसी अस्वाकृति तथा अधिभार के विरुद्ध अपील की जायगी।

(घघ) परिषद् के लेखे को प्रकाशित करने की रीति;

(ङङ) विषय जिनका निर्णय न्यायाधिकरण धारा ६४ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन कर सकता है;

(चच) न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें;

(छछ) न्यायालय जो धारा ६७ की उपधारा (४) के अधीन न्यायाधिकरण के किसी अभिनिर्णय या आदेश का निष्पादन करेगा;

(जज) धारा ६९ की उपधारा (६) के अधीन कार्यवाहियों में देय व्यय;

(झझ) विषय, जिनके सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी को, धारा ६९ की उपधारा (७) के अधीन दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे;

(ञञ) धारा ७१ के अधीन अनुबन्ध का प्रपत्र;

(टट) रीति, जिसके अनुसार धारा ८२ की उपधारा (२) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा परिवर्तन करने या गिराने के व्यय वसूल किये जा सकते हैं;

(ठठ) प्रपत्र जिनमें और अन्तराल जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विवरणियां और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे;

(डड) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उनको तामील करने की रीति;

(ढढ) कोई विषय जिसके लिए धारा ९५ के अधीन परिषद् द्वारा विनियम बनाया जाय;

(णण) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन नियम बनाये जायें अथवा बनाये जा सकते हैं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

९५—विनियम बनाने का अधिकार—(१) परिषद् गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है—

(क) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों का समय तथा स्थान और उनको बुलाने की रीति तथा उनका प्रारथगन और स्थगन ;

(ख) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों की प्रक्रिया और कार्य संचालन;

(ग) समितियों की नियुक्ति, उनका संघटन और प्रक्रिया।

(घ) आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान;

(ङ) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य;

(च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा की शर्तें;

(छ) निर्माण-कार्यों के लिए योजनाएं और अनुमान तैयार करना;

(ज) आय-व्ययक तथा अनुमान तैयार करना;

(झ) वह प्राधिकार, जिसके आधार पर परिषद् की निधि से धन दिया जा सकता है;

(ञ) सार्वजनिक नोटिसों के प्रकाशन की रीति;

(ट) नोटिसों, बिलों तथा अन्य लेख्यों पर आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के प्रतिरूप की मुहर लगाना;

(ठ) परिषद् द्वारा जारी किये गये लेख्यों, अनुमानों और योजनाओं की प्रतिलिपियों के लिए देय शुल्क;

(ड) किसी आवास या सुधार योजना के अधीन निर्मित भवनों का प्रबन्ध, उपयोग और प्रदेशन;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा की जाने वाली हो अथवा की जाय।

(२) यदि कोई विनियम, किसी नियम के प्रतिकूल हो तो वह नियम, चाहे वह विनियम के पहले बनाया गया हो अथवा बाद में, अभिभावी होगा और विनियम प्रतिकूल होने की सीमा तक शून्य होगा।

९६—निरसन, संशोधन और अपवाद—इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अपील्स) ऐक्ट, १९२० और १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवतन) ऐक्ट उस क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध म निरस्त हो जायेंगे और किसी अन्य प्रचलित विधि में यू० पी० टाउन इम्प्रूवमट ऐक्ट, १९१९ के अधीन संघटित किसी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के चेयरमैन का समस्त उल्लेख उस क्षेत्र के सम्बन्ध में क्रमश: परिषद् और आवास आयुक्त के सम्बन्ध में उल्लेख समझा जायगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९
यू० पी० ऐक्ट संख्या२०, १९२०
संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४७, १९४८ ई०

[(२) इस अधिनियम के अधीन मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ ऐसी योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निरस्त हो जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १८, १९६२

(३) इस अधिनियम के अधीन भावी सड़क योजना, प्रसार योजना या मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८, ऐसी योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निरस्त हो जायगा।]

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८

(२) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना लागू हो, उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ का प्रवर्तन उस अवधि के लिए निलम्बित रहेगा जिसमें ऐसी योजना लागू रहे, और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो कि निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमिति का निरसन हो।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १८, १९६२

(३) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें कोई भावी सड़क योजना, प्रसार योजना अथवा मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना लागू हो, उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अध्याय १३ का प्रवर्तन उस अवधि के लिए निलम्बित

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८
उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९
सं० पी० एक्ट संख्या १, १९०४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २३, १९५५

रहेगा जिसमें कोई ऐसी योजना लागू रहे और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो कि निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमिति का निरसन हो।

"(४) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, १९५५ में—

(१) जहां-जहां भी पद "गृह आयुक्त", गृह उपायुक्त तथा "सहायक गृह आयुक्त" आये हो, उसके स्थान पर क्रमशः पद "श्रम आयुक्त" "उपश्रम आयुक्त (गृह)" तथा "सहायक श्रम आयुक्त (गृह)" रख दिये जायं।

(२) धारा २ के खण्ड (ग) में शब्द तथा अंक "की उपधारा (१)" निकाल दिये जायं;

(३) धारा ३ में—

(क) उपधारा (१) में शब्द "अथवा" और शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकारी" के बीच में शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से भिन्न" रख दिये जायं;

(ख) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) बढ़ा दी जाय—

"(३) यह अधिनियम, ऐसे गृहों पर भी लागू होगा जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन किसी योजना के निष्पादन में निर्मित हों और जिन्हें उक्त परिषद् सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के अधीन गृह घोषित करे।"

९७—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का विघटन और उसके परिणाम—(१) इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उस क्षेत्र या उसके भाग के लिए संघटित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विघटित हो जायगा और उसकी समस्त परिसंपत्तियां तथा दायित्व परिषद् को संक्रमित और उसमें निहित हो जायेंगी।

(२) किसी भूमि के सम्बन्ध में आसुधार कर जिसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व लगाने, निर्धारित या वसूल करने का हकदार रहा हो, परिषद् द्वारा लगाया, निर्धारित अथवा वसूल किया जा सकता है मानो वह इस अधिनियम के अधीन लगाये जाने योग्य कोई आसुधार शुल्क हो।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९

(३) यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के अधीन प्रत्येक योजना और उससे सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां, जिसके अन्तर्गत आसुधार कर लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने की कार्यवाहियां भी हैं, जो [नियत] निश्चित दिनांक को विचाराधीन हों परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी जो इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अनुसार योजना अथवा उसके निष्पादन या उससे सम्बद्ध आसुधार शुल्क लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही उस प्रक्रम से करेंगी, जिस पर वह उसे संक्रमित की गयी हों;

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, यदि उचित समझे तो उक्त ऐक्ट के अधीन पहले से किये गये किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन नये सिरे से उपाय या कार्यवाही कर सकती है।

स्पष्टीकरण—सन्देह होने की दशा में, पद "इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य उस उपबन्ध से है जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट किया जाय।

(४) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की जाय, किसी भी प्रकार की सभी संविधायें, अनुबन्ध तथा अन्य सलख जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान हों अथवा प्रभावी हों, और जिनमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक पक्ष हो अथवा जो ऐसे ट्रस्ट के पक्ष में हों, यथास्थित, परिषद् के विरुद्ध या पक्ष में लागू और प्रभावी होंगे और उन्हें लागू किया जा सकता है या उन पर कार्यवाही की जा सकती है मानो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बजाय परिषद् उनमें एक पक्ष रहा हो अथवा मानो वे परिषद् के पक्ष में किये गये हों।

(५) यदि निश्चित दिनांक को किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही विचाराधीन हो तो उसे परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विधिक कार्यवाही" के अन्तर्गत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन कोई कार्यवाही भी सम्मिलित है। ऐक्ट संख्या १, १८९४

(६) किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी, निश्चित दिनांक को और उसी दिनांक से, परिषद् का कर्मचारी हो जायगा तथा उसी कार्यकाल के अनुसार उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और आनुतोषिक यदि कोई हो, तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा जो वह निश्चित दिनांक को धारण किये होता, यदि यह अधिनियम प्रचलित न हुआ होता, और वह तब तक इस प्रकार पद धारण करता रहेगा जब तक कि परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक, शर्तों तथा प्रतिबन्धों में यथोचित रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय।

(७) यदि निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किसी व्यक्ति का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का पूर्णकालिक कर्मचारी होने अथवा न होने या उसके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(८) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के किसी कर्मचारी की सेवायें परिषद् को संक्रमित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(९) यदि किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की हो तो निश्चित दिनांक को किसी ऐसी निधि में जमा धन राशियां, ऐसी निधि की अन्य परिसंपत्तियों सहित, परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी और उसमें निहित हो जायगी।

९८--कठिनाइयां दूर करने का अधिकार--(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, या, इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम आदेश में निर्दिष्ट अवधि पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह किसी ऐसे दिनांक से, जो कि निश्चित दिनांक से पहले का न हो, भूतलक्षी हो।

(३) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश निश्चित दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं दिया जायगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश, यथासम्भव शीघ्र, राज्य-विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड २५ से ९८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

श्री उग्रसेन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपको अधिकार है कि आप एक ही बार में तमाम खंड सामूहिक तरीके पर रख कर पास करवा लें?

श्री अधिष्ठाता--

इस सदन में साधारणतया हम ऐसा ही करते चले आये हैं।

श्री उग्रसेन--

आप को प्रत्येक खंड को अलग-अलग लेना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--

यदि आप किसी खंड पर बोलना चाहते हैं तो आपको इसका अधिकार है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

आप सब खंडों को इकट्ठा कैसे ले सकते हैं? एक-एक करके आप लीजिये, जिसका विरोध करना होगा, हम करेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह--

मैं समझता हूं कि जिन खंडों पर संशोधन नहीं हैं उन सब को आप एक साथ ले सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं भी यही ठीक समझता हूं और इस में कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगर आप किसी खंड पर बोलना चाहें तो बोल लें। विजय सिंह जी, आप को कुछ कहना है?

श्री विजय सिंह--

मैं खंड २५ का विरोध करता हूं। कहिये तो प्रत्येक खंड पर अलग-अलग बोलता जाऊं।

श्री अधिष्ठाता--

आप इन खंडों पर एक साथ भी बोल लें, और चाहें तो बोलें ।

श्री कृष्णानन्द राय--

नियमों में दिया है कि सारे खंड आप एक साथ रख सकते हैं यदि उन में कोई संशोधन न हों । तो आप सब खंडों को एक साथ रख दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैनें खंड २५ से ९८ तक एक साथ रख दिये हैं और अब किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह उन पर बोले ।

श्री राजनारायण मिश्र--

आपने विजय सिंह जी को आज्ञा दी कि वे अपने संशोधनों के विषय में बोलें । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके संशोधन आपके पास आ चुके हैं ? माननीय विजय सिंह जो संशोधन रखेंगे, वह हो सकता है कि ऐसी बात हो कि जिस पर माननीय मंत्री जी को समय रहा होता विचार करने का तो मान लेते । लेकिन अब वह समय नहीं है तो कहां तक न्यायसंगत होगा कि मंत्री जी को मौका न रहे और उन्हें फौरन "हां" य "न" में जवाब देना पड़े ?

श्री अधिष्ठाता--

किसी खंड में संशोधन न होते हुये भी किसी माननीय सदस्य को अधिकार होगा कि उसका विरोध करे ।

श्री राजनारायण मिश्र--

श्रीमन्, विरोध दूसरी चीज है, संशोधन दूसरी चीज है । यह टेक्निकल शब्द है ।

श्री अधिष्ठाता--

संशोधन नहीं आ सकता, विरोध कर सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

आप जरा सा नियम १४३ देखें । मेरे पास अंग्रेजी की पुस्तक है.....

श्री अधिष्ठाता--

आप हिन्दी में पढ़ें ।

श्री कृणानन्द राय--

जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय तो इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी यह अध्यक्ष के स्वविवेक में होगा कि विधेयक या विधेयक के किसी भाग को खंड प्रतिखंड सभा के समक्ष रखें । अध्यक्ष, प्रत्येक खंड को पृथक-पृथक लेंगे और जब उससे सम्बद्ध संशोधन का निस्तारण हो जाय तब यह प्रश्न उपस्थित करेंगे कि "यह खंड या, यथास्थिति, यह संशोधित खंड, विधेयक का अंश माना जाय ।" इस नियम के अन्तर्गत स्पष्ट है कि आप खंडवाइज रखेंगे तो इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है कि मूल का विरोध करगे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप इसकी उपधारा (२) पढ़ लीजिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

उपधारा २ के परन्तुक से स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खंड अलग से रखा जाय तो अध्यक्ष उस खंड को अलग से रखेंगे। साथ ही अध्यक्ष प्रश्नों को उपस्थित कर देंगे, उसमें जिस भी प्रश्न के ऊपर कोई माननीय सदस्य अपना विचार व्यक्त करना चाहें और अलग से रखना चाहें तो आप से कहेंगे और किसी प्रश्न को अलग से रख सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

खंड २५ से ९८ तक रखे गये हैं। ४०-५० धारायें हैं। अगर एक एक करके रखी गयीं तो पूरा एक दिन का डिस्कशन हो जायगा, फिर थर्ड रीडिंग कब होगी। थर्ड रीडिंग में कुंवर श्रीपाल जी और विजयसिंह जी अपना विरोध रख सकते हैं, इस वक्त इसको पास हो जाने दें। आज जल्दी उठ गये तो कल भी छुट्टी हो सकती है और ५ दिन की छुट्टी भी हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें स्पष्ट हो गया कि समूल रखा जा सकता है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि कोई विरोध न करे। संशोधन न रखें, लेकिन विचार प्रकट कर सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

विरोध तो केवल बिल का एक साथ किया जा सकेगा।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसा हुआ है कि संशोधन अगर उपस्थित न भी हो तो भी विरोध किया जा सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय--

कोई खण्ड के विरोध का अर्थ आप क्या निकालेंगे? जब तक कोई संशोधन न हो, तब तक कैसे विरोध करेंगे। मान लीजिये उग्रसेन जी कहते हैं कि फलां खंड निकाल दिया जाय। हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या करेंगे?

कुंवर श्रीपालसिंह--

१४४ नियम में वह चीज साफ दी हुई है। किसी भी खंड को उस सूरत में स्थगित किया जा सकता है.....।

श्री अधिष्ठाता--

विरोध का अर्थ यह नहीं है कि उस पर कोई संशोधन हो तभी विरोध हो, जो खंड उपस्थित हैं उन पर वे अपने विचार रख सकते हैं।

श्री विजयसिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक साथ सभी खंडों का विरोध करते हुये अपने कुछ विचार आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। खंड २६ में बाजार योजना का प्राविधान है। इसमें जो अधिकार परिषद् को दिया गया है वह गलत है।

इसी प्रकार श्रीमन् धारा ३३ में जो योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उसमें परिवर्तन करने का प्राविधान है वह भी गलत है। कोई भी योजना प्रारम्भ की जाती है तो उसके पूर्व उसके ऊपर काफी विचार विमर्श होता है। अब कोई भी योजना अगर प्रारम्भ की गयी, उसमें काम शुरू किया गया, और बाद को अगर उसमें कुछ परिवर्त्तन हुआ तो उसमें जनता का काफी पैसा बरबाद होगा। हर पहलू को देखकर ही योजना बनायी जाती है। मेरी राय में बाद में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इससे जनता का काफी पैसा बरबाद होगा? जिस काम के लिये यह पैसा दिया गया वह काम भी पूरा नहीं होगा।

मान्यवर, मंत्री जी ने बड़ी सद्भावना के साथ इस बिल को पेश किया था। यह गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए था। पिछले दिन भी मैंने इसका विरोध किया था....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विजयसिंह जी, आप को खंड का विरोध करने का तो अधिकार है, वह आप कर सकते हैं, किन्तु जनरल डिबेट इस समय नहीं होनी चाहिये।

श्री विजयसिंह--

यह धारा ३७ के अनुसार मैंने सुनाया लेकिन कोई योजना तैयार कर दी गई और उसमें कोई परिष्कार होता है या परिवर्तन होता है तो कहां तक अधिकार प्राप्त कर लेना उचित है। यह संवैधानिक अवैधता भी प्रतीत होती है।

इसी प्रकार धारा ३७ में मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध में मलिन बस्तियों में धारा २८ के अनुसार जो नोटिस दिया जायगा उसके बाद जो नगर महापालिका का क्षेत्र है उसमें वह परिषद् अपने अधिकार में लेकर सुधार करेगी। यह जरूर है इसमें नगर महापालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया है। इसलिये मान्यवर, यह आवश्यक है इसमें कुछ संशोधन हों और यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को पुनः भेजा जाय।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री विजय सिंह से) अभी कोरम नहीं है, आप बैठिये।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता--

क्या आपने अपनी सारी बातें कह लीं?

श्री विजयसिंह--

मान्यवर, वैसे विधेयक पर अभी बहुत प्रकाश डाला जाता पर अब आपकी बात मैंने समझ ली है और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २५ से ९८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--१८ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग "झ" के पश्चात् निम्नलिखित भाग (ञ) रख दिया जाय--

"(ञ) पेशाब या शौचालय योजना"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

१---संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार कैन्टूनमेन्ट क्षेत्रों को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे क्षेत्र में और ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे; और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

अनुसूची

[धारा ५५ देखिये]

ऐक्ट संख्या १, १८९४ उक्त ऐक्ट के धारा ३ का संशोधन

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ (जिसे आगे "उक्त ऐक्ट" कहा गया है) में परिष्कार।

१---उक्त ऐक्ट की धारा ३ के खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये गये समझे जायं, अर्थात्--

'(झ) "स्थानीय प्राधिकरण" के अन्तर्गत परिषद् भी है ;'

'(ञ) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है।'

इस अधिनियम की धारा २३, २८, ३२, और ३३ के अधीन नोटिसों का प्रभाव--

२---[(१) इस अधिनियम की धारा २८ के अधीन किसी आवास या सुधार योजना का सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशित नोटिस, उक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सम्बद्ध स्थल तथा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा ४ या ६ के अधीन पहले घोषणा की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित हो।]

(१) इस अधिनियम की धारा २८ अथवा धारा ३१ की उपधारा (३) के खंड (क) के अधीन किसी आवास या सुधार योजना का सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशित नोटिस, योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में, उक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सरकारी गजट में तथा संबद्ध क्षेत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति

या धारा ६ के अधीन घोषणा पहले की जा चुकी हो और उस समय भी लागू हो, और उक्त ऐक्ट की धारा ५-ए के उपबन्ध ऐसी भूमि की दशा में लागू नहीं होंगे ।

(२) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (३) के खंड (ग) के अधीन जारी किया गया नोटिस और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) या उपधारा (४), जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति उक्त ऐक्ट की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी, तथा उसी के समान प्रभावी होगी, जब तक कि अंतिम उल्लिखित धारा के अधीन घोषणा पहल ही न की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित न हो ।

(३) ऐसे मामले में जिसमें उप-पैरा (१) या उप-पैरा (२) लागू होता हो, इस अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (२) के अधीन या धारा ४९ की उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति का, जिसमें अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा में परिष्कार करना अन्तर्ग्रस्त हो यह प्रभाव होगा कि उससे उक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति और धारा ६ के अधीन घोषणा तदनुरूप परिष्कृत हो जायगी, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार का मूल विज्ञप्ति या घोषणा के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

३—उक्त ऐक्ट की धारा १७ में—

(१) वर्तमान उपधारा (१) और (२-ए) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रखी गयी समझी जायें, अर्थात्—

"(१) जब कभी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के तत्काल निष्पादन के हित में ऐसा निदेश दे, तब कलेक्टर यद्यपि उपरोक्त अभिनिर्णय न किया गया हो, धारा ९ की उपधारा (१) में उल्लिखित नोटिस के प्रकाशन से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक किसी भूमि पर कब्जा कर सकता है । तदुपरान्त ऐसी भूमि सभी भारों से मुक्त होकर सरकार में पूर्णतः निहित हो जायगी ।"

(२) उपधारा (४) निकाल दी गयी समझी जाय ।

उक्त ऐक्ट में नयी धारा १७-ए का बढ़ाया जाना

[३] ४—उक्त ऐक्ट की धारा १७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी गयी समझी जाय, अर्थात् :—

भूमि का परिषद् को संक्रमण

"१७-क—धारा १६ या १७ में अभिदिष्ट प्रत्येक वाद में कलेक्टर अर्जन के व्यय भुगतान किये जाने पर भूमि का भार आवास आयुक्त अथवा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप देगा और तदुपरान्त भूमि परिषद् में उसके (परिषद् के) इस दायित्व के अधीन रहते हुये निहित हो जायगी कि वह किसी अग्रेतर व्यय का भुगतान करे जो उसके अर्जन के कारण पड़े ।"

उक्त ऐक्ट की धारा २३ का संशोधन

५---उक्त ऐक्ट की धारा २३ में---

(१) प्रथमतः खंड के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जायगा :---

"स्पष्टीकरण---जब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अधीन आवास अथवा सुधार योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जाय तो उपर्युक्त किसी भी मामले में बाजार मूल्य का अवधारण करने में, यदि उक्त अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (३) के खंड (क), धारा २४ की उपधारा (३) या धारा ३५ के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन किया गया हो तो ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में हो जाने वाली वृद्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया जायगा ;

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) बढ़ा दी जाय अर्थात्---

(२) न्यायालय प्रत्येक मामले में अनिवार्य अर्जन को ध्यान में रखते हुये भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर व्यवस्थित है, ऐसे बाजार मूल्य का १५ प्रतिशत प्रतिकर दिलाने का अभिनिर्णय देगा।"

उक्त ऐक्ट की धारा ४९ का संशोधन

६---उक्त ऐक्ट की धारा ४९ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा बढ़ा दी गयी समझी जाय, अर्थात्---

"(१-क) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये भूमि को किसी मकान का भाग समझा जायगा जिस पर उक्त मकान स्थित हो तथा जो उससे संलग्न हो तथा जो मकान उपभोग तथा प्रयोग करने के न्यायोचित रूप से अपेक्षित हो।"

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री विजयसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। यह विधेयक, मान्यवर, अच्छी भावना से इस सदन में प्रस्तुत किया गया था और यह संयुक्त प्रवर समिति में भी गया। उसकी मीटिंगें हुई और उसने भी कुछ संशोधन किए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी बातें इसमें ऐसी रह गई जो कि यहां होनी आवश्यक थीं। मान्यवर, मेरा कहना एक तो यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बिलकुल उपेक्षा की गई है। सरकार ने शहरों, नगरपालिकाओं, महानगरपालिकाओं और नोटीफाइड एरियाज के लिए यह परिषद् तैयार किया है। इस प्रकार सब मिलकर इस प्रदेश की २० प्रतिशत जनता के लिए ही यह कार्यवाही हुई। इसमें सात सौ करोड़ रूपये शहरी जनता के लिए खर्चा करने की बात है और देहाती जनता के लिए

केवल १०० करोड़ रुपए व्यय करने की बात है। यह बहुत भारी अन्तर है। ८० प्रतिशत जनता जहां रहती हो वहां के लिए तो १०० करोड़ और २० फीसदी जनता जहां रहती हो वहां के लिए ७०० करोड़ रुपया निश्चित किया गया है। यह विधेयक केवल उन्हीं के लिए रखा गया है जो शहरों में रहते हैं, उनके पास एक आवाज है। वह बुद्धिजीवी लोग, श्रमिक लोग और वे लोग भी जो यहां पर आकर के हर प्रकार के साधन से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं उनकी सुनवाई हुई। सरकार उनसे डर जाती है।

इसमें जो काम पहले शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करते थे और जो भी काम दिया गया वह नहीं हो पाया, ऐसा माननीय मंत्री जी का कहना है इसलिए उन्हें यह विधेयक लाना पड़ा। इसमें एक काम मलिन बस्ती के सुधार और श्रमिकों,तथा गरीब तथा निर्धन लोगों के रहने के लिए आवास व्यवस्था के संबंध में भी है। साथ ही इसमें भूमि एक्वायर करने की भी व्यवस्था है और भूमि प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी ताकत हासिल की गई है। कल माननीय श्री ऊझल ने कहा था कि रूस में आठ आठ, नौ नौ और दस दस मंजिल के मकान बनाए जाते हैं। उसमें कम जगह की जरूरत पड़ती है और सरकार थोड़े पैसे में अपना काम निकाल सकती है। यह बात ठीक है। सात सौ करोड़ रुपये में जितनी लोगों की आवश्यकता है उतने मकान नहीं बना सकते हैं, तो इतना बड़ा बोर्ड बनाकर के इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? आप यह सारा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में ले जाते जहां की गलियों की चर्चा इस सदन में बहुत होती है और जहां सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिल पाती। वहां यदि यह व्यवस्था होती तो मैं जरूर स्वागत करता। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड के गठन में ज्यादातर सरकारी लोग हैं और वे इसलिए कि वे टेक्निकल हैं। तो जितने टेक्निकल लोगों की जरूरत होती उतने ही सरकारी लोग रखे होते। असरकारी लोगों का अल्पमत नहीं होना चाहिए। इसमें छोटी इकाइयों को सलाहकार के रूप में रखा गया है। होना यह चाहिए था कि अगर उनके क्षेत्र में काम परिषद् द्वारा हो तो उनका भी प्रतिनिधि उसमें होता तथा उस परिषद् के कार्य को निरीक्षण करने का भी अधिकार सुरक्षित किया जाता। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, इस तृतीय वाचन के अवसर पर मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं और करता हूं। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से नागर क्षेत्र में आ रहे हैं और कुछ लोग विस्थापित हो गए और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमको विकास करना है। एक मलिन सुधार विधेयक को प्रवर समिति में मुझे काम करने का अवसर मिला। वहां यह कहा गया था कि कानपुर के हातों का सुधार किया जायगा। मगर हुआ कुछ नहीं। इस बिल के पीछे भी बड़ी भारी पृष्ठभूमि है। केंद्रीय सरकार ने १६ करोड़ रुपया हमारी सरकार को दिया कि आप कम पैसे में अच्छे मकान बनवावें। मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया। मेरी जानकारी है, और मंत्री जी बतावेंगे, कि तीसरी योजना का १० करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब यह कहा जा रहा है कि जब यह बोर्ड बन जायगा तब उस रुपए का इस्तेमाल किया जायगा। हमको तो इसमें बड़ा शक है। इस विधेयक से सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तीसरी योजना में तो यह काम माननीय बनारसी दास जी के सहकारिता विभाग ने संभाल रखा था। अब चौथी योजना से पहले यह कानून बनने जा रहा है। तो अब सरकार का एक दूसरा पचड़ा चालू हुआ और पता नहीं कि केंद्रीय सरकार का दिया रुपया इस्तेमाल होगा या नहीं। किसी भी जनतांत्रिक देश में तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, खाना, कपड़ा और रहने के लिए मकान। हिटलर और मसोलिनी के राज्य में भी ये तीन चीजें जनता को देना जरूरी समझा गया था। मगर इस सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

ने इस १८ वर्ष के राज्य में तीनों चीजों का नाश कर दिया। भोजन, भवन और वेषभूषा यानी कपड़े का नाश हो गया है। जब तक ठीक से भेषभूषा, भवन और भाषा नहीं होंगे और लोक-रंजन योजनायें नहीं होंगी तब तक कुछ भी बननेवाला नहीं है। इनका समावेष इस विधेयक में कहीं भी नहीं है। इधर-उधर की बातों को लेकर एक लम्बा-चौड़ा विधेयक बना दिया गया है।

मुझे इस बात का दुख है कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे थे वे आज इस समय उपस्थित नहीं हैं। इसके लिए सरकारी पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने तो विधेयक को मेहनत से तैयार किया और उसको प्रवर समिति में ले गए। लेकिन यह विरोधी पक्ष की कमी है कि वह इसमें पूरी तरह से भाग न ले सका। ऐसी हालत में मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि केंद्रीय सरकार का जो धन है उसका उचित उपयोग हो जाना चाहिए। बम्बई में जब कि २४ हजार मकान श्रमिकों के लिए बना दिए गए हैं, हमारे यहां केवल १४–१५ हजार ही बन पाए हैं। जहां शास्त्री नगर में बने भी हैं वहां भी मजदूरों के बजाय बड़े-बड़े लोग रह रहे हैं। आज आप यहां देखिए कि १० बरस पहले यहां फुट पाथ पर कितने लोग सोते थे और आज कितने सोते हैं। लेकिन अभी हाल में जब मैं बम्बई गया तो देखा कि पहले से वह ढाई गुना बढ़ गया है। दीवा स्टेशन पर, जहां पहले मैं केले बेचा करता था, मैं उसको पहचान भी न सका।

यह विधेयक आप धन का सदुपयोग करने के लिए लाए हैं लेकिन आज तक का हमारा जो अनुभव है वह ऐसा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मंत्री जी से फिर कहता हूं कि विधेयक को कार्यान्वित करने की मंत्री जी की बड़ी जिम्मेदारी होती है अतः मंत्री जी उसकी सारी जिम्मेदारी लेकर उसको पूरी तरह कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें और केंद्र से मिले धन का सदुपयोग करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विधयक के वादविवाद में हिस्सा लिया। लेकिन इस बात का मुझे खेद है कि कुछ ऐसे कारण हो गए कि जिसस कुछ माननीय सदस्यों को, खास तौर से उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को पूरा-पूरा विधेयक को पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। आज माननीय कमला सिंह जी को जिन्होंने बहुत से संशोधन दिए थे, उनको यहां होना चाहिए था। अगर वे होते तो उनके संशोधनों को हमें भी देखने का मौका मिलता और उन पर विचार होता।

माननीय उग्रसेन जी ने अपनी भावनायें प्रकट कीं। वे चाहे जो कुछ कहें पर उनकी और हमारी भावनायें एक हैं। यह विधेयक केवल आवास की कमी को पूरा करने के लिए लाया गया है। उग्रसेन जी ने जो फुटपाथ की बात कही, वह केवल शहरों में ही पाए जाते हैं। इसलिए क्यों कि समस्या शहरों में ही भयानक है इसलिए उसका इलाज भी पहले वहीं से शुरू होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक का निर्माण किया गया है। माननीय उग्रसेन जी ने विधेयक को वापस लेने की बात कही, इतना सब कुछ कर लेने पर भला वह किस प्रकार से वापिस हो सकता है हमारी समझ में जो अच्छी बातें थी, इसमें रखी गयीं, प्रवर समिति में पार्टी के भेद भाव को छोड़कर विचार किया गया और सुधार हुए और मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा एक बहुत बड़ी कमी पूरी होगी। यह विधेयक इस मानी में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है कि आवास की समस्या बहुत भारी समस्या है।

माननीय विजय सिंह ने वही दलीलें आज फिर दोहराई जो उन्होंने कल दी थीं, अगर वह अपने पहल भाषण को और इस अंतिम भाषण को पढ़ेंगे तो मेरे खयाल से उनको बिलकुल मिलते जुलते मालूम होंगे, उनको करेक्शन में ज्यादा दिक्कत न होगी। मैं उनकी तमाम बातों के उत्तर

पहले ही दे चुका हूं । मैंने कल भी कहा था कि इसमें देहात की योजना को छोड़ा नहीं गया है, वहां की योजना भी इस में ली जा सकती है । मैं भी घोर देहात का रहने वाला हूं जहां कि कांग्रेस सरकार होने से पहले गाड़ी भी नहीं पहुंचती थी, अभी भी मुश्किल से एक सड़क मिली है । मुझे भी देहात और वहां की समस्यायों से पूरी-पूरी हमदर्दी है, मैं भी पहला आदमी होऊंगा जो चाहता हूं कि देहात के लिए कुछ हो जाय और मुझे हर वक्त देहात का ध्यान रहता है । लेकिन फिर भी हर चीज हर जगह नहीं बैठती । हम भी चाहते हैं कि देहात में भी शहर की तरह अच्छे, पक्के और हवादार मकान हों लेकिन सरकार सब के लिए यह प्रबंध अभी नहीं कर सकती और न सब के लिए शहरों में ही कर सकती है । यहां ८ करोड़ की आबादी है, आप चाहें कि २ करोड़ मकान सरकार बना दे यह संभव नहीं है । जिन वर्गों की आर्थिक आय कम है या जहां मजदूर अधिक हैं, हरिजन है, उनके लिए सरकार की योजना जो चल रही है उनका पैसा जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि वह अच्छे ढंग से खर्च हो और उनके लिए दूसरे साधन भी हों जो ग्रांट वगैरा मिलती है उसके अलावा, परिषद् ऋण ले सकेगी अगर कुछ और तरह से धन इकट्ठा कर सकेगी । जो स्थिति पहले थी इन योजनाओं को मकानों और सड़कों आदि को पूरा करने के बारे में इस परिषद् के बनने से यह काम दुगुना तिगुना हो सकेगा और देरी भी नहीं होगी । इसके अलावा गवर्नमेंट से जो सैंक्शन में देर लगती थी वह भी अब नहीं लगेगी और काम भी तेजी से होगा ।

एक चीज सलाहकार समिति के बारे में कही गई और कहा गया कि उनको पूरे अधिकार देने चाहिए । बड़ी बड़ी नगरपालिकाओं तक में विकास का काम नहीं हो पाता और छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में तो हो ही नहीं पाता यह तो समितियां अपने इनिशिएटिव पर कैसे कर सकेंगी । हमने सलाहकार समिति तो इस कारण बनाई है ताकि उनके जरिए से जनता की राय सामने आ जाय और कहीं की योजना को कैसे लिया जाय यह सब चीज सामने आ जाय । इसके अलावा सरकार को हमेशा कोई बात भेजी जा सकती है और सरकार परिषद् को डायरेक्ट कर सकती है और सदन के ही अधीन रहेगी और आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं । मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा और जो काम इसके कारण रूके पड़े हैं और बाकी हैं वह सब जारी हो जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे पारित करे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवर्षण से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में होने वाले मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

अब माननीय राजस्व मंत्री जी जो वक्तव्य आज देने वाले थे वह अब कल देंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय मंत्री जी का बयान आज होना था, उसका क्या हो गया ?

श्री अधिष्ठाता—

वह कल होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

कोई कारण तो होना चाहिए ?

श्री अधिष्ठाता—

कोई दिक्कत होगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

यदि कोई दिक्कत है, तो इसे बतलाना चाहिए ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

तैयार हो रहा है । टाइप किया जा रहा है, ताकि उसकी प्रतिलिपि सबको मिल सके ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, कल एजेन्डे में कोई सरकारी काम-काज नहीं है । ऐसा न हो कि इस एजेन्डा में कुछ और सरकार कार्यक्रम पेश कर दें । अगर ऐसा किया गया तो यह अच्छी बात नहीं है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और एसोसियेटेड गांधी मेमोरियल हास्पिटल, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, उस जगह पर स्थित है जहां हमारी सरकार रहती है और जहां सरकार के सभी जिम्मेदार अफसरान रहते हैं । समाचार पत्रों में कई बार लखनऊ मेडिकल कालेज के बारे में बहुत गंभीर शिकायतें प्रकाशित हुयी और कई किताबें इस बारे में छपीं कि क्या क्या संगीन आरोप है मेडिकल कालेज के अन्दर और वे प्रदेश के महामान्य राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्री और सरकार के सभी जिम्मेदार मंत्रियों को वे शिकायतें पहुंचायी गयी । फिर भी मेरी जानकारी है, केवल आज ही नहीं, इसके पहले भी सदन में कई दफा कई माननीय सदस्यों ने मेडिकल कालेज की शिकायतों को उठाया है, लेकिन अभी तक जो मेडिकल कालेज के हालात हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हो सका है । मजबूर होकर सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का मैंने अपना कर्त्तव्य समझा है और इसीलिए यह सवाल सदन के सन्मुख आया है । मैं बहुत संक्षेप में कुछ ऐसी घटनाओं को माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं क्योंकि ये गंभीर आरोप काफी समय से हैं और उनमें कमी होने के बजाय बढ़ोत्तरी ही हो रही है । मैं समझता हूं कि इसके लिए आवश्यकता है कि आप सदन की एक समिति नियुक्त करें जो, उन शिकायतों को जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, उन पर जांच करे और जांच करने के उपरांत एक रिपोर्ट दे जिसपर इस सदन में बहस हो ।

अधिष्ठाता महोदय, इस तरह की लापरवाही की २-३ घटनायें हैं जो मैं सुनाता हूं जिस लापरवाही के कारण वहां पर मरीजों की मृत्यु हुई है । वहां पर एक शफात ड्राइवर भर्ती हुआ । समय पर उनकी देखभाल न होने के कारण उनकी वहां पर मृत्यु २० जून, १९६५ को हो गयी । दूसरी घटना एक श्री चन्द्रचूड़ जी की थी जो ट्रेन डकैती की घटना थी । उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बेचारे को ट्रेन में लूटा गया था और उसे चोट लगी। मेडिकल कालेज में ७०० रुपया उनके घरवालों ने फीस आदि के लिए भी दिया परन्तु उसके बाद भी समय पर आपरेशन न हो सका और उसकी मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार से क्वीन मेरी अस्पताल में श्रीमती निगम की घटना हुयी। उसका भी लापरवाही के कारण ही देहांत हो गया। कहा जाता है कि प्रसव के समय उसकी ओर घोर लापरवाही हुयी। इन बातों से स्पष्ट होता है कि वहां पर मरीजों के साथ लापरवाही बरती जाती है और जो मरीज बचाया जा सकता है, वह भी नहीं बचाया जाता है।

दूसरी तरह की लापरवाही जो इस अस्पताल में है वह यह है कि जो जख्मी मरीज होते हैं या प्रसव के लिए बहनें जाती हैं उनको टिटनेस की बीमारी अस्पताल की लापरवाही से हो जाती है। इस तरह की भी अनेकों घटनायें हैं जिनमें टिटनेस की बीमारी ज्यादातर अस्पताल की लापरवाही से हुई है। एक उदाहरण मेरे सामने है। १२ जुलाई, १९६५ को क्वीन मेरी अस्पताल में शिप्रा नाम की एक लड़की का जन्म हुआ लेकिन साफ औजारों का इस्तेमाल न होने के कारण उसको टिटनेस हो गया। सरजरी वार्ड नम्बर ३ में बेड नम्बर ३६ पर चन्द्रिका नामक एक व्यक्ति का आपरेशन हुआ ११ जुलाई, १९६५ को, उसको भी लापरवाही से टिटनेस हो गया।

इसी तरह से अस्पताल में जो प्राण रक्षक दवाइयां होनी चाहिए उसमें ग्लूकोज खास तौर से २५ फीसदी का दिया जाना चाहिए। यह आम शिकायत है कि २५ फीसदी ग्लूकोज को बाहर बेच लिया जाता है और ५ फीसदी वाला घोल का ग्लूकोज दिया जाता है जिससे मरीज मर जाते हैं। इस तरह की भी अनेक दुर्घटनायें अस्पताल में हुई हैं। सोडाबाईकार्बोनेट वगैरह जो बच्चों के दस्त वगैरह में काम आती है उसका भी दुरुपयोग होता है। यहां तक है कि आक्सीजन का भी वहां पर अभाव है। मेरी तो जानकारी यह है कि पौष्टिक आहार जो मरीजों को दिया जाता था जिसमें मक्खन, या अण्डा है वह बिलकुल नहीं दिया जा रहा है बल्कि साधारण और सादा भोजन भी अस्पताल में मरीजों को नहीं दिया जा रहा है। इसकी कमी का कारण वहां अच्छे इंतजाम की कमी है। इससे मेडिकल कालेज की हालत दिन प्रति दिन खराब होती चली जा रही है। एक तरफ जहां मरीजों के लिए दवाइयों की कमी है वहां यह शिकायत सुनने को मिली है, जो अखबार और उस पैम्फलेट में शाया है कि दवाइयां सरकारी कर्मचारी, विशेष कर जो दवाइयों के इंचार्ज हैं वे बाहर बाजार में बेचते हैं। तो एक तरफ मरीज को दवा न मिले और दूसरी तरफ भारी संख्या में वहां पर दवाइयां बेची जाती हैं। अगर इसकी जांच हो तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। वह दवाइयां मरीजों को बेची जाती हैं।

एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है जिसको कहने में मुझे दुख होता है इस प्रकार की कई घटनायें मेडिकल कालेज में हुईं कि मरीज बहनों के साथ बलात्कार किये गए। उन घटनाओं को नोटिस में भी लाया गया। मैं खुद शरम की वजह से उनका नाम नहीं लूंगा, हालांकि मेरे पास वे नाम मौजूद हैं और वे डाक्टर जिन्होंने किया उनको चरित्र का सर्टिफिकेट देकर यहां से भेजा गया बजाय इसके कि उसको सजा दी जाय। इस तरह की तीन चार घटनायें मेरे पास हैं। लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। इतने गंभीर आरोप मेडिकल कालेज के खिलाफ हैं लेकिन कोई कार्यवाही न हो, यह इस तरह की हालत है जो...

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

डाक्टर का नाम तो बता दीजिए जिन पर इस किस्म का आरोप लगाया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल--

डाक्टर का नाम अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज्ञा दें तो मैं बता दूं।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी आज्ञा का सवाल नहीं है ।

श्री उग्रसेन--

डाक्टर का नाम बताया जाना चाहिए ।

श्री रामचन्द्र विकल--

अगर जांच की मंजूरी हो जाय तो मैं नाम बता दूं । मैं खुद मुनासिब नहीं समझता नाम से व्यक्तिगत आक्षेप लगाना । लेकिन मैं नाम उस समिति को दे दूंगा जो इसकी जांच के लिए बनायी जाय ।

श्री वैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, नाम उन्हीं का लिया जा सकता है जो सदन में मौजूद हों और जो उनका जवाब दे सकें ।

श्री रामचन्द्र विकल--

डाक्टरों के अलावा छोटे कर्मचारी मेहतरों ने भी इस किस्म की घटनायें की, वे बहुत शर्मनाक हैं । जो नियुक्तियां वहां की जाती हैं उनमें भी अनेक तरह की अनियमिततायें होती हैं और पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है । अनेक योग्य डाक्टर वहां नहीं रखे जाते और अयोग्य डाक्टरों को रख दिया जाता है और अनेक प्रकार की धांधलियां इस मेडिकल कालेज में हैं । मेडिकल कालेज में जो डाक्टरों के लिए वहां होस्टल बना हुआ है, ८ महीने तक उनको वहां गन्दा पानी पिलाया गया, लेकिन उनको मालूम नहीं हो सका । जब डाक्टर स्वयं बीमार हुए टायफाइड से और दस्तों से तब जाकर उस बात का पता चला । जिस स्थान पर सारे प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए डाक्टर तैयार होते हैं वहां सफाई का इंतजाम न हो, अच्छा पानी न मिले मैं समझता हूं कि उससे हमारे प्रदेश को अच्छी प्रेरणा नहीं मिल सकेगी । मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर जांच कमेटी बिठाकर सुधार करना चाहिए और जो-जो व्यक्ति दोषी पाए जाएं उनको सजा दिलाई जाय । मेरी नोटिस में ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने मेडिकल कालेज से दवाइयां बेचकर इतनी संपत्ति पैदा कर ली है कि आज उनकी संपत्ति की जांच होना जरूरी है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री जी से इन शिकायतों को गंभीरता से जांच करने की प्रार्थना करता हूं ।

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि विकल जी के सवाल ७७, ७८ के संबंध में ही आज की चर्चा है और जब उन सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो यह आज की चर्चा हुई । किन्हीं डाक्टर ने नेशनल हेरल्ड में लेख लिखा था उसके संबंध में वे सवाल थे और उसी का जवाब गवर्नमेंट ने दिया था । आज विकल जी ने कुछ ऐसी चीजें भी बतलाई जो उनकी जानकारी में आई, जो उस नेशनल हेराल्ड अखबार में नहीं छपी थीं । मैं निवेदन कर दूं कि ऐसी सूचनाएं जिस किसी भी सदस्य के पास हों वे कृपा करके मुझे दे दें और उस संबंध में जो कुछ भी इंक्वायरी मैं करा सकता हूं, जरूर कराऊंगा ।

एक बात माननीय सदस्यों को ध्यान में रखनी चाहिए कि ये अस्पताल, मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय की देख-रेख में चलते हैं हालांकि खर्चा सब सरकार ही देती है । अब अगर कोई शिकायत आती है तो हमारे लिए नामुमकिन है कि हम कोई खुद इन्क्वायरी कमेटी बैठा दें और वह उसकी जांच करने लगे । उसके कुछ नियम बने हुए हैं, उन्हीं के अन्तर्गत वह जांच हो सकती है । इस सिलसिले में जो भी माननीय सदस्य अथवा विकल जी मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज लायेंगे मैं उनकी तुरन्त जांच कराने की व्यवस्था करूंगा ।

एक बात मैं यह भी निवेदन कर दूं कि ज्यों ही मेरे इल्म में आया कि इस तरह की बात नेशनल हेरल्ड में छपी है मैंने फौरन वहां के हास्पिटल के सुपरिंटेंडेंट से रिपोर्ट मंगायी। श्री आर० बी० सिंह, प्रिन्सिपल ने फौरन इंक्वायरी करके रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है। उसको देखने से मालूम होता है कि एक चीज जो लिखी गयी कि दवाइयों की कमी है यह तो बात जाहिर है कि इसमें किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। मेडिकल कालेज में नहीं जो भी अन्य अस्पताल हैं उनमें भी दवाइयों की कमी है, इसमें कोई दो रायें नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी लिखी थीं जिनके पढ़ने से बड़ी परेशानी पैदा होती थी और यहां तक परेशानी पैदा हुई कि सेन्ट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने पढ़ा होगा या उनके पास यह शिकायत पहुंची होगी तो उन्होंने लिख कर भेजा कि बड़ी गड़बड़ की बात है। तो मैं उस सिलसिले में माननीय सदस्यों को बता दूं कि जिन चीजों की तरफ खास तौर से इशारा किया गया। अखबार में यह था कि जब आपरेशंस होते हैं तो कैंगडक्ट से सिये जाते हैं। उसकी जगह पर सादा तागा इस्तेमाल होता है। इसके पढ़ने से आम लोगों पर यह असर होता है कि इससे मरीजों की जिन्दगी खतरे में पड़ रही है। हमारे जो प्रिन्सिपल हैं, डाक्टर आर० बी० सिंह, वह बड़े योग्य सर्जन हैं, उत्तरी भारत में बड़े ऊंचे किस्म के व्यक्ति हैं और उनकी योग्यता में कोई शुबहा नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह सही है कि कभी-कभी जख्म जो सिए जाते हैं उनमें प्लेन थ्रेड इस्तेमाल होता है और साथ में यह भी लिखा है कि शायद अखबार में लिखने वाले ने यह विचार नहीं किया कि कैंगडक्ट से धागा ज्यादा बेहतर है और उन्होंने यह भी लिखा कि मैं भी आपरेशन करता हूं और मैं धागे को पसन्द करता हूं और उसे इस्तेमाल करता हूं। जब इस तरह की चीज अखबार में उड़ आती है और आम लोग और माननीय सदस्य पढ़ते हैं तो परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन डाक्टर आर० बी० सिंह कहते हैं कि मैं धागे को ज्यादा बेहतर समझता हूं।

दूसरी चीज उसमें यह थी कि स्प्रिट नहीं है, जख्म को धोने साफ करने के लिए। तो उन्होंने लिखा है कि इतना बड़ा हास्पिटल है। दो हजार चीजें होती हैं जो रोज के इलाज में इस्तेमाल में आती हैं। तो कभी-कभी कोई चीज नहीं भी रहती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मरीज को कोई खतरा पैदा हो। मिसाल दी उन्होंने कि जब स्प्रिट नहीं रही तो मेडिकल कालेज के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, एनाटामी, पैथालाजी के डिपार्टमेंट से, स्प्रिट मंगा ली।

उस अखबार में यह भी लिखा गया कि यूसोल एक दवा है वह नहीं रहती है। उनकी रिपोर्ट आयी है कि यूसोल हमेशा स्टाक में रही है। उस पत्र में यह भी था कि मैक्सेल अस्पताल में नहीं रहता। उनकी रिपोर्ट आयी है कि हमेशा यह अस्पताल में रहा है।

श्री उग्रसेन—

पत्र के लेखक कौन हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टर गोयल हैं, जो एम० बी० बी०, एस० पास करके इंटर्नशिप कर रहे थे। एक बात उस पत्र में यह भी थी कि जहां २५ परसेन्ट ग्लूकोज की जरूरत होती है वहां ५ परसेन्ट ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिखा था। माननीय विकल जी ने उसको और खींच दिया कि २५ परसेन्ट ग्लूकोज तो बाजार में बेच दी जाती है और पांच परसेन्ट का इंजेक्शन दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री संक्षेप में कहें। मुझे आध घंटे में खत्म करना है।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

तो मैं अर्ज कर दूं कि हमारे पास रिपोर्ट है कि जहां २५ परसेन्ट ग्लूकोज की जरूरत होती है वहां २५ परसेन्ट लगायी जाती है और जहां ५ परसेन्ट की जरूरत होती है वहां पांच परसेन्ट लगायी जाती है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जहां २५ परसेन्ट ग्लूकोज की जरूरत थी वहां ५ परसेन्ट लगायी गयी ।

इसी तरह की कुछ चर्चा यह है कि वहां के कुछ स्टाफ के लोगों ने कुछ वीमेन पेशेन्ट्स के साथ कुछ किया। उसके सिलसिले में मेरे पास रिपोर्ट यह है कि दो वाकयात उनके अस्पताल में इस प्रकार के हुए हैं। एक तो दो स्वीपर्स थे जिन्होंने किसी लेडी के साथ मिसबिहेव किया। इसकी शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया और तुरन्त उन्हें सस्पेन्ड किया गया और उन्हें नौकरी से बरखास्त कर दिया गया। दूसरे एक डाक्टर हैं, दूसरे मामले में जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि पता नहीं कि किस डाक्टर के सम्बन्ध में माननीय विकल जी का इशारा है और उन्होंने भी उनका नाम लेना उचित नहीं समझा है। इस सम्बन्ध में शिकायत मिली, उन्होंने, डाक्टर ने किसी लेडी के साथ मिसबिहेव किया है, मिसबिहेव की शिकायत की गयी थी, न कि बलात्कार की कोई शिकायत थी, जैसा कि माननीय विकल जी के कहने का मतलब था। इस बारे में जैसे ही रिपोर्ट मिली वाइस चांसलर ने ऐक्शन लिया, उनके खिलाफ जांच शुरू की गयी, उन डाक्टर ने अपना इस्तीफा भेज दिया और वाइस चांसलर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, किन्तु जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रश्न करेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा।

एक बात और माननीय विकल जी ने कही कि अस्पताल से दवायें लेकर उनसे सम्बन्धित लोगों ने, प्रबन्धकों ने उसे बेच लिया और वह दवायें अस्पताल में नहीं इस्तेमाल की गयीं और इस प्रकार गलत ढंग से धन प्राप्त करके लोगों ने बड़ी-बड़ी प्रापर्टियां बना ली हैं और इस विषय को लेकर इसकी जांच कराने के लिए माननीय सदस्य ने कहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि इसकी जांच होनी चाहिए और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी उनके पास इस प्रकार की सूचना हो, वह उसे अपना दस्तखत करके हमें न भी दें, तो भी मुझे सिर्फ नोट ही कम से कम करा दें, मैं उनकी अवश्य जांच करा लूंगा। यदि यह मुझे बताने की कोशिश करेंगे तो मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि पूरी इस कांड की जांच होगी और जांच के सिलसिले में यदि कोई दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जायगा और यदि आवश्यकता समझी गयी तो उसके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जायगा।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

स्पष्टीकरण के लिए ही केवल आपको प्रश्न करना है न?

श्री उग्रसेन--

जी। अधिष्ठाता महोदय, माननीय विकल ने मेडिकल कालेज के प्रबन्धकों के विरुद्ध बड़े घोर, घोरतम और गहनतम आरोप लगाए, तो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने उसका जवाब दिया और डाक्टर गोयल का पत्र भी पढ़ा। उन्होंने यह भी कहा कि एक महिला जो रुग्ण शैय्या पर थी उनके साथ बुरी-बुरी हरकत की गयी और जिसमें डाक्टर भी निकाले गए और भंगी भी निकाले गए। यह तो ठीक है। इसके अतिरिक्त विकल जी ने भाई-भतीजावाद कुन्बापरस्ती और धन के दुरुपयोग के भी अनेक आरोप लगाए हैं और मन्त्री जी यह कहते हैं कि यह कालेज विश्व-विद्यालय के अधीन है, इसलिए हम कुछ अधिक नहीं कर सकते हैं। अतः मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह विश्वविद्यालय के उपकुलपति को राजी करने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज के विरुद्ध सम्पूर्ण अनियमितताओं की जांच के लिए एक न्यायिक जांच कमेटी बिठाल दी जाए?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैंने रिपोर्ट वाइस चांसलर को भेज दी है और यदि वे कोई जांच की आवश्यकता सोचते हैं, तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जो इस बात को देखते हुए मन्त्री जी के सामने मेडिकल कालेज, लखनऊ के खिलाफ शिकायत पहली बार नहीं आयी होगी, जो जिस तरह के पर्चे बराबर बंटते रहते हैं, पुस्तिकाएं बंटती हैं, जो बराबर हमें मिलती हैं और हमारे सुनने में आती हैं, यह बातें माननीय मन्त्री जी की जानकारी में भी अवश्य आई होंगी और इस सदन में भी बराबर जोरदार शब्दों में घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अपव्यय और महिलाओं के साथ बलात्कार की बातें उठती रही हैं। इन सारी बातों को देखते हुए क्या मन्त्री जी इस बात की कृपा करेंगे कि एक बहुत हाई पावर कमीशन बिठा दिया जाय, जो उसकी पूरी जांच करे जिससे एशिया के एक प्रसिद्ध कालेज में सुधार हो सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं इस सिलसिले में इतना अर्ज कर सकता हूं कि जिन चीजों की आप जांच करवाना चाहते हैं, अगर वह चीजें आप मुझे दे दें तो मैं अवश्य जांच कराऊंगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस डाक्टर को बरखास्त नहीं किया गया उसका इस्तीफा लेकर उसे अच्छे चरित्र की सर्टिफिकेट दे दी गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरे पास जो प्रिन्सिपल की रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, जांच हुई और इस्तीफे के साथ जांच रिपोर्ट वायस चांसलर के पास भेज दी गयी और उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके अलावा और कोई बात आप मालूम करना चाहते हैं तो मैं मालूम करके बतला सकूंगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

इस सम्बन्ध में जो जांच रिपोर्ट आई है, क्या माननीय मन्त्री जी उसका गम्भीरता के साथ फिर अध्ययन करके सोचेंगे कि जिन डाक्टर ने इस्तीफा दिया है, उनके खिलाफ अगर प्राइमाफेसी आरोप साबित हो गया तो उनको बरखास्त क्यों नहीं किया गया और इस्तीफा लेकर अन्य नौकरी में ऐसे गलत आदमी को रखने की सुविधा क्यों दी गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैंने तो आपसे अर्ज किया कि इस्तीफा उन्होंने सरकार के पास नहीं दिया जो हमने उसे मंजूर कर लिया। यह तो विश्वविद्यालय की चीज है, वहां इस्तीफा आया और वहां के वाइस चांसलर ने उसे मंजूर कर लिया। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, मैं इसकी विशेष रूप से मालूमात करूंगा कि उनके ऊपर किस तरह का इल्जाम था और उसमें क्या इस्तीफा लेना ही काफी था और उसके बाद कोई और ऐक्शन लेना जरूरी नहीं था ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

इस बात को देखते हुए कि मेडिकल कालेज में तथा और अन्य अस्पतालों में दवाओं का बहुत अभाव है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रही है कि किसी न किसी प्रकार से इस अभाव को दूर किया जा सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

दवाओं के अभाव को इसी तरह से दूर किया जा सकता है कि उनके लिए ज्यादा रुपए का इन्तजाम किया जाय। तो मैं आपको बतला दूं कि पहले से हम दवाओं के लिए ज्यादा रुपया दे रहे हैं। मसलन मेडिकल तथा अस्पतालों के लिए जहां हम पहले साढ़े ३ लाख रुपए देते थे वहां अब ४ लाख १४ हजार रुपए दे रहे हैं। तो जितना हम बढ़ा सकते थे उतना बढ़ा दिया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

जो आरोप इस वक्त सदन में बतला गया है वह बहुत ही गम्भीर है, तो क्या माननीय मन्त्री जो उन आरोपों के सम्बन्ध में सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेंगे ताकि उसके बारे में असलियत मालूम कर सकें?

श्री अधिष्ठाता--

इस सम्बन्ध में वे पहले ही कह चुके हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस डाक्टर से इस्तीफा लिया गया है क्या उसे कहीं दूसरी जगह किसी मेडिकल कालेज में नौकरी दे दी गयी है? यदि हां, तो इसकी जांच करायेंगे कि जब ऐसे चार्ज पर उनको निकाला गया है तो फिर क्यों उनको नौकरी दी गयी है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मेरे इल्म में यह बात नहीं है। अगर किसी अस्पताल में उस डाक्टर को नौकरी दी गयी होगी तो मैं जरूर उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस तरह की कोई शिकायत आयी है कि रजिस्ट्रार, लखनऊ यूनिवर्सिटी मिस्टर मित्तल के ऊपर भी भाई भतीजावाद व घोर भ्रष्टाचार का आरोप है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मेरे इल्म में यह बात नहीं आयी है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

श्रीमन्, जैसा कि माननीय उग्रसेन ने भी कहा, आप इन सारी शिकायतों के बारे में कोई हाई पावर कमेटी बैठा कर उसकी शीघ्र से शीघ्र जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

जब व अपना वक्तव्य देंगे तो उसमें बतला देंगे।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जो रिपोर्ट तैयार हुई है वह किसके दस्तखत से आपको मिली है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

श्री आर० बी० सिंह, प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि इस मेडिकल कालेज के साथ जो किंग जार्ज अभी तक लिखा जा रहा, उसे हटा दिया जाय।

श्री विजयसिंह—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि विश्वविद्यालय एक आटोनामस बाडी है तो मैं जानना चाहता हूं कि जितनी बातें उन्होंने अभी बतलायी हैं उनको कार्य रूप में वे कहां तक परिणत करा सकेंगे और क्या इतना अधिकार व इतनी क्षमता उन में है कि वे इस चीज को जल्दी करा सकेंगे ?

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि न्यायिक जांच और हाई पावर कमीशन बिठाने के लिए वह कब तक कार्यवाही करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय मन्त्री जी ने गम्भीर आरोपों को लेने के लिए और जो जांच बिठाने के लिए आश्वासन दिया है, वायस चांसलर के मशविरे से कमेटी बिठाने के लिए जो आश्वासन दिया है मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और यह आशा करता हूं कि इन गम्भीर आरोपों की जांच से और वायस चांसलर की राय से कमेटी की जांच से वहां पर सुधार होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊः
१७ अगस्त, १९६५ ।

देवकीनन्दन, मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पष्ठ ८६८ पर)

कर्मशालाओं की सूची जहां प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं

आगरा क्षेत्र

१--क्षेत्रीय कर्मशाला ।
२--आगरा डिपो कर्मशाला
३--मथुरा डिपो कर्मशाला
४--अलीगढ़ डिपो कर्मशाला
५--एटा डिपो कर्मशाला
६--हाथरस डिपो कर्मशाला
७--शिकोहाबाद डिपो कर्मशाला

इलाहाबाद

१--क्षेत्रीय कर्मशाला
२--जौरो रोड डिपो कर्मशाला
३--वाराणसी डिपो कर्मशाला
४--जौनपुर डिपो कर्मशाला
५--मिर्जापुर डिपो कर्मशाला
६--प्रतापगढ़ डिपो कर्मशाला

बरेली

१--क्षेत्रीय कर्मशाला
२--बरेली डिपो कर्मशाला
३--मुरादाबाद डिपो कर्मशाला
४--शाहजहांपुर डिपो कर्मशाला
५--बदायूं डिपो कर्मशाला
६--बिजनौर डिपो कर्मशाला

कानपुर

१--क्षेत्रीय कर्मशाला
२--कानपुर डिपो कर्मशाला
३--फतेहपुर डिपो कर्मशाला
४--महोबा डिपो कर्मशाला
५--फर्रुखाबाद डिपो कर्मशाला
६--इटावा डिपो कर्मशाला

गोरखपुर

१--क्षेत्रीय कर्मशाला
२--गोरखपुर डिपो कर्मशाला
३--बस्ती डिपो कर्मशाला
४--गोंडा डिपो कर्मशाला
५--बलरामपुर डिपो कर्मशाला
६--देवरिया डिपो कर्मशाला
७--बिरदाघाट डिपो कमशाला
८--आजमगढ़ डिपो कमशाला
९--बलिया डिपो कमशाला
१०--गाजीपुर डिपो कमशाला

कुमायूं

१--क्षेत्रीय कर्मशाला
२--काठगोदाम डिपो कर्मशाला
३--हल्द्वानी डिपो कर्मशाला
४--भवाली डिपो कमशाला
५--रानीखेत डिपो कर्मशाला
६--कोटद्वार डिपो कर्मशाला

लखनऊ ।

१--क्षेत्रीय कर्मशाला
२--कैसरबाग डिपो कर्मशाला
३--सिटी बस डिपो कर्मशाला
४--चारबाग डिपो कर्मशाला
५--कार सेक्शन डिपो कमशाला
६--उन्नाव डिपो कर्मशाला
७--रायबरेली डिपो कमशाला
८--सीतापुर डिपो कर्मशाला
९--सुल्तानपुर डिपो कर्मशाला

मेरठ

१--क्षेत्रीय कर्मशाला
२--मेरठ डिपो कमशाला
३--मुजफ्फरनगर डिपो कर्मशाला
४--बुलन्दशहर डिपो कर्मशाला
५--सहारनपुर डिपो कर्मशाला
६--देहरादून डिपो कर्मशाला
७--हरद्वार डिपो कर्मशाला

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८२ पर)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना जिला बुलन्दशहर में १९६४–६५ में पुनः निर्मित राजकीय नलकूपों का विवरण

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या	ग्रुप	गांव	कब तक पुनः निर्मित होगा
१	३९	कुचेसर ग्रुप ..	बुद्धा वाजितपुर ..	
२	४१	,,	खादमोहन नगर	
३	४२	,,	गाढ़िया बादशाहपुर	
४	१०	जहांगीराबाद ग्रुप	परवाना	
५	५	,,	बरौली	
६	४७	,,	असरफपुर	

उन नलकूपों का विवरण जिनके पुनः निर्माण करने की आवश्यकता है :

१	३८	कुचेसर ग्रुप	भवन बहादुर नगर	वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में
२	४६	,,	पसोली	,,
३	१९	जहांगीराबाद ग्रुप	ढकौली नया बांस	,,
४	२९	,,	जवासा	,,
५	२६	,,	जाडोल	,,
६	४६	,,	जाडोल	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८७ पर)

आगरा में ताज और किले के क्षेत्र में नेशनल पार्क बनाने की योजना में प्रस्तावित कार्य निम्नलिखित है--

(१) ८०० एकड़ का पार्क बनाना जिसमें पार्क, बगीचे तथा "लैंडस्केपिंग" की व्यवस्थाएं होंगी ।

(२) प्रमोद उद्यान बनाना।

(३) नई सड़क का निर्माण और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना।

(४) "इनडोर" तथा "आउटडोर" अजायबघरों को बनाना।

(५) खुली जगह में नाट्यशाला का निर्माण।

(६) बोट-क्लब।

(७) ताज के निकटवर्ती श्मशान को स्थानान्तरित करना।

(८) यमुना नदी में एक बांध का निर्माण ।

(९) नदी के उत्तर में बोटे निकल गार्डन और जिन्दा अजायबघर की स्थापना।

नत्थी 'घ

(देखिए अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पष्ठ ८८८ पर)

Copy of rule 11 of Financial Hand Book, Vol. II

11. Unless in any case it be otherwise distinctly provided, the whole time of a Government servant is at the disposal of the Government, and he may be employed in any manner required by proper authority, without claim for additional remuneration, whether the services required of him are such as would ordinarily be remunerated from the revenues of the Province or from a local fund or from the revenues of an Indian State.

हिन्दुस्तान

पी० एस० यू० पी—ए० पी० १०६ एल० ए०—१६६५—८६2।